प्रश्न पत्र–प्रथम
भारतीय दण्ड संहिता (भारतीय न्याय संहिता)

● **लोक सेवक धारा 21 {2(28)BNS}**:–लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के लिये है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी में आता है।

1. (विलुप्त)
2. भारत की सेना नौसेना या वायु सेना का हर आयुक्त ऑफिसर।
3. हर न्यायाधीश जो विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ।
4. न्यायालय का हर ऑफिसर जिसका यह कर्त्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए अधिप्रमाणिकृत करे, किसी संपत्ति का भार संभाले या उसका व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्त्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो।
5. किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर ज्यूरी सदस्य या पंचायत का संदस्य।
6. हर व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय, या रिपोर्ट के लिये निर्देशित किया गया हो।
7. हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरूद्ध करने या रखने के लिये सशक्त हो ।
8. सरकार का हर ऑफिसर जिसका यह कर्त्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करें, अपराधों की इत्तला दें, अपराधियों को न्याय के लिये उपस्थित करें या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे।
9. हर ऑफिसर जो सरकार की ओर से किसी संपति हो ग्रहण करे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितो पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेक्षण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितो से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणिकृत करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिये किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके।
10. हर ऑफिसर जो किसी ग्राम नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिये किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्ग्रहीत करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिये कोई दस्तावेज बनाए।
11. हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या पुनरीक्षित करने के लिये या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो।
12. हर व्यक्ति जो –

(1) जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्त्तव्य के पालन के लिये सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो।
(2) स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केन्द्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम की या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो।

राजस्थान संशोधन (वर्ष 1993)

13. कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विधि के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त या अनुमोदित किसी परीक्षा के संचालन और परीक्षण में किसी लोक निकाय द्वारा नियोजित या लगाया गया है। इसके अनुसार लोक निकाय में किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या भारतीय संविधान के अन्तर्गत या सरकार द्वारा गठित विश्वविधालय, शिक्षा परिषद् या अन्य स्थानीय निकाय सम्मिलित है।

● **जंगम संपत्ति धारा 22 {2(21)BNS}**:–जंगम संपत्ति से आशय है कि हर भांति की वह संपंत्ति जो मूर्त सम्पति के अन्तर्गत आती है, किन्तु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप

PTS JODHPUR

से जकड़ी हुई हो, इसके अन्तर्गत नहीं आती है। अर्थात् पृथ्वी से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार (आकार या शक्ल) की वस्तुएं चल सम्पत्ति कहलाती हैं। साधारण शब्दों में चल सम्पत्ति से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसे एक स्थान दूसरे से स्थान पर लाया या ले जाया जा सके। जैसे – गन्ना जब तक खेत में खड़ा रहता है तब तक अचल सम्पत्ति है लेकिन जैसे ही उसे काटकर ट्रैक्टर में लाद दिया जाये तो वह चल सम्पत्ति कहलाती है।

• **सदोष अभिलाभ और सदोष हानि धारा 23ः–सदोष अभिलाभ {2(36)BNS}**ः– विधि विरूद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ, जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सदोष अभिलाभ में व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ प्राप्त करता है जिस पर उसका कोई विधिक दावा नहीं होता है और वह यह ऐसे साधनों से करता है जो विधि के प्रतिकूल होते है।

सदोष हानि 23 {2(37)BNS}– विधि विरूद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि, जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। सदोष हानि में व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति की हानि होती है जिस पर उसका धारक के रुप में विधिक अधिकार होता है और वह यह ऐसे साधनों से खो देता है जो विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं है।

व्याख्या – कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखें रखता है और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी सम्पत्ति से सदोष वंचित किया जाता है।

• **बेईमानी से धारा 24 {2(7)BNS}**ः–जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को ''बेईमानी से'' करता है, यह कहा जाता है। इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या सदोष हानि कारित करने का आशय महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि वास्तव में सदोष अभिलाभ या सदोष हानि हो।

• **कपटपूर्वक धारा 25 {2(9)BNS}**ः–कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है अन्यथा नही। उदाहरण ः– 'क' अपने प्रमाण पत्र में आयु खुरचकर 35 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करके ऐसे पद के लिए भेज देता है, जिसमें आयु 25 वर्ष अधिकतम है। 'क' ने कपटपूर्वक कार्य किया है।

• **मूल्यवान प्रतिभूति धारा 30 {2(31)BNS}**ः–भा.द.स. की धारा 30 के अनुसार ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अन्तरित, निर्बन्धित आदि किया जाये, छोड़ा जाये या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करें कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या ऐसा विधिक अधिकार नहीं रखता है, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाता है।

• **सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य धारा 34 {3(5)BNS}**ः– जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

व्याख्या– सामान्य आशय पूर्व गठित योजना और उस योजना के अनुसरण में संयुक्त कार्य को इंगित करता है अर्थात सामान्य आशय पूर्व मतैक्य परिकल्पित करता है। सामान्य आशय व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा पूर्व नियोजित किसी आशय पर सामान्यतः एक मत होकर कार्य करने से माना जायेगा।

• **धारा 75 {13 BNS}ः– पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड** –जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन अध्याय 12 **{10 BNS}**या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनो में से किसी भी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये जाने के बाद दोनो अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनो में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

PTS JODHPUR

साधारण अपवाद

• **धारा 76 {14 BNS}– विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य–** कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न की विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

व्याख्या– यह धारा ऐसे व्यक्ति को क्षमा देती है जिसने कोई ऐसा कार्य किया हैं जो विधि के द्वारा अपराध है किन्तु जिसे करने में तथ्यों की भूल के अधीन वह सद्भावपूर्वक इस विश्वास में आ गया था कि वह इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आदेशित है। जैसे विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक भीड पर गोली चलाता है, सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया है।

• **धारा 77 {15 BNS}न्यायिकतः कार्य करने हेतू न्यायाधीश का कार्य–**कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकत कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग मे की जाती है, जो या जिसके बारे मे उसे सद्भावपूर्वक उसे विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

• **धारा 78 {16 BNS}न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य–**कोई बात, जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुकरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत रहते की जाये, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह सब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी।

• **धारा 79 {17 BNS}विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य–**कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत है।

• **धारा 80 {18 BNS}विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना –** कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सर्तकता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है।

• **धारा 81 {19 BNS}कार्य,जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है,किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है–** कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई हैं कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन के सद्भावपूर्वक की गई हो।

व्याख्या– कोई कार्य जो अपराध होगा कुछ परिस्थितियों में क्षमा किया जा सकता है यदि अभियोजित व्यक्ति यह दर्शित करे की उसने वह कार्य कुछ ऐसे परिणामों से बचने के लिए किया था जो अन्यथा रोके न जा सकते थे एवं उससे अधिक अपहानि कारित हो सकती थी।

• **धारा 82 {20 BNS}सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य–** कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

• **धारा 83 {21 BNS}सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य–** कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों पर निर्णय कर सके।

PTS JODHPUR

• **धारा 84 {22 BNS}विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य–** कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

व्याख्या– चित्तविकृति का अर्थ है चाहे समर्थता का अभाव स्थायी हो या अस्थायी, प्राकृतिक हो या आकस्मिक या चाहे वह बीमारी के कारण पैदा हुई हो या जन्म से ही विद्यमान हो, सभी चित्तविकृति की अभिव्यक्ति में शामिल है।

• **धारा 85 {23 BNS}ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरूद्व मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुचंने में असमर्थ है–** कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में असमर्थ है, परन्तु यह तब जब कि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरूद्ध दी गई थी।

• **धारा 86 {24 BNS}किसी व्यक्ति द्वारा ,जो मत्तता में है,किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है–**उन दशाओं मे जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत मे करता है, इस बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता, यदि वह मत्तता मे न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना व उसकी इच्छा के विरूद्ध न दी गई हो।

• **धारा 87 {25 BNS}सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो–**कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे मे कर्ता को यह ज्ञान न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे मे कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की, जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है।

उदाहरण :–क और य आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने मे सहमत होते है। इस सहमति में किसी अपहानि को, जो पटेबाजी के खेल मे नियम विरूद्ध मे न होते हुए कारित हो उठाने की हर एक की सम्मति विवक्षित है, और यदि क यथा नियम पटेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है।

• **धारा 88 {26 BNS}किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य,जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हैं –**कोई बात जो मृत्युकारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिये यह बात सद्भावपूर्वक की जाये और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिये चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो।

• **धारा 89 {27 BNS}संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य –**कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु से या विकृतचित व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के, या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की सम्भाव्यता कर्ता को ज्ञात हो।

परन्तुक :–

PTS JODHPUR

पहला—इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा।
दूसरा —इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बाते करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना सम्भाव्य है।
तीसरा —इस अपवाद का विस्तार स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति का प्रयत्न करने पर न होगा जबतक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।
चौथा— इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

● **धारा 90 {28 BNS}सम्मति,जिसके सम्बंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गयी है**— कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि यह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी।
उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति— यदि सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो विकृतचित्त या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो।
शिशु की सम्मति— जब तक की संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो ऐसी सम्मति, यदि ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है।

● **धारा 91 {29 BNS}ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है**—धारा 87, 88 और 89 **{25, 26, 27 BNS}**अपवादो का विस्तार उन कार्यो पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यो से कारित हो, या कारित किये जाने का आशय हो, या कारित होने की सम्भावना ज्ञात हो।

● **धारा 92 {30 BNS}सम्मति के बिना किसी फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य**—कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाये, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिये यह असम्भव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो ओर उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना सम्भव हो कि वह फायदे के साथ की जा सके।
परन्तुक :—
पहला—इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा।
दूसरा —इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बाते करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना सम्भाव्य है।
तीसरा —इस अपवाद का विस्तार स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति का प्रयत्न करने पर न होगा जबतक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।
चौथा— इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

● **धारा 93 {31 BNS}सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना**—सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिये दी गई हो।

PTS JODHPUR

• धारा 94 {32 BNS}वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है–हत्या और मृत्यु से दण्डनीय उन अपराधो को जो राज्यों के विरूद्ध है, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिये ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथाा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाये, परन्तु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति मे न डाला हो जिसमे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है।

• धारा 95 {33 BNS}तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य –कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की सम्भाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा।

प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

• धारा 96 {34 BNS}प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार– कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है।
व्याख्या– प्राईवेट प्रतिरक्षा के दौरान अपहानि उतनी ही होनी चाहिए जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो। खुली लड़ाई में कोई प्राईवेट प्रतिरक्षा नहीं मानी जायेगी।

• धारा 97 {35 BNS}शरीर तथा सम्पति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार– धारा 99 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार हैं कि –
पहला– मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरूद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे।
दूसरा– किसी ऐसे कार्य के विरूद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या उसे करने का प्रयत्न है, अपनी या अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे।

• धारा 98 {36 BNS}– ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो –

जबकि कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्तविकृति या मत्तता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता ।
उदाहरण– पागलपन के असर में **'य' 'क'** को मारने का प्रयत्न करता है। **'य'** किसी अपराध का दोषी नहीं है किन्तु **'क'** को प्राईवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह **'य'** के स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता।

• धारा 99 {37 BNS}–कार्य जिनके विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है–

(1) सद्भावनापूर्वक यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भानावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोकसेवक द्वारा किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।
(2) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भानावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोकसेवक के निर्देश से किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।
(3) उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिये लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है प्राईवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।

PTS JODHPUR

(4) **इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार–** किसी दशा में भी प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 1.– कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते किये गये या किये जाने के प्रयतित, कार्य के विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक की वह यह न जानता हो , या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति लोकसेवक है।

स्पष्टीकरण 2– कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते किये गये या किये जाने के प्रयतित, कार्य के विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक की वह यह न जानता हो , या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा हैं , या जब तक की वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है।

• **धारा 100 {38 BNS}–शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है–** शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, निम्नलिखित में से किसी भी भांति का है–

पहला– ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि हमले का परिणाम मृत्यु है।

दूसरा– ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि हमले का परिणाम घोर उपहति होगी।

तीसरा–बलात्संग करने के प्रयास से किया गया हमला।

चौथा–प्रकृति के विरूद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला।

पांचवा–व्ययपहरण व अपहरण के आशय से किया गया हमला।

छठा–किसी ऐसे व्यक्ति को परिरूद्ध किया जाना जिससे आशंका होती हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं कर सकता।

सातवां –तेजाब आदि ज्वलीनशील पदार्थ फैंककर या फैंकने के प्रयत्न से किये जाने कृत्य जिसका परिणाम घोर उपहति होगा।

• **धारा 101 {39 BNS}–कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है**– यदि अपराध पूर्वगामी अन्तिम धारा में वर्णित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु, स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता किन्तु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 **{37 BNS}**में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है।

• **धारा 102 {40 BNS}–शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना**–शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो और वह तब तक बना रहता है जब तक की शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

• **धारा 103 {41 BNS}–कब संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है**– संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 99 **{37 BNS}** में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किये जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है निम्नलिखित में से किसी भांति का है–

(1) लूट,

(2) रात्रि गृह भेदन,

(3) अग्नि द्वारा रिष्टि,जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान को की गयी है , जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

PTS JODHPUR

(4) चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी स्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राईवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा।

- **धारा 104 {42 BNS}–ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का तब होता है**–यदि वह अपराध जिसके किये जाने या जिसके किये जाने के प्रयत्न से प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अवसर आता है, ऐसे चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है, जो पूर्वगामी अन्तिम धारा में प्रगणित भांतियो में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वैच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता किन्तु उसका विस्तार धारा 99 **{37 BNS}**में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वैच्छया कारित करने तक होता है।

- **धारा 105 {43 BNS}–संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना** –संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका आरम्भ होती है । संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरूद्ध तब तक बना रहता है जब तक

1 अपराधी संपत्ति लेकर स्थान छोडकर चला नहीं जाता या
2 लोक अधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त नहीं हो गयी हो
3 सम्पत्ति पुनः प्राप्त न हो गई हो।

संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरूद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है । संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरूद्ध वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे ही उन अपराधों का किया जाना समाप्त हो जाता है। गृह भेदन के विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक की गृह अतिचार चलता रहता है(जहां एक व्यक्ति ने चोर का पीछा किया और उसे गृह अतिचार समाप्त हो जाने के बाद खुले में मार डाला, यह अभिनिर्धारित हुआ कि वह प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन था)

- **धारा 106 {44 BNS}–घातक हमले के विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो**– जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरूद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता हो तो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उस अपहानि के जोखिम उठाने तक का है।

उदाहरण– क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाये बिना प्राईवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे–2 शिशुओं को अपहानि करने की जोखिम उठाये बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो **क** कोई अपराध नहीं करता।

दुष्प्रेरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 107 {45 BNS}–किसी बात का दुष्प्रेरण – वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो

1 उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा
2 उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये, अथवा
3 उस बात के लिये किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है

PTS JODHPUR

स्पष्टीकरण 1– जो कोई व्यक्ति जानबूझ कर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझ कर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।
स्पष्टीकरण 2–जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 108 {46 BNS}दुष्प्रेरक– वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा इसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता।
स्पष्टीकरण 1 किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।
स्पष्टीकरण 2 दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाये या अपराध गठित होने के लिये अपेक्षित प्रभाव कारित हो।
स्पष्टीकरण 3. यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान है।
स्पष्टीकरण 4. अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।
स्पष्टीकरण 5 षड़यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाये। यह पर्याप्त है कि वो षड़यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 109 {49 BNS}–दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसक परिणामस्वरूप किया जाये जहां कि उसके दंड के लिये कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं हैं– जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिये इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नही किया गया है तो वह उस दंड से दंडित किया जायेगा जो उस अपराध के लिये उपबंधित है।
स्पष्टीकरण –कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षडयंत्र के अनुसरण में या सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 110 {50 BNS}दुष्प्रेरण का दण्ड –यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता हैं– जो कोई किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो तो वह उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 111 {51 BNS}दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किये गये कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानों उसने सिधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो।
उदाहरण – एक शिशु को य के भोजन में विष डालने के लिए क उकसाता है और उस परियोजन से उसे विष परिदत करता है वह शिशु उस उकसाहट के परिणामस्वरूप भूल में म के भोजन में जो य के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है यहां यह वह शिशु क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम है तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधिन है मानो उसने उस शिशु को म के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो।

भारतीय दंड संहिता की धारा 112 {52 BNS}दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए आंकलित दण्ड से दण्डनीय है – यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अन्तिम दुरगामी धारा के अनुसार दायित्वों के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक कार्य के लिए अपराधी होगा।

PTS JODHPUR

उदाहरण – ख को एक लोक सेवक द्वारा किये गये करस्थम का बल पूर्वक प्रतिरोध करने के लिए क उकसाता है ख परिणाम स्वरूप उस करस्थम् का प्रतिरोध करता है प्रतिरोध करने में ख करस्थम् का निष्पदान करने वाले ऑफिसर को स्वैच्छा घोर उपहति कारित करता है ख ने करस्थम् का प्रतिरोध करने और स्वैच्छा घोर उपहति कारित करने के दो अपराध किये है इसलिए ख दोनो अपराधों के लिए दण्डित है और यदि क यह सम्भाव्य जानता था कि उसका करस्थम् का प्रतिरोध करने में ख स्वैच्छा घोर उपहति कारित करेगा तो क भी उन में से हर अपराध के लिए दण्डिनिय होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 113 {53 BNS}दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो – जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है, और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है। वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है। तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानों उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो परन्तु यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभावित है।

उदाहरण – य को घोर उपहति करने के लिए ख को क उकसाता है ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप य को घोर उपहति कारित करता है परिणातः य कि मृत्यु हो जाती है यहां यदि क यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है तो क हत्या के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डिनिय है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 114 {54 BNS}अपराध के किये जाने के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति – जब कभी कोई व्यक्ति अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय होता है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाय जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दण्डनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने एसा कार्य या अपराध किया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 115 {55 BNS}मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण – यदि अपराध नही किया जाता है, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावस से दण्डनीय अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणााम स्वरूप न किया जाय, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नही किया गया है, तो वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणामस्वरूप किया जाता है– और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाय जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो तो दुष्प्रेरक दोनों में किसी भांति के कारावास से जो कि 14 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 116 {56 BNS}कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण – यदि अपराध न किया जाए –जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि, वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाय और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नही किया गया है तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो– और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो तो वह दुष्प्रेरक ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांती के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

उदाहरण – क एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है लूट किये जाने का दुष्प्रेरण करता है यहां यद्यपि लूट नहीं की जाती क उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दिर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से दण्डनीय है।

PTS JODHPUR

भारतीय दंड संहिता की धारा 117 {57 BNS}लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण – जो कोई लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

उदाहरण – क एक लोक स्थान पर प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें दस से अधिक सदस्य है एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जब वे जूलूस निकालने में लगे हुए हो आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

आपराधिक षड़यंत्र –

भारतीय दंड संहिता की धारा 120 {60 BNS}कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना – जो कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दण्डनीय है शुक्र बनाने के आशय से यह सम्भाव्यतः तद् द्वारा शुक्र बनायेगा यह जानते हुए ऐसे अपराध के किये जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा स्वेच्छा छिपायेगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है।

यदि अपराध कर दिया जाए और यदि अपराध नहीं किया जाए – यदि ऐसा अपराध कर दिया जाये तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास से दीर्घतम् अवधि की एक चौथाई तक हो सकेगी। और यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम् अवधि के आठवें भाग तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 120ए {61(1) BNS}– आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा –जबकि दो या अधिक व्यक्ति

1 कोई अवैध कार्य अथवा

2 कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते है, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है।

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक न होगी जब तक की सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी {61(2) BNS}–आपराधिक षडयंत्र का दंड–

(1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिये आपराधिक षड़यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दंड के लिये इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड़यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड़यंत्र में शरीक होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 141 {189(1) BNS}–विधि विरूद्ध जमाव– पांच या अधिक व्यक्तियों को जमाव ''विधि विरूद्ध जमाव'' कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव घटित हुआ है सामान्य उद्देश्य निम्न लिखित हो–

(1) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा आतंकित करना

(क) केन्द्र सरकार को या,
(ख) राज्य सरकार को या,
(ग) विधायिका को या,
(घ) विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते समय किसी भी लोक सेवक को

(2) किसी विधि के ,या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना

PTS JODHPUR

(3) किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करन,
(4) आपराधिक बल का प्रयोग करके
(क) किसी सम्पति को कब्जे में लेना या उसे अभिप्राप्त करना,
(ख) किसी व्यक्ति को उसके किसी अमूर्त अधिकार से वंचित करना
(ग) किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को लागू करना।
(5) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को विवश करना
(क) ऐसा कार्य करने के लिए जिसे करने को वह वैध रूप से बाध्य नहीं है, या
(ख) ऐसा कार्य का लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है

स्पष्टीकरण– कोई जमाव जो इक्कट्ठा होते समय विधि विरूद्ध नहीं था बाद में विधि विरूद्ध जमाव हो सकता है

भारतीय दंड संहिता की धारा 142 {189(2) BNS}– विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होना– जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरूद्ध जमाव बनाते है, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है वह विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य है यह कहा जाता है

भारतीय दंड संहिता की धारा 143 {189(2) BNS}– दण्ड– जो कोई विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 144 {189(4) BNS}– जो कोई किसी घातक आयुद्य से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुद्य के रूप में उपयोग किऐ जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सज्जित होते हुये किसी विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 145 {189(3) BNS}– जो कोई किसी विधि विरूद्ध जमाव में यह जानते हुये ऐसे विधि विरूद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा,बना रहेगा व दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 146 {191(1) BNS}– बल्वा करना– जब किसी विधि विरूद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्‌देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव को हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 147 {191(2) BNS}– बल्वा करने के लिए दण्ड– जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 148 {191(3) BNS}–घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना– जो कोई घातक आयुध या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किये जाने के रूप में मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुये बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 {190 BNS}– विधि विरूद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्‌देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी – यदि विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्‌देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्‌देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

PTS JODHPUR

भारतीय दंड संहिता की धारा 153क {196 BNS}– धर्म ,मूलवंश,जन्मस्थान,निवास स्थान,भाषा,इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहो के बीच शत्रुता का संमप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।

(1) जो कोई –

क. बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्यरुपणों या अन्यथा धर्म, मूलवंश, भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों, या समुदायों के बीच असौहार्द या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर संप्रवर्तित करेगा या प्रयत्न करेगा।

ख. जो कोई ऐसा कार्य करेगा जो धर्म, मूलवंश, भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों, या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या ऐसा होना संभाव्य हो।

ग. कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य कोई क्रिया कलाप इस आशय से संचालित करेगा या कोई प्रशिक्षण आयोजित करेगा जिससे इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति धर्म, मूलवंश, भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों, या समुदायों के विरुद्ध हिंसा या आपराधिक बल का प्रयोग करे।

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा 1 में वर्णित अपराध किसी पूजा के स्थान या जमाव जो धार्मिक पूजा या कर्म करने में लगा हुआ हो, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा या जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 166क {199 BNS}. लोक सेवक ,जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है –जो कोई लोक सेवक हाते हुए–

(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश जो उसे किसी अपराध के अन्वेषण किसी आशय से किसी व्यक्ति के स्थान पर जाने पर पाबंदी लगाता है, यह जानते हुए भी इसकी अवज्ञा करता है, (ख) विधि का कोई अन्य निर्देश, जो ऐसे मामले के अन्वेषण के संदर्भ में विनियमन करता है, यह जानते हुए भी कि इससे किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है। या

(ग) धारा 326क, 326ख, 354, 354ख, 370, 370क, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ड. या 509 **{124(1), 124(2), 74, 76, 143, 144, 64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS}** के अंतर्गत दण्डनीय शमनीय अपराध के संदर्भ में द.प्र.सं. 1973, (1974 का 2) **{BNSS 2023}** धारा 154 **{173 BNSS}** की उपधारा (I) के तहत वह उपलब्ध कराए गए सूचना को (रिकोर्ड) दर्ज करने में असफल रहता, तो

ऐसा लोक सेवक को कठोर कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी लेकिन जिसे 2 वर्ष तक बढाया जा सकता है, और यह भी कि वह जुर्माना का भी भागी होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 166ख {200 BNS}पीडित का उपचार न करने के लिए दण्ड – जो कोई भी, जिसके देखरेख में अस्पताल है, चाहे अस्पताल निजी हो या सार्वजनिक, चाहे इसका संचालन केन्द्र सरकार करती हेा या राज्य सरकार, स्थानीय संस्था या कोई अन्य व्यक्ति दं.प्र.सं. 1973, (1974 का 2) **{BNSS 2023}** की धारा 357ग **{397 BNSS}** में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 295 {298 BNS}:–जो कोई उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्द्वारा अपमान किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्मान या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 295क {299 BNS}:–जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित व विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरुपणों द्वारा या अन्यथा

PTS JODHPUR

करने या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनो में से किसी भी भांति के कारावस से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 296 {300 BNS}– धार्मिक जमाव में विघ्न करना – जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छया विघ्न करेगा, वह दोनों में किसी भांति के करावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 297 {301 BNS}– कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना– जोकोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर, या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा। वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 298 {302 BNS}– धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि– जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आश्य से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता 299 {100 BNS}–आपराधिक मानव वध–जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1–वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित करता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2–जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

स्पष्टीकरण 3–मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

उदाहरण– क यह जानता है कि **य** एक झाड़ी के पीछे है **ख** यह नहीं जानता। **य** की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे **य** की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, **ख** को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। **ख** गोली चलाता है और **य** को मार डालता है। यहां पर हो सकता है कि **ख** किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु **क** ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।

भारतीय दंड संहिता धारा 300 {101 BNS}– हत्या– एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है,

पहला–यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह उपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

PTS JODHPUR

चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी–पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

उदाहरण–(क) **य** को मार डालने के आशय से **क** उस पर गोली चलाता है परिणास्वरूप **य** मर जाता है। **क** हत्या करता है।

(ख) **क** किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। **क** हत्या का दोषी है।

अपवाद 1 –आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर व अचानक प्रकोपन से वह आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मत्यु कारित करें या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, भूल या दुर्घटना, कारित करें।

किन्तु उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अधीन हैः–

पहला–यह है कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या उपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छा से प्रकोपित न हो। **दूसरा**–यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात से न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। **तीसरा**–यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

उदाहरण–

(क) **य** द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आदेश के असर में **म** का, जो **य** का शिशु है, **क** साशय वध करता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

(ख) **य** की नाक खींचने का प्रयत्न **क** करता है। **य** प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए **क** को पकड़ लेता है। परिणास्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह **य** का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

अपवाद 2 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावनापूर्ण प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा दी हुई उसे शक्ति से अधिक हानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। इसके विरूद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

उदाहरण– क को चाबुक मारने का प्रयत्न **य** करता है किन्तु इस प्रकार नहीं कि **क** को धोर उपहति कारित हो। **क** एक पिस्तोल निकाल लेता है। **य** हमले को चालू रखता है। **क** सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से **य** का वध कर देता है। **क** ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल अपराधिक मानव वध किया है।

अपवाद 3 :– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक की मदद देते हुए जो लोक न्याय के अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधि पूर्ण ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावनापूर्ण विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित हो गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करें।

अपवाद 4 :– आपराधिक मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्णचिन्तन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया है।

अपवाद 5 :– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए।**उदाहरण– य** को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसा कर **क** उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। यहां, कम उम्र होने के कारण **य** उपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए **क** ने हत्या का दुष्प्रेरण किया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 301 {102 BNS}—जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करके, जिसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसका आशय था या वह जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।

भारतीय दंड संहिता धारा 302 {101(1) BNS}— हत्या के लिए दण्ड — जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माना से भी दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 303 {104 BNS}—आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दण्ड। जो भी कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, तो उसे मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा। यह एक गैर—जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 {105 BNS}— हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड—जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डित होगा।

अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304''ए'' {106 BNS}— उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना—जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304''ख'' {80 BNS}—दहेज मृत्यु—(1) जहां विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से या शारीरिक क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती हैं और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की या उसे तंग किया था तो इसे दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार मृत्यु कारित करने वाला समझा जावेगा।
स्पष्टीकरण—इस उप धारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय यही है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है।
(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह उतनी अवधि तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो 7 वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा। लेकिन जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 305 {107) BNS}शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई नाबालिग (जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम हो), उन्मत्त, भ्रांतचित्त, मूर्ख व्यक्ति, या कोई व्यक्ति जो नशे की अवस्था में है, आत्महत्या कर ले तो जो भी कोई ऐसी आत्महत्या के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्युदण्ड, या आजीवन कारावास या कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की न हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा ।
तो उसे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे अधिकतम दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

PTS JODHPUR

लागू अपराध–नाबालिग, उन्मत्त, भ्रांतचित्त, मूर्ख व्यक्ति, या कोई नशे की अवस्था में व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण।

सजा – मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या दस वर्ष तक कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 306 {108 BNS}– आत्म हत्या का दुष्प्रेरण– यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 307 {109 BNS}–हत्या करने का प्रयत्न–जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति करेगा, यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या का दोषी होगा।

दण्ड– (1) दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाई जाये तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

(2) कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो तब यदि उपहति कारित हुई हो तो मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

उदाहरण– य का वध करने के आशय से **क** उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि य की मृत्यु हो जाती, तो **क** हत्या का दोषी होता। **क** इस धारा के अधीन दण्डनीय है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 308 {110 BNS}–आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न– जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

उदाहरण– क गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में, **य** पर पिस्तोल चलाता है कि यदि तद्द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। **क** ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न – जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 319 {114 BNS}:– उपहति (चोट):–जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग अंग–शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।

धारा 320 {116 BNS}:– घोर उपहति –

पहला–नपुसंकता

दूसरा–किसी भी आंख की दृष्टि को स्थाई रूप से समाप्त करना।

तीसरा–दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति स्थाई रूप से नष्ट करना।

चौथा–किसी भी अंग या जोड. का विच्छेद।

पांचवा–किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या स्थाई नाश।

छठा–सिर या चेहरे का स्थाई विद्रूपीकरण।

सातवां–अस्थि या दांत का भंग या विसंधान।

आठवा–ऐसी चोट पहुंचाना जिससे 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रहे वह मामूली काम करने में असमर्थ रहें।

धारा 321 {115(1) BNS}– स्वेच्छया उपहति कारित करना–जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह ''स्वेच्छया उपहति करता है'' यह कहा जाता है।

PTS JODHPUR

धारा 322 {117(1) BNS}–जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिससे कारित करने का आशय या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है और घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता, घोर उपहति हो, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति करता है यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण –कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है। सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित है तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 323 {115(2) BNS}– स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड– उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 324 {118(1) BNS}–खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना– तेज या धारादार हथियार द्वारा, अग्नि द्वारा तप्त पदार्थ द्वारा, जहर द्वारा, विस्फोटक द्वारा जीवजन्तु द्वारा रासायनिक पदार्थ द्वारा स्वेच्छया चोट पहुँचाना।

दण्ड– तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों।

भारतीय दंड संहिता की धारा 325 {117(2) BNS}– स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड– उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 326 {118(2) BNS}– खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना– धारदार व खतरनाक उपकरण द्वारा, अग्नि, तप्त पदार्थ, विष, विस्फोटक पदार्थ जीवजन्तु द्वारा जानबूझकर गम्भीर चोट पहुचाएगा।

दण्ड– आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास और जुर्माना।

धारा 326क {124(1) BNS}ः अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छाया घोर उपहति कारित करना – किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का, ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहति कारित करें, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित कारित करता है या निःशक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 326ख {124(2) BNS}ः स्वेच्छया अम्ल फेंककर या फेंकने का प्रयत्न करना – जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पॉच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 – धारा 326क **{124(1) BNS}**और इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''अम्ल'' में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसे शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतचिहन्न बन जाते हैं या क्षति करने योग्य अस्थायी या स्थायी निःशक्तता हो जाती है।

PTS JODHPUR

स्पष्टीकरण 2 – धारा 326क **{124(1) BNS}**और इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकास का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 327 {119(1) BNS}–सम्पति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना– जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्‌दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए।**दण्ड–** दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

भारतीय दंड संहिता की धारा 332 {121(1) BNS}– लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना–लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्त्तव्य की विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर साधारण चोट कारित करना। सजा–तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।

भारतीय दंड संहिता की धारा 353 {132 BNS}–लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा।
दण्ड– दो वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) BNSS

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 41 {35(1)/(2) BNSS}पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी–(अ)कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है–

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है;

(ख) जिसके विरूद्धउचित शिकायत की गयी हो या विश्वसनीय सूचना प्राप्त की गई हो या उचित शक हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय है जो सात वर्ष से कम हो या जो सात वर्ष तक हो सकता है चाहे जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो, यदि निम्नलिखित शर्तो को पूर्ण किया जाता हो अर्थात–

(1) ऐसी शिकायत सूचना या शक के आधार पर पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया;

(2) पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है–

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई दूसरा अपराध कारित करने से रोकने ;या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध का साक्ष्य गायब करने से या किसी अन्य तरीके से ऐसा साक्ष्य के साथ छेडछाड करने से रोकने या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति जो मामले के तथ्यों से अवगत हों पर दबाव भय या उत्प्रेरण करने से ऐसे व्यक्ति को रोकने ताकि न्यायालय को या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से उसे रोका जा सकें;या

(ड) जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाये तब तक उसकी न्यायालय में उपस्थिति हेतु जब कभी अपेक्षित हो;

और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार करते समय अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

(खक) जिसके विरूद्ध विश्वसनीय सूचना यह प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध कारित किया जो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय है जो सात वर्ष से अधिक तक हो सकेगा चाहे जुर्माने के

PTS JODHPUR

साथ हो या जुर्माने के बिना हो या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हो ओर पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना के आधार पर यह विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;
(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है
(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है
(ड) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है ज बवह अपना कतर्व्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है; अथवा
(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है; अथवा
(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किये जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में में दण्डनीय होता औरजिसके लिए वह प्रत्यपर्ण संबंधी किसी बिधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकडे जाने का या अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने का भागी है संबंद्ध रह चुका है या जिसके विरूद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंद्ध रह चुका है; अथवा
(ज) जो छोडा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये किसी नियम को भंग करता है; अथवा
(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है परंतु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है ओर उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्दित है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।
(2) धारा 42 के प्रावधानों के अध्यधीन, असंज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी व्यक्ति या जिसके विरूद्ध शिकायत की गई या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या इस प्रकार संबंधित होने का शक हो मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।)

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 41क {35(3) से (6) BNSS} पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना

(1) पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलो में जहां किसी व्यक्ति को धारा 41 **{35(1) BNSS}**की उपधारा (1) के उपबंधों के तहत गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं हो, अपने समक्ष या एक सी अन्य जगह पर जिसे नोटिस में वर्णित किया जायें उसे उपस्थित होने के लिए ऐसे व्यक्ति जिसके विरूद्ध उचित शिकायत की गयी हो, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या उचित शक हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है को निर्देश प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर सकता है।
(2) जहां किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया हो वहां नोटिस की पालना करना उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा।
(3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करता है और पालना करना जारी रखता है वहां नोटिस में वर्णित अपराध के संबंध में उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तके कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के लिए पुलिस अधिकारियों की यह राय नहहीं हो कि उसे गिरतार किया जाना चाहिए।
(4) जहां किसी भी समय ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करने में नाकाम हो जाता है वहां ऐसे आदेशों के अध्यधीन जिन्हें सक्षम न्यायानलय द्वारा इसी संबंध में पारित किया गया हो, नोटिस में वर्णित अपराध के लिए उस गिरफ्तार किया जाना पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 41ख {36 BNSS} गिरफ्तारी की प्रकिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का कर्तव्य

गिरफ्तार करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी–
(क) अपने नाम की सही दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा जो उसकी सहज पहचान को सुविधाजनक करें;
(ख) फर्द गिरफ्तारी तैयार करेगा, जिसे–
(1) कम से कम एक ऐसे गवाह द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो, जहां गिरफ्तारी की गयी हो;

PTS JODHPUR

(2) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा; और
(ग) गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचना प्रदान करेगा जब तक कि फर्द उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रमाणित नहीं की जायें कि उसके पास उसके द्वारा बनाये गये रिश्तदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 41ग {37 BNSS} जिलों में नियंत्रण कक्ष–
(1) राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा–
(क) प्रत्येक जिले में; और (ख) राज्य स्तर पर।
(2) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्षों के बाहर रखे गये नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते ओर उन पुलिस अधिकारियों जिन्होंने गिरफ्तारियों की के नाम व पदनाम लिखवायेगी।
(3) राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष समय–समय पर गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में उस अपराध की प्रकृति के बारे में जिससे उन्हें आरोपित किया गया, विवरण एकत्रित करेगा औरआम जनता की सूचना के लिए आंकडे रखेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 41घ {38 BNSS} पूछताछ के दौरान उसकी पसन्द के वकील से मिलने के लिए गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का अधिकार–
जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तारकिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो वह पूछताछ के दौरान यद्यपि संपूर्ण पूछताछ में नहीं अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 42 {39 BNSS}नाम और निवास से इनकार करने पर गिरफ्तारी–(1) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभुओं सहित या रहित यह बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा;
परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंध पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जायेगा।
(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के अन्दर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किये जाने पर जर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 43 {40 BNSS} प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया–(1) कोई प्राइवेट व्यक्तिकिसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जायेगा या भिजवायेगा।
(2)यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 **{35 BNSS}**के उपबन्धों के अन्तगर्त आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर गिरफ्तार करेगा।
(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तो उसके विषय में धारा 42 **{39 BNSS}**के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, किन्तु यदि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हैकि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड दिया जायेगा।

PTS JODHPUR

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 44 {41 BNSS} मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी– (1) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई अपराध किया जाता है त बवह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।
(2) कोई कार्यपाालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किकसी भी समय अपनी स्थानिय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हैया ।अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निदेश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन पिरस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 45 {42 BNSS} सशस्त्र बनों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण– (1) धारा 41 से धारा 44 **{35 से 41 BNSS}**तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी संघ के संशस्त्र बनों को कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा कीगई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तक केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ही जाती।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाये रखने का कार्यभार सौंपा गया है जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों उपधारा(1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें आने वाले ''केन्द्रीय सरकार'' पद के स्थान पर ''राज्य सरकार'' पद रख दिया गया हो।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 46 {43 BNSS} गिरफ्तारी कैसे की जायेगी–(1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतःछुएगा या परिरूद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।
परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना हो जब तक कि परिस्थितियों प्रतिकूलता नहीं दर्शाती हों, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए उसका निवेदन उपधरित किया जायेगा और जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा नहीं करे या जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला नहीं हो पुलिस अधिकारी महिला की गिरफ्तारी करने के लिए महिला के शरीर को नहीं छुंएगा।
(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किये जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।
(3) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधका अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 47 {44 BNSS} उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है–(1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी हो यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अन्दर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाले या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वार मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधांए देगा।
(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अधीन नहीं हो सकता तेा किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किन्तु गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां की तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो किसी बाहरी या भीतरी द्वारा या खिडकी को तोडकर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहींकर सकता।

PTS JODHPUR

परंतु यदि ऐसा कोई स्थान या ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न) ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिये उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोडकर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है।

(3)कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वारा या खिडकी अपने को या अन्य किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरूद्ध है मुक्त करने के लिए तोडकर खोल सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 48 {45 BNSS}अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना–पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 49 {46 BNSS}अनावश्यक अवरोध न करना– गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उससेअधिक अवरूद्ध न किया जायेगा, जितना उसका निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 50 {47 BNSS}गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना–

(1) किसी व्यक्ति को वांरट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टयां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंटके बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोडें जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 50क {48 BNSS}गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता–

(1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में रखा जाता है ,उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्ट कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गईहै पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।

(4) उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है यह कर्तव्य होगा किवह अपना समाधान करे कि उप–धारा (2) और उप–धारा(3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 51 {49 BNSS}गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी–

(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिये जाने का उपबंध नही करता है या ऐसे वारन्ट के अधीन जो जमानत लिये जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरपतार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है कोई व्यक्ति गिरपतार किया जाता है तथा

जब कभी कोई व्यक्ति वारन्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारण्ट के अधीन गिरपतार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है .

तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तार प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोडकर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता हैऔर जहां गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे

PTS JODHPUR

व्यहिक्त को एक रसीद दी जाती है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे मं की गई वस्तुएंसय दिर्शित होंगी।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तालशी कराना आवश्यक हेा तब ऐसी तलााशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 52 {50 BNSS}आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति– वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हों ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा। जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 53 {51 BNSS}पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा– (1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी के लिये और सद्भावना पूर्वक उसकी सहायता करने में ओरउसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिये यह विधिपूर्ण होगा ि कवह गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करें जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें,अभिनिश्चित करने के लिये उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।
(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।
स्पष्टीकरण– इस धारा में और धारा 53क **{52 BNSS}**और धारा 54 **{53 BNSS}**में–
(क) **''परीक्षा''** में खून, खून के धब्बों , सीमेन लैंगिक अपराधों की दशा में सुआब थूक और स्वेद बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत डी. एन.ए.प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता सम्मिलित होंगे।
(ख) **''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी''** से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 53क {52 BNSS}बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा– (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्ववास करने के उचित आधार है कि इस व्यक्ति की परीक्षा या ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अपताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उप–निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।
(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करेगा ओर उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसमें निम्नलिखित विशिष्टयां दी जाएंगी, अर्थात–
(क) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता;
(ख) अभियुक्त की आयु;
(ग) अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो,
(घ) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन और
(ड) उचित ब्यौरे सहित , अन्य तात्विक विशिष्टयां।
(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएगें जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) परीक्षा प्रारम्भ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अकिंत किया जाएगा।
(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी , बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 173 **{193 BNSS}**में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप–धारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 54 {53 BNSS}गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच– (1) जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे केन्द्रीय या राज्य सरकारी की सेवा में चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षित किया जायेगा और यदि चिकित्सा अधिकारी उपस्थितनहीं हो तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा उसकी गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात परीक्षित किया जायेगा;
परंतु जहां गिरफ्तारी व्यक्ति महिला हो वहां शरीर की जांच केवल महिला ओफिसर के अधीक्षण के अधीन या उसके द्वारा की जायेगी ओर यदि महिला मेडिकल ओफिसर उपलब्ध नहीं हो तो महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा की जायेगी।
(2) इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करने वाला मेडिकल ओफिसर या रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर ऐसी जांचख का रिकोर्ड तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति पर किन्हीं चोटों या हिंसा के निशान और अनुमानित समय, जब ऐसी चोटें या निशान कारित किये गये हों, वर्णित करेगा।
(3) जहां उप–धारा (1) के अधीन जांच की गई हो वहां ऐसी जांच की रिपोर्ट की एक प्रति मेडिकल ओफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर यथास्थिति द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को या ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताये गये व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 54क {54 BNSS}गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त– जहां कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेशण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य या किन्ही अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 55 {55 BNSS}जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया– (1) जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है वारंट के बिना (अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है त बवह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है ओर उस अपराध का या अन्य कारण का जिसकेक लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है ि कवह गिरफ्तारी करे ओर इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा ओर यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा।
(2) उप–धारा (1) की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 55क {56 BNSS}गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा– अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की उचित देखभाल करना अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 56 {57 BNSS}गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना– वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलम्ब के बिना ओर जमानत के संबंध में इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 57 {58 BNSS}गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरूद्ध न किया जाना– कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखेगाजो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा

PTS JODHPUR

ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 **{187 BNSS}**के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोडकर चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 58 {59 BNSS}पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना– पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निदेश देने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने–अपने थानों की सीमाओं के अन्दर वारंट के बिना गिरफ्तार किये गये सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेगें चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 59 {60 BNSS}पकडे गये व्यक्ति का उन्मोचन– पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 60 {61 BNSS}निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड लेने की शक्ति–

(1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुडा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुडाया गया है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन गिरफ्तार को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति वारंट के अधीन के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 60क {62 BNSS}गिरफ्तार पूर्णतःसंहिता के अनुसार की जाये–कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जायेगी सिवाय इस संहिता के प्रावधानों की अनुपालना में या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि की अनुपालना में।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 100 {103 BNSS}बंद स्थान की तलाशी की प्रक्रिया – (1) मकान का भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी को जो तलाशी वारंट की तामील कर रहा है प्रवेश करने व तलाशी के लिये उसे उचित सुविधा देगा। (2) उक्त रीति से प्रवेश प्राप्त नहीं होने पर धारा 47 **{44 BNSS}**की उपधारा 2 में उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा । (3) ऐसे स्थान में या उसके आस–पास संदेहास्पद व्यक्ति जो ऐसी वस्तु छुपाये हुये है जिसकी तलाशी ली जानी है उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है यदि वह स्त्री है तो उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखकर अन्य स्त्री द्वारा लिवाई जायेगी।

(4) मकान या उस व्यक्ति की तलाशी से पूर्व दो साक्षियों को रखा जायेगा जो स्वतंत्र व प्रतिष्ठित हो। उनको लिखित में भी आदेश जारी कर सकता है वापसी तलाशी लेने से पूर्व पुलिस ऑफिसर साक्षियों के सामने मकान मालिकको अपनी तलाशी देगा। (5) तलाशी एक सिरे से आरंभ की जाकर सेक्टरों में बांकटकर अनुक्रम में होनी चाहिये। (6) ततलाशी के समय वे सब चीजें जिन–जिन सीानों में पाई गई हैं उसकी सूची तैयार की जाकर साक्षियों को पढकर सुनाई जाकर हस्ताक्षर कराये जायेगें। (7) तलाशी लेते समय मकान का भारसाधक या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हाजिर रहने की आशा की जायेगी तथा सूची की एक प्रति उसे दी जायेगी। (8) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अनुसार की जाती है तो उन सबकी सूची तैयार कर उसकी एक प्रति उसे भी दी जायेगी तलाशी के प्श्चात पुलिस ऑफिसर अपनी जामा तलाशी देकर वाहर निकलेगा। तलाशी के समय वारंट दिखाया जायेगा विशेष परिस्थितियों को छोडकर तलाशी सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच ली जानी चाहिये।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 102 {106 BNSS}चुराई हुई सम्पत्ति व अपराध का वजह सबूत जब्त करने की शक्ति– (1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी सम्पत्ति को अधिग्रहित कर सकता हे जिसके बारे में यह संदेह हो कि चुराई हुई है या ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनपसे किसी अपराध के किये जाने का संदेह हो।

(2) यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस सअधिकारी को तत्काल देगा।

(3) पुलिस अधिकारी अधिग्रहण की रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को देगा। और यदि सम्पत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है तो उस सम्पत्ति को किसी

PTS JODHPUR

ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो वचनबद्ध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि जब कभी भी अपेक्षा की जाये वह उस सम्पत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा ओर उसके व्ययन बावत न्यायालयों के आदेशों की

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 106 {125 BNSS}दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति –

(1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिये सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशान्ति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाएं तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दण्डादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिये जितनी वह ठीक समझे परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करें

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैः–

(क) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 8 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जो धारा 153क **{196 BNS}**या धारा 153ख **{197 BNS}**या धारा 154 **{193(1) BNS}**के अधीन दण्डनीय अपराध से भिन्न हैः

(ख) कोई ऐसा अपराध जो या जिसके अन्तर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी करना है;

(ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध;

(घ) कोई अन्य अपराध जिससे परिशान्ति भंग हुई है या जिससे परिशान्ति भंग आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशान्ति भंग सम्भाव्य है।

(3) यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बन्धपत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या किया जा सकेगा।

• दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 107 {126 BNSS}अन्य दशाओं में परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति–

(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशान्ति भंग हो जाएगी या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसकेक पश्चात उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिये जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशान्ति कायम रखने के लिये उसे बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो जहां स्थान वहां परिशान्ति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर है या ऐसी अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे सम्भाव्यः परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशन्ति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोइ सदोष कार्य करेगा।

• दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 108 {127 BNSS}राजद्रोहात्मक बातों को फेलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति–

(1) जब किसी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अन्दर या बाहर–

(अ) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साक्ष्य फैलाता है या फेलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है अर्थात –

(क) कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क **{196 BNS}**या 153ख **{197 BNS}**या धारा 295क **{299 BNS}**के अधीन दंडनीय है, अथवा

(ख) किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा हैया कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है अथवा

(ब) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 **{294 BNS}**में यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता उत्पादित करता प्रकाशित करता या रखता है आयात करता है निर्यात करता है प्रवहण करता है विक्रय करता है भाडे पर देता है वितरित करता है सार्वजनिक रूप से प्रदिर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है।
और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके प्श्चात उपबधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वहा कारण दर्शित करे कि एक एक वर्षसे अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उएसे अपने सदाचार के लिये प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाये।
(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में दिये गये नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप सम्पादित मुद्रित औरप्रकाशित किसी प्रकाशन में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के सम्पादक स्वत्वधारी मुद्रक या प्रकाशक के विरूद्धराज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अधिकारी के आदेश से उसके प्राधिकार के अधीन ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

● **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 109 {128 BNSS}संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति**–
(1)जब किसी कार्यापालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिये पूर्वावधानियों बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संज्ञेय अपराधकरने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिये प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाए।

● **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 110 {129 BNSS}अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति**–जब किसी कार्यापालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी सीनीय अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है–
(1) अभ्यास लुटेरा गृहभेदक चोर या कूटरचयिता हैं अथवा
(2) चुराई हुई सम्पत्ति का दउसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतः प्रापक है अथवा
(3) अभ्यासतः चोरों की संरक्षता करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है अथवा
(4) व्यपहरण अपहरण उद्दापन छल या रिष्टी का अपराध या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489क, **{178 BNS}**धारा 489ख, **{189 BNS}**धारा 489ग, **{180 BNS}** या धारा 489घ **{181 BNS}**के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है अथवा
(5) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रचयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता हैजिनमें परिशान्ति भंग समाहित है अथवा
(6) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने बका दुष्प्रेरण करता है
(7) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) या
(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिये उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है
(8) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है;
तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा केर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाय।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 111 {130 BNSS}आदेश का दिया जाना – जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 107 से 110 **{126 से 129 BNSS}**के अधीन कार्य कर रहा है, एवं आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए उपस्थित हो का लिखित आदेश देगा।

PTS JODHPUR

दण्ड प्रक्रिया संहिता 112 {131 BNSS}न्यायालय में उपस्थिति व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया – धारा 111 **{130 BNSS}** के तहत उपस्थित होने पर आदेश को पढकर सुनाया जाएगा तथा सार समजाया जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 113 {132 BNSS}ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन/वारण्ट जो उपस्थित नही है– धारा 111 **{130 BNSS}**के तहत यदि वह व्यक्ति उपस्थित नही है, तो उसे हाजिर होने के लिए सम्मन एवं आवश्यकता होने पर अभिरक्षा में लेने हेतु वारण्ट जारी करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 114 {133 BNSS}सम्मन/वारण्ट के साथ आदेश की प्रति देना– धारा 111 **{130 BNSS}**के तहत दिये गये आदेश की प्रति साथ में परिदत्त की जाएगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 115 {134 BNSS}व्यक्तिगत हाजरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति – मजिस्ट्रेट को प्रर्याप्त कारण दिखाई देता हे तो व्यक्तिगत हाजरी से अभिमुक्ति दे सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 116 {135BNSS}इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच– 1. जब धारा 111 **{130 BNSS}**का आदेश दिया गया है एवं व्यकित न्यायालय मे उपस्थित है, मजिस्ट्रेट जांच के लिए अग्रसर होगा एवं अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है 2. ऐसी जांच ऐसी रिती से की जाएगी जो मामलों के विचारण के लिए की जाती है। 3. उप धारा 1 के अधीन जांच प्रारम्भ होने के पश्चात तथा समाप्ति पूर्व यदि मजिस्ट्रट समझता है कि या लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो कारणों को लेखबद्ध करते हुए निर्देश दे सकता है कि जांच समाप्ति तक परिशान्ति कायम रखने हेतु बन्ध पत्र निस्पादित करे एवं जब तक ऐसा बन्धपत्र निस्पादित नही कर दिया जाता या नही करने पर जांच समाप्ति तक अभिरक्षा में निरूद्ध रख सकता है (107 द.प्र.सं. **{126 BNSS}**पर लागु नही)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 117 {136 BNSS}प्रतिभूति देने का आदेश – यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति बन्ध पत्र सहित या रहित निस्पादन का आदेश देगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 118 {137 BNSS}उन्मोचन– यदि 116 **{135 BNSS}**के अधीन जांच साबित नही होती है तो उन्मोचित करेगा या गिरफ्तार हेतु छोड़ दिया जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 119 {138 BNSS}जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारम्भ – (1) यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 **{125 BNSS}**या धारा 117 **{136 BNSS}**के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिये जाने के समय कारावास के लिए दण्डादिष्ट है, या दण्डादेश भूगत रहा है, तो वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसे दण्डादेश के अवसान पर प्रारम्भ होगी।

(2) अन्य दशाओं में ऐसी अवधि, ऐसे आदेश की तारीख से प्रारम्भ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट प्रर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न करे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 120 {139 BNSS}बन्ध पत्र की अर्न्तवस्तु – ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बन्धपत्र उसे, यथा स्थिति परिशान्ति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा, और बाद की दशा में कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे, वह कंही भी किया जा, बन्ध पत्र का भंग है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 121 {140 BNSS}प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति – (1) मजिस्ट्रेट किसी पेश किये गये प्रतिभू को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है या अपने द्वारा, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा, इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किये गये किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बन्ध पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। (2) ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के लिए प्रतिभू को उचित अवसर देगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 122 {141 BNSS}प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास– यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 117 **{136 BNSS}**के अधीन प्रतिभूति के लिए आदेश दिया गया है, एवं प्रतिभूति नही देता है, तो अवधि समाप्ति तक निरूद्ध कर लिया जाएगा। यदि 117 **{136 BNSS}**के अधीन बन्ध पत्र निस्पादित कर दिया जाता है एवं उसके पश्चात यदि साबित कर दिया जाए कि बन्ध पत्र को भंग

PTS JODHPUR

किया गया है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे सबूत को लेखबद्ध कर बन्ध पत्र की अवधी समाप्त होने तक जेल में निरूद्ध रखने का आदेश जारी कर सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 123 {142 BNSS}प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कि शक्ति

दण्ड प्रक्रिया संहिता 124 {143 BNSS}बन्ध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति – (1) जब वह व्यक्ति जिसको हाजरी के लिए धारा 121 **{140 BNSS}**की उपधारा 3 के परन्तु के अधीन या धारा 123 **{142 BNSS}**की उपधारा 10 के अधीन समन या वारण्ट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बन्ध पत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बन्ध पत्र की अवधि के शेंष भाग के लिए उसी भांती की नयी प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा।

- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 129 {148 BNSS}सिविल बल प्रयोग द्वारा जमाव को तितर–बितर करना–**

(1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का एस.एच.ओ. या एस.एच.ओ. की अनुपस्थिति में एस. आई. से कम रैंक का न होाने वाला पुलिस अधिकारी किसी विधि विरूद्ध जमाव को जिससे लोकशान्ति भंग होने की संभावना हो तितर–वितर होने का आदेश दे सकता है तब ऐसे जमाव के सदस्यों का कर्त्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर–बितर हो जायें।

(2) यदि ऐसा समादेश दिये जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर–बितर नहीं होता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बल प्रयोग द्वारा जमाव को बल द्वारा तितर–बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और जमाव में सम्मिलित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने व निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है।

- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 130 {149 BNSS}जमाव को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग–**

(1) ऐसा जमाव अन्यथा तितर–बितर नहीं किया जा सकता लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर–बितर किया जाये तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देश सेस उन्हेकं गिरफ्तार या निरूद्ध निरूद्ध कर सकता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल की टुकडी का नेततृत्व कर रहा है उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने नेतृत्व के सस्त्र बल से जमाव को तितर–बितर कर देव मजिस्ट्रेट के निर्देश से उन्हें गिरफ्तार या निरूद्ध करें।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी इतने ही बल का प्रयोग करेगा ओर शरीर व सम्पत्ति को इतनी ही हानि पहुंचायेगा जितनी उस जमाव को तितर–बितर करने गिरफ्तार करने, निरूद्ध करने के लिये आवश्यक हैं।

- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 131 {150 BNSS}जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति–**जब कोई जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटपन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है और ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए जमाव में सम्मिलित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है,

किन्तु यदि वह उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना उसके साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा तथा ऐसी कार्यवाही चालू रखे या नहीं इसके संबंध में मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा।

- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 132 {151 BNSS}पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यो के लिए अभियोजन से सरंक्षण–**

(1) किसी कार्य के लिये जो धारा 129, 130, या 131 **{148,149,150 BNSS}**के अधीन किया गया तात्पर्यिक है या व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोजन किसी दण्ड न्यायालय में–

(क) जहां ऐसा व्यक्ति जो शसस्त्र बल को कोई अधिकारी या सदस्य है वहां केन्द्रयी सरकार कि बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

PTS JODHPUR

(ख) किसी अन्य मामलें मेंराज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।
(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में–
(ख) धारा 129 या 130 **{148,149 BNSS}**के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में।
(ग) धारा 131 **{150 BNSS}**के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में।
(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिये आबद्ध हो उसके पालन में किये गये किसी कार्य के लिये उस सदस्य के बारे में।
(3) इस धारा में और इस धारा की पूर्ववर्ती धाराओं–
(क) ''सशस्त्र बल'' पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना नौसेना अभिप्रेत है ओर इसके अर्न्तगत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी है।
(ख) सशस्त्र बल के संबंध में ''अधिकारी'' के सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त राजपत्रित या वेतन भोगी अभिप्रेत है और इसके अर्न्तगत कनिष्ठ आयुक्त आफिसर वारंट ऑफिसर पेटी ऑफिसर अनायुक्त ऑफिसर तथा राजपत्रित ऑफिसर भी है।
(ग) सशस्त्र बल के संबंध में ''सदस्य'' से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न कोई उसका सदस्य अभिप्रेत है।

● दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 133 {152 BNSS}न्यूसेंस हटाने का आदेश–
(1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की इत्तिला प्राप्त होती है कि–
(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग नदी या जल सरणी में जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है, विधि विरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स हो रहा है।
(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना जो समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिये हानिकर है
(ग) किसी भव तम्बू सरंचना या कोई वृक्ष जिसका गिरना संभाव्य है और जिससे व्यक्तियों को हानि हो सकती है।
(घ) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे अग्निकांड या विस्फोट ओ जाना संभाव्य है।
(ड) कोई बिना बाड लगा हुआ तालाब कुंआ या उत्खात जो किसी मार्ग या लोक स्थान के पास में है।
(च) किसी भयानक जी जन्तु जिसे नष्ट परिरूद्ध या जिसका व्ययन किया जाना अपेक्षित है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार की बाधा या न्यूसेन्स को हटा देने का सशर्त आदेश दे सकता है ओर यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो कारण प्रदर्शित करने का आदेश दे सकता है एवं ऐसा न्यूसेन्स हटा सकता है।
(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी ओदश किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

● दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 134 {153 BNSS}– आदेश की तामील या अधीसूचना –(1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरूद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रिती से की जाएगी जो सम्मन की तामील के लिए उपबन्धित है। (2) यदि उपरोक्त प्रकार से तामील संभव नही है तो उसकी अधीसूचना ऐसी रिती से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे।

● दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 135 {154 BNSS}– जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा।

● दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 136 {155 BNSS}– यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नही करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नही करता है, तो वह 188 भा.द.स. का भागी होगा।

● दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 137 {156 BNSS}– जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है वंहा प्रक्रिया (1) यदि किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के लिए धारा 133 **{152 BNSS}**के अधीन कोई आदेश

PTS JODHPUR

किया जता है वहां वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध आदेश दिया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर न्यूसेन्स या खतरे के अस्तित्व से इन्कार करता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 138 **{157 BNSS}**के तहत कार्यवाही करने से पहले उस बात की जांच करेगा। (2) यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि उस व्यक्ति के इन्कार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही रोग देगा अन्यथा धारा 138 **{157 BNSS}**के अनुसार कार्यवाही करेगा।

- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 138 {157 BNSS}**– जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया – (1) यदि वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध धारा 133 **{152 BNSS}**के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करता है, मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है। (2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश सही है, जैसा मूलतः किया गया था तो वही जारी रहेगा। (3) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान नही होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नही की जाएगी।
- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 139 {158 BNSS}**– स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 140 {159 BNSS}– मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति**– जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 **{158 BNSS}**के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किये जाने के लिए निदेश देता है वहां मजिस्ट्रेट उसको लिखित अनुदेश देगा, व उसके आवश्यक व्यय किसके द्वारा किए जाऐंगें इस बाबत् लिखेगा।
- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 141 {160 BNSS}– आदेश अन्तिम कर दिये जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम** –जब धारा 136 या 138 **{155/157 BNSS}**के अधीन आदेश अन्तिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को इसकी सूचना देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि निर्दिष्ट कार्य नियम समय के अन्दर करें और इत्तिला देगा कि अवज्ञा करने पर 188 भा.द.स. **{223 BNS}**का भागी होगा। (2) और यदि ऐसा कार्य नियत समय के अन्दर नही किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करवा सकता है और किये गये खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य सम्पती के जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा या उस व्यक्ति की अन्य जंगम सम्पती के विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है और ऐसी सम्पती अधिकारिता से बाहर होने पर स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा कुक्री आदेश पृष्ठांकित कर सम्पति कुक्र कर सकता है।
- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 142 {161 BNSS}जांच के लंबित रहने तक व्यादेश** – (1) यदि धारा 133 **{152 BNSS}** के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गम्भीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरन्त उपाय किये जाने चाहिये ता वह उस मुताबिक आदेश देगा। (2) यदि ऐसे आदेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं उस खतरे का दूर करने या हानि निवारण के उपाय करेगा।
- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 143 {162 BNSS}मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेन्स की पुनरावर्ती या उसे चालु रखने का प्रतिषेध कर सकता है।**
- **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 {163 BNSS}:**– न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति–

(1) उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिये र्प्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपाय किया जाना वांछनीय है तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्यविशेष नहीं करने या कोई अपने कब्जे की विशिष्ट संपत्ति की कोई विशेष व्यवस्था करने का निर्देश उस दिशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसा निर्देश विधिपूर्ण नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या लोकशांति विक्षुब्ध होने का या बल्वे या दंगें का निवारण हो जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशा में पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र में निवास कराने वाले व्यक्तियों को निर्दिष्ट किये जा सकता है।

PTS JODHPUR

(4) इस धारा के अधीन आदेश दिये जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत नहीं रहेंगे विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक हो सकती है।
(5) कोई मजिस्ट्रेट स्वप्रेरणा या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है जो या तो उसने दिये हैं या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने दिये हैं।
(6) राज्य सरकार अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश को स्वप्रेरणा या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है।
(7) जहां उपधारा 5 या 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या उसके प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने या आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर देगी और यदि आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगी।

• **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144क :–** किसी कवायद या प्रशिक्षण में आयुध ले जाने पर प्रतिषेध की शक्ति :–
(1) जिला मजिस्ट्रेट, जब कभी यह समझता है कि क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने या लोक सुरक्षा या लोक शान्ति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है तो वह अपने क्षेत्राधिकार में किसी आदेश द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में या किसी लोकस्थान में किसी कवायद या प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार के आयुध ले जाने या रखने पर प्रतिषेध कर सकता है।
(2) इस धारा के अधीन जारी किया गया आदेश किसी समुदाय, पार्टी या किसी संगठन के लिए हो सकता है।
(3) इस धारा के अधीन जारी किया गया आदेश जारी किए जाने के 3 मास से ज्यादा प्रभावी नहीं होगा।
(4) यदि राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है तो जिला मजिस्ट्रेट जारी किए गए आदेश को 6 मास तक जारी रखने हेतु आदेश जारी कर सकती है, किन्तु आदेश में जारी रखने के संबंध में कारण प्रदर्शित किए जाएंगें।
(5) राज्य सरकार उपधारा 4 में वर्णित प्रयोजन के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर सकती है।

• **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 145 {164 BNSS}जहां भूमि या जल से संबंद्ध विवादों से परिशन्ति भंग होना संभाव्य है वहां प्रकिया**–भूमि जल से संबंधित विवादों में उत्पन्न शान्ति भंग होने की संभावना है ऐास समाधान पुलिस रिपोर्ट या अन्य इत्तला से हो सकता है तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए विवाद से संबंधित पक्षकारों को लिखित आदेश देगा कि विनिर्दिष्ट तारीख ओर समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो व अपने–अपने दावे लिखित में पेश करें।

• **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 146 {165 BNSS}विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने व रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति :–**यदि धारा 145 **{164 BNSS}**के अन्तर्गत कोई इत्तला किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है और पर्याप्त जांच के पश्चात इस बात का समाधान नहीं होता है कि उस समय दोनो पक्षकारों में से किसका कब्जा ऐसी विवाद की विषयवस्तुं पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक कुर्क करने के आदेश दे सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है।

• **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 147 {166 BNSS}भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से सबंध विवाद** –(1) मजिस्ट्रेट विवाद से सबंधित पक्षकारों को विर्निदिष्ट तारीख और समय पर हाजिर होने के लिए आदेश देगा। (2)पक्षकारों को सुनेगा और सभी साक्ष्य लेगा। (3)अधिकार के प्रयोग में आने वाली बाधा को मजिस्ट्रेट हटाने का आदेश दे सकता है।

• **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 148 {167 BNSS}स्थानीय जांच** –जब कभी धारा 145,146,147 **{164,165,166 BNSS}**के प्रयोजन के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

• **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 149 {168 BNSS}पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना**– प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा।

PTS JODHPUR

● **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 150 {169 BNSS}संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला** –प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण या संज्ञान करना है।

● **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151 {170 BNSS}संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी**– कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

● **दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा– 152 {171 BNSS}लोक सम्पति की हानि का निवारण**– प्रत्येक पुलिस अधिकारी की दृष्टीगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक सम्पति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किये जाने पर वह उसका या किसी लोक भुमि, चिन्ह या नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाये जाने या उसे हानि पहुंचाये जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है।

जमानत के संबंध में प्रावधान

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 436 {478 BNSS}किन मामलों में जमानत ली जाएगी–

(1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है, या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और यदि वह जमानत देने के लिये तैयार है तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड दिया जायेगा।

परन्तु ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसे हाजिर होने की अपेक्षा करने के लिए प्रतिभूति रहित बन्धपत्र निष्पादित कर उन्मोचित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति जमानत पत्र की शर्तो का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे उसी मामले में न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोडने से इंकार कर सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 436ए {479 BNSS}– अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है –

➢ जहां कोई व्यक्ति मृत्यु दण्ड से भिन्न किसी अपराध में अन्वेषण या जांच या विचारण के प्रक्रम में कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस अपराध के लिए विर्निदिष्ट की गई है, आधे से अधिक अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा प्रतिभूति सहित या रहित व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड दिया जाएगा।

➢ परन्तु न्यायालय लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात व उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध जारी रखने का आदेश कर सकेगा या प्रतिभूति सहित या रहित व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड दिया जाएगा।

➢ कोई व्यक्ति किसी अन्वेषण या जांच या विचारण के दौरान उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 437 {480 BNSS}अजमानतीय अपराध की दशा में कम जमानत ली जा सकेगी–

(1) जब कोई वारंट अजमानतीय अपराधका अभियुक्त है और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय द्वारा जमानत पर छोडा जा सकता है किंतु–

(अ)यदि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषी है तो उसे नहीं छोडा जायेगा।

(ब) यदि कोई ऐसा अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिये पहले दोषसिद्ध किया गया है या तीन वर्ष या उससे

PTS JODHPUR

अधिक के लिए किन्तु सात वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध के लिये दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह नहीं छोडा जायेगा ।

➢ किंतु 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति स्त्री रोगी या विकलांग व्यक्ति को न्यायालय न्यायोचित होने पर छोडा सकता है जमानत पर छोड दिये जाने पर अपराधी वचन देता है कि वह न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को पालन करेगा।

➢ केवल इस आधार पर जमानत के लिए इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने में हो सकती है।

➢ किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है जिसका दण्ड मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक का है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोडा जाएगा।

(2) यदि न्यायालय को अन्वेषण या जांच के क्रम में यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है किन्तु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के आधार है तो न्यायालय स्व–विवेकानुसार उसे जमानत पर छोड सकता है।

(3) जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधकरने का अपराधी है या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोगी है और उसे जमानत पर छोंडा जाता है तो न्यायालय

(क) यह हसुनिश्चित करने के लिये कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित शर्तो के अनुसार हाजिर होगा

(ख) कोई अपराध नहीं करेगा;

(ग) मामले से संबंधित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा व साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा

(घ) अथवा न्याय केहित में कोईभी ऐसी शर्त जिसे न्यायालय आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकता है।

(4) जमानत पर किसी व्यक्ति को छोडने वाला अधिकारी या न्यायालय जमानत पर छोडने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(5) यदि कोई न्यायालय जिसेने किसी व्यक्ति को जमानत पर छोडा है ओर यदि वह आवश्यक समझता है तो उस व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है।

(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अजमानतीय अपराध के अभियुक्त का विचारण साक्ष्य देने के लिये साठ दिन की अवधि में पूरा नहीं हो पाता है और यदि वह व्यक्ति पूरे समय अभिरक्षा में रहा है तो मजिस्ट्रेट कारणों को उल्लेखित करते हुए उसे जमानत पर छोड सकता है

(7) यदि अजमानतीय अपराध कि अभियुक्त के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय किये जाने से पूर्व यदि न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तो उेस जमानत पर छोड सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 438 {482 BNSS}गिरफ्तारी की आंशका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसकों किसी अजमानतीय अपराध के लिये गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में जमानत के लिये आवेदन कर सकता है और यदि न्यायालय उचित समझे तो उसे गिरफ्तार की स्थिति में जमानत पर छोडा जा सकता है। जमानत निम्न परिस्थितियों में ली जा सकती है –

➢ अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता
➢ किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषसिद्धि
➢ न्याय से भागने की आशंका
➢ क्षति पहुंचाने के आशय से लगाया गया अभियोग

न्यायालय द्वारा या जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाएगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने का अन्तरिम आदेश पारित करेगा। आवेदन अस्वीकार होने पर पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

➢ जहां जमानत आवेदन मंजूर किया जाता है वहां न्यायालय सात दिन के अन्दर पारित किए गए आदेश के साथ सूचना लोक अभियोजक एवं पुलिस अधीक्षक को देगा।

➢ न्याय हित मे लोक अभियोजक जमानत आवेदन की सुनवाई के समय आवेदक की उपस्थिति को बाध्यकर कर सकता है।

PTS JODHPUR

(2) अग्रिम जमानत मंजूर करते समय न्यायालय अन्य बातों के साथ–साथ शर्तो भी सम्मिलित कर सकता है–
(क) जब कभी आवश्यकता होगी वह व्यक्ति पुलिस द्वारा परिप्रश्न के लिये हाजिर होगा।
(ख) वह व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके विरूद्ध अभियान के तथ्यों से परिचित है उन्हें डरायेगा धमकायेगा नहीं।
(ग) वह न्यायालय की अनुमति के बिना भरत नहीं छोडेगा।
(घ) ऐसी अन्य शर्तों जो धारा 437 की उपधारा 3 के अधीन अधिरोपित की जा सकती है।
(3) यदि ऐसे व्यक्ति को ऐस अभियोग पर पुलिस थाने के भरसाधक अधिकारी के बिना वारंट गिरफ्तरी किया जाता है और ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिये तैयार है तो उसे जमानत पर छोड दिया जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 439 {483 BNSS}जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां –

1.उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि –

- किसी व्यक्ति को जो अभिरक्षा में है उसे जमानत पर छोड दिया जाए और यदि मामला धारा 437 की उपधारा 3 की प्रकृति का है तो वह कोई शर्त अधिरोपित करते हुए उस व्यक्ति को जमानत पर छोड सकता है।
- किसी व्यक्ति को जमानत पर छोडने के समय किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर सकता है।
- परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय आजीवन कारावास से दण्डनीय या सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में किसी व्यक्ति को जमानत देने से पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को देगा।

उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जमानत पर छोडा जा चुका है, उसे गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है व उसे अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है।

परिसीमा काल के संबंध में प्रावधान

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 467 {513 BNSS}– परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 468 {514 BNSS}ः– परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान का वर्जन

1.कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के बाद नहीं करेगा।
2.परिसीमा काल –

- छह माह, यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है
- एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है।
- तीन वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है।

3.यदि दो या अधिक अपराधों का विचारण एक साथ किया जा रहा है तो परिसीमा काल का निर्धारण कठोरतम अपराध के अनुरुप किया जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 469 {515 BNSS}ः– परिसीमा काल का प्रारंभ –

1.किसी अपराधी के लिए परीसीमा काल –

- अपराध की तिथि से प्रारम्भ होगा।
- जहां अपराध के किए जाने की जानकारी व्यथित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को नहीं है वहां उस दिन प्रारम्भ होगा जहां अपराध की जानकारी उस व्यथित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को होती है।
- जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया वहां उस दिन प्रारम्भ होगा जहां अपराधी का पता व्यथित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को ज्ञात होता है।

2.उक्त अवधि की संगणना में उस दिन को छोड दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की जानी है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 470 {516 BNSS}ः– कुछ दशाओं मे परिसीमा काल का अपवर्जन ः–

1.परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय का अपवर्जत किया जाएगा जिसके दौरान किसी न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध कोई अभियोजन चल रहा है किन्तु ऐसा अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्ही तथ्यों से संबंधित न हो।

PTS JODHPUR

2.जहां अपराध के संबंध में किसी आदेश द्वारा रोक लगा दी गई हो, वहां रोक की समयावधि का अपवर्जन किया जाएगा।
3.जहां किसी अपराध के लिए सरकार की पूर्व अनुमति या मंजूरी अपेक्षित है वहां ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने में लगे समय का अपवर्जन किया जाएगा।
4.यदि अपराधी भारत से अनुपस्थित रहा है या फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बच रहा है तो भी परिसीमा काल का अपवर्जन उस अवधि के लिए किया जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 471 {517 BNSS}:– न्यायालय बन्द होने पर उस तारीख का अपवर्जन –यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जब न्यायालय बन्द है तो न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 472 {518 BNSS}:– चालू रहने वाला अपराध –किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसामा काल उस समय प्रत्येक क्षण प्रारम्भ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 473 {519 BNSS}:– कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण :–कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित रुप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित मे ऐसा करना आवश्यक है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 3 {2 BSA}निर्वचन खण्ड – इस अधिनियम मे निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों मे प्रयोग किया गया है, जब तक कि सन्दर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न होः

- **न्यायालय–** न्यायालय शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के शिवाय साक्ष्य लेने के लिये वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते है।
- **तथ्य–** तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आती है

1.ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रयों द्वारा बोधगम्य हो
2.कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।

- **सुसंगत–** एक तथ्य दूसरे तथ्य से तब सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों मे से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।
- **विवादक तथ्य–** विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रात्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनअस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पति अवश्यमेव होती है।

स्पष्टीकरण– जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी सक्षम प्रवृत विधि के उपबन्धों के अधीन अभिलिखित करता है तब ऐसे विवादक के उत्तर मे जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवावद तथ्य है।

- **दस्तावेज–**दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमे से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।
- **साक्ष्य–** साक्ष्य शब्द से अभिप्राय है कि–

1.वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्यों के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते है।
2.न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किये गये सब दास्तावेजें जिसमे इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड भी शामिल है ऐसी दस्तावेजें साक्ष्य कहलाती है।

- **साबित–**कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभावि समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है।

PTS JODHPUR

- **नासाबित–** कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नही या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नही है।
- **साबित नही हुआ–**कोई तथ्य साबित नही हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 4 {2 BSA} "उपधारणा कर सकेगा" – जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी भी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।

"उपधारणा करेगा" – जहां कहीं कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

"निश्चायक सबूत" – जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी उन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घाषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिये साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 23 {21 BSA}सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है–सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृत सुसंगत नहीं है,यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गये थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 24 {22(1) BSA}–उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गयी संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत है।–अभियुक्त द्वारा दाण्डिक कार्यवाही में की गयी संस्वीकृति विसंगत होती है यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप के बारे में प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा करायी गई हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 {23(1) BSA}पुलिस अधिकारी से की गयी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है–किसी भी पुलिस अधिकारी से की गयी कोई भी संस्वीकृति अभियुक्त के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 26 {23(2) BSA}पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति–पुलिस अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष न की गयी हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 {23(2) BSA}अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी –किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है ,प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप उस तथ्य का पता चलता है जो अब तक जानकारी में न था तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की श्रेणी में आती हो, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित हो, साबित की जा सकेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45 {39(1) BSA}–विशेषज्ञों की राय –जबकि न्यायालय को विदेशी विधि या विज्ञान या कला की किसी बात पर हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारें में राय बनानी हो तो उस बात पर ऐसी विदेशी विधि या विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है।

ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते है।

PTS JODHPUR

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45क {39(2) BSA}:– इलेक्टिानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय –जहां किसी कार्यवाही में न्यायालय को किसी ऐसी संसूचना से संबंधित जो किसी कम्प्यूटर स्त्रोत या किसी अन्य इलेक्टिोनिक या अंकीय रुप में संप्रेषित या संग्रहीत हो किसी विषय से संबंधित राय बनानी हो वहां सूचना प्रौधोगिकी अधिनयम 2000 की धारा 79क में निर्दिष्ट इलैक्टिक परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 46 {40 BSA}:– विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य :–वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते है यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो जबकि ऐसी राय सुसंगत हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 47 {41(1) BSA}:– हस्तलेख के बारे मे राय कब सुसंगत है :–जब न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की है तब वह उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत तथ्य है।

➢ कोई व्यक्ति किसी अन्य किसी व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जब उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित व उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्यित होने वाली दस्तावेजें प्राप्त की है या कारबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्यित होने वाली दस्तावेजें उसके समक्ष बराबर रखी जाती रही है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 47क {41(2) BSA}– इलेक्ट्रॅानिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होगी :–जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्टिानिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो उस प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॅानिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, सुसंगत तथ्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65 {60 BSA} अवस्थाएं, जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा – किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा –

क. जबकि यह दर्शित कर दिया जाये कि प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्याधीन है –

जिसके विरूद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा

जो न्यायालय की आदेशिका की पहुँच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अहयधीन नहीं है, अथवा

जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है।

(ख) जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरूद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है,

(ग) जबकि मूल नष्ट हो गया है या खो गया है अथवा उसकी अन्तर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्ंवय के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता,

(घ) जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

(ड़) जबकि धारा 74 के अन्तर्गत एक लोक दस्तावेज है,

(च) जब मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है।

(छ) जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है, जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है, सम्पूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65क {62 BSA}इलेक्ट्रोनिक अभिलेख से सम्बन्धित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान – इलेक्ट्रोनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तुयें धारा 65 ख के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी।

PTS JODHPUR

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65ख {63 BSA}इलेक्ट्रोनिक अभिलेखों की ग्राह्यता– (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, इलेक्ट्रोनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट कोई सूचना, जो कागज पर मुद्रित है और कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित प्रकाशीय या चुम्बकीय माध्यम में भण्डारित, अभिलिखित या नकल की गई है (जिसे एतस्मिनपश्चात् कम्प्यूटर उत्पादन के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा), दस्तावेज भी होना मानी जायेगी, यदि इस धारा में वर्णित शर्तों का समाधान प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के सम्बन्ध में किया जाता है और किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल को पेश किए बिना, मूल की किसी अन्तर्वस्तु या उसमें अधिकथित किसी तथ्य के, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

(2) कम्प्यूटर उत्पादन के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्

(क) सूचना के अन्तर्विष्ट करने वाले कम्प्यूटर उत्पाद का उत्पादन कम्प्यूटर के द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था, जिसमें कम्प्यूटर के नियमित प्रयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से किए गये किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना को भंडारित या संधारित करने के लिए किया गया था।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रोनकि अभिलेख में अन्तर्विष्ट प्रकार की सूचना या इस प्रकार की सूचना, जिसमें इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना प्राप्त की जाती है, नियमित रूप से उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गई थी।

(ग) उक्त अवधि के तात्विक भाग के दौरान कम्प्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा था, तब किसी ऐसी अवधि के सम्बन्ध में, जिसमें वह समुचित रूप से संचालित नहीं हो रहा था या अवधि के उस भाग के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था, जो इलेक्ट्रोनिक अभिलेख या उसकी अन्तर्वस्तुओं की शुद्धता को प्रभावित करें, और

(घ) इलेक्ट्रोनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गई ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित की जाती है या व्युत्पन्न होती है।

(3) जहाँ किसी अवधि में, किसी क्रियाकलाप के, जो नियमित रूप से उस अवधि में की गई है, जैसा कि उपधारा (2) के खण्ड (क) में वर्णित है, प्रयोजन के लिए सूचना को भण्डारित या संसाधित करने का कार्य नियमित रूप से कम्प्यूटर द्वारा किया गया था, चाहे

(क) उस अवधि के दौरान संचालित कम्प्यूटरों के संयोजन द्वारा, या

(ख) उस अवधि के दौरान उत्तरोतर संचालित विभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा या के विभिन्न संयोजन द्वारा, या

(ग) उस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर संचालित।

(घ) किसी अन्य ढंग में, जिसमें, उक्त अवधि के दौरान, एक या कम्प्यूटरों का उतरवर्त्ती संचालन, चाहे जिस क्रम में हो, और एक या अधिक कम्प्यूटरों का संचालन, चाहे जिस क्रम में हो, और एक या अधिक कम्प्यूटरों का संयोजन शामिल हो,

किया गया हो, वहाँ उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी कम्प्यूटरों को इस धारा के प्रयोजन के लिए एक कम्प्यूटर गठित करने वाला माना जाएगा और इस धारा में कम्प्यूटर के प्रति निर्देश का तद्नुसार अर्थान्वयन किया जाएग।

(4) किसी कार्यवाही में, जहाँ इस धारा के परिणास्वरूप साक्ष्य में कथन देने की वांछा की जाती है, निम्नलिखित चीजों में से किसी को करने वाला, अर्थात् –

(क) इलेक्ट्रोनिक अभिलेख को, जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस ढंग का विवरण है, जिसमें इसका उत्पादन किया गया था, परिलक्षित करते हुए,

(ख) किसी युक्ति की, जो उस इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त है, ऐसी विशिष्टियों को देते हुए, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रोनिक अभिलेख का उत्पादन कम्प्यूटर द्वारा किया गया था।

(ग) मामलों में से किसी पर, जिससे उपधारा (2) में वर्णित सम्बन्धित हैं, विचार करते हुए, प्रमाणपत्र को जो सुसंगत युक्ति के संचालन या सुसंगत क्रियाकलापों के प्रबन्धन (जो भी समुचित हो) के सम्बन्ध में उतरदायी पदीय स्थिति ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्पित है, किसी मामले का, जो प्रमाणपत्र में अधिकथित है, साक्ष्य माना जाएगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह उसे अधिकथित करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में अधिकथित ये जाने वाले मामले के लिए पर्याप्त होगा।

PTS JODHPUR

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए–
(क) सूचना कम्प्यूटर में प्रदान की गयी मानी जाएगी, यदि उसे किसी समुचित रूप में उसको प्रदान की जाती है और चाहे इसे सीधे या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या के बिना) किसी समुचित उपकरण के द्वारा प्रदान किया जाता है,
(ख) चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में, सूचना उन क्रियाकलापों के अनुक्रम के अतिरिक्त अन्यथा संचालित कम्प्यूटर द्वारा उन क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए भण्डारित या संसाधित किये जाने की की जाती है, तब वह सूचना, यदि सम्यक् रूप से उस कम्प्यूटर को प्रदान की जाती है, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में उनको प्रदान की गयी मानी जाएगी,
(ग) कम्प्यूटर उत्पाद को कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा, चाहे वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या के बिना) किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो।
स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सूचना के, जो अन्य सूचना से व्युत्पन्न हुआ हो, प्रति निर्देश उसके प्रति निर्देश होगा, जो संगणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा व्युत्पन्न हुआ हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 113क {117 BSA}– किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्म हत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा

जब यह दर्शित किया गया है कि विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर विवाहिता द्वारा आत्म हत्या की थी और उसके पति या पति के रिस्तेदारों ने क्रूरता की थी तो न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उपधारणा कर सकेगा की ऐसी आत्म हत्या उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दुष्प्रेरित की गयी थी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 113ख {118 BSA}–दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा –जब यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पूर्व उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में परेशान किया गया था अथवा क्रूरता की गयी थी, न्यायालय उपधारणा करेगा की ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण रहा था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 114ए {120 BSA}–बलात्संग के संबंध में सहमति नहीं होने की उपधारणा –संशोधन में धारा 376 की उपधारा 2 के खण्ड क से ढ तक के अधीन अपराध में बलात्संग के लिए अभियुक्त द्वारा लैंगिक संभोग किया जाना साबित हो जाता है और पीडित स्त्री यह कथन करती है कि लैंगिक संभोग उसकी सम्मति के बिना किया गया है तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।
स्पष्टीकरण :– लैंगिक संभोग से तात्पर्य धारा 375 में वर्णित खण्ड क से घ तक के सभी प्रकार के कृत्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 118 {124 BSA}कौन साक्ष्य दे सकेगा –सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगें, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्द्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों के समझने से उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित है।
स्पष्टीकरण – कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 119 {125 BSA}:–साक्षी का मौखिक रुप से संसूचित करने में असमर्थ होना –वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लेख या संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगें या करने होंगें। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा।
न्यायालय ऐसे कथन अभिलिखित करने के लिए विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा और इस तरह के कथन की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 120 {126 BSA}–सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति/दाण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नि सक्षम साक्षी होगें।

PTS JODHPUR

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 121 {127 BSA}—न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट — कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचारण के बारे में या किसी बात के बारे में, जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, जिसके वह अधिनस्थ है, विवश नही किया जाएगा, किन्तु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी, जब वह ऐसे कार्य कर रहा था, उसकी परीक्षा की जा सकेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 122 {128 BSA}—विवाहित स्थिति के दौरान संसूचनाऐं— कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश नही किया जाएगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 123 {129 BSA}—राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य — कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलाप से सबंधित अप्रकाशित शासकिय अभिलेखों से व्यूत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा। सिवाय विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 124 {130 BSA}शासकीय संसूचनाऐं —कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नही किया जाएगा।, जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोकहित की हानी होगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 125 {131 BSA}—अपराधों के करने के बारे में जानकारी — कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह कहने के लिए विवश नही किया जाएगा कि किसी अपराध के किये जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से मिली और किसी राजस्व ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नही किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरूद्ध किसी अपराध के किये जाने के बारे में जानकारी कहां से मिली।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 126 {132(1)/(2) BSA}—वृतिक सूचनाऐं — कोई भी बेरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय ऐसी किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नही किया जाएगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 127 {132(3) BSA}—धारा 126 दुभाषियों आदि को लागु होगी— धारा 126 के उपबन्ध दुभाषियों और बेरिस्टरों, प्लीडरों, अटर्नीयों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागु होंगें।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 128 {133 BSA}—साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उन्नत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नही हो जाता— यदि किसी वाद को कोई पक्षकार स्व प्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि तद्द्वारा उससे ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 126 में वर्णित है, सम्मती दे दी है तथा वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी बेरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मती दे दी है, केवल तभी समझा जाएगा जबकि वह ऐसे बेरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील से उन बातों के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 129 {134 BSA}—विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाऐं— कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके ओर उसके विधि वृतिक सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिये विवश नही किया जाएगा, जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 130 {135 BSA}—जो साक्षी पक्षकार नही है उसके हक विलेखो का पेश किया जाना— कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नही है, किसी सम्पत्ती संबंधी अपने हक विलेखों को या किसी ऐसे दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई सम्पति धारण करता है या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिये विवश नही किया जाएगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 131 {136 BSA}—कोई भी व्यक्ति, अपने कब्जे में की ऐसे दस्तावेजो या अपने नियंत्रण के अधिन इलेक्ट्रोनिक अभिलेखों को पेश करने के लिए जिनको पेश करने से कोई अन्य

PTS JODHPUR

व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे में होती, इन्कार करने का हकदार होता, विवश नही किया जाएगा जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उसके पेशकरण के लिये सहमती नही देता।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 132 {137 BSA}–इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा–कोई भी साक्षी किसी वाद या सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किये गये प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नही होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फसाएगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 133 {138 BSA}सह अपराधी –सह अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 134 {139 BSA}–साक्षियों की संख्या– किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नही होगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 159 {162 BSA}–स्मृति ताजा करना

➢ कोई गवाह जिसके न्यायालय में बयान दर्ज हो रहे हों किसी ऐसे लेख को देख करके जो कि उसने संव्यवहार के समय जिसके सम्बन्ध में प्रश्न किया जा रहा है या उसके शीघ्र पश्चात बनाया हो तो न्यायालय इसे सम्भाव्य समझता हो कि संव्यवहार उसकी स्मृति मे ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा।

➢ गवाह उपरोक्त प्रकार से किसी ऐसे लेख को देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया हो और उसके द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढा गया हो व उस लेख का सही होना जानता था ।

➢ स्मृति ताजा करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से गवाह ऐसे दस्तावेज की नकल को देख सकेगा परन्तु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो कि मूल को पेश न करने के पर्याप्त कारण हैं।

➢ विशेषज्ञ अपनी वृतिक पुस्तिकाओं को देखकर अपनी अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 160 **{163 BSA}–धारा 159 {162 BSA}में वर्णित दस्तावेज मे कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य** –कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में जो धारा 159 **{162 BSA}**में वर्णित है में वर्णित तथ्यों का भी परिसाक्ष्य दे सकेगा चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण न हो और असे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठाक अभिलिखित थे।

मॉड्यूल–02

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से 176, 299, 82, 83 (173 से 196, 335, 84, 85 BNSS)

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 {173 BNSS}:–154 (1) जब भी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित, तो वह अधिकारी उस सूचना को अभिलिखित करेगा तथा उस व्यक्ति को पढकर सुनाएगा जिसके द्वारा वह सूचना दी जा रही है तथा उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएगा। साथ ही उस सूचना का सार ऐसी पुस्तक में अंकित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में रखी जाने हेतु विहित की जाए।

• यदि सूचना ऐसी स्त्री द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 **{124(1), 124(2), 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS}** के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है जो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

• (क) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 **{124(1), 124(2), 74, 75, 76, 77, 78,**

PTS JODHPUR

64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS}के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है और वह स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक की उपस्थिति में उस व्यक्ति के निवास स्थान या कोई सुविधाजनक स्थान पर अभिलिखित की जाएगी।

- (ख) ऐसी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जाएगी।
- (ग) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी **{183 BNSS}**के बयान रिकार्ड करवाएगा।

154(2) **{173 BNSS}**उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि, इत्तला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी।

154(3) **{173 BNSS}**यदि कोई व्यक्ति किसी थाने के भारसाधक अधिकारी के इत्तला अभिलिखित नहीं किए जाने से व्यथित है तो वह यह इत्तला पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है तथा पुलिस अधीक्षक इस बात से संतुष्ट है कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वह या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 155 {174 BNSS}:–

155 (1) जब किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होती है तो वह इत्तला का सार राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तक में प्रविष्ट करेगा तथा उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्टेट के पास जाने को निर्देशित करेगा।

155 (2) कोई पुलिस अधिकारी बिना मजिस्टेट की अनुमति के किसी असंज्ञेय मामले का अनुसंधान या अन्वेषण नहीं करेगा।

155 (3) किसी पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय मामले में अन्वेषण का आदेश मिलने पर वह पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट गिरफ्तारी की शक्ति के सिवाय अन्वेषण की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

155 (4)यदि मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है जिसमें एक संज्ञेय तथा दूसरा असंज्ञेय है तो वह मामला संज्ञेय अपराध का समझा जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 156 {175 BNSS}:–

156 (1) किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपने थाने की सीमाओं के अन्दर के स्थानीय क्षेत्र में घटित किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण बिना मजिस्टेट के आदेश के कर सकता है।

156 (2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह ऐसा मामला था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।

156 (3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्टेट अन्वेषण का आदेश कर सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 157 {176 BNSS}:–

157 (1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इत्तला प्राप्त होने पर अपराध की रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्टेट को तत्काल भेजेगा तथा अन्वेषण के उद्देश्य से अपराधी का पता लगाने तथा उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को भेजेगा। परन्तु

- (क) यदि मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो आवश्यक नहीं होगा कि भारसाधक अधिकारी अन्वेषण के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे
- (ख) यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण के पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले में अन्वेषण नहीं करेगा। परन्तु
- बलात्संग के अपराध के संबंध में पीडित का कथन पीडित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 158 {177 BNSS}:–धारा 157 **{176 BNSS}**के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से अविलम्ब की जानी चाहिए ।

PTS JODHPUR

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 159 {178 BNSS}ः—ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिये आदेश दे सकता है । प्रारम्भिक जांच तुरन्त कर सकता है या अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 160 {179 BNSS}ः—

160 (1) किसी अपराध करने वाला अधिकारी अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति आदेशानुसार हाजिर होगा। किन्तु ऐसे आदेश किसी 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या स्त्री या मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के लिए जारी नहीं किए जाएंगें अर्थात इनकों थाने पर बुलाने के लिए लिखित आदेश जारी नहीं किए जाएंगें।

160 (2) ऐसे व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार उपबन्ध कर सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 161 {180 BNSS}ः—

161 (1) अनुसंधान करने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है जो मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों से परिचित है।

161 (2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जो उसे आपराधिक आरोप या शास्ति मे डालने की आशंका के हो, सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

161 (3) किसी अपराध के अनुसंधान में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के कथन लेखबद्ध करेगा तथा उसके अभिलेख तैयार करेगा।

• ऐसे कथन श्रव्य—दृश्य इलेक्टानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

• यदि कथन किसी ऐसी स्त्री के है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 **{74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS}**के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है, तो कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 162 {181 BNSS}ः—

162 (1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अनुसंधान के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा।

• कथन का प्रयोग केवल धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम **{148 BSA}**के तहत खंडन करने के लिए ही प्रयुक्त होगा।

162 (2) धारा 32(1) तथा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम पर यह धारा लागू नहीं होगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 163 {182 BNSS}ः—

कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना—:(1) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 **{22(1) BSA}**में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और करेगा तथा न दिलवाएगा ओर न करावाएगा।

(2) किन्तु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति का कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 164 {183 BNSS}ः—

164 (5) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए मजिस्टेट द्वारा ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्टेट की राय में उपयुक्त हो तथा उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 164 (5क) —क—यदि कथन किसी ऐसे व्यक्ति के है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 376 की उपधारा 1 व 2 तथा 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 **{74, 75, 76, 77, 64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS}** के अन्तर्गत अपराध किया

PTS JODHPUR

गया है, तो ऐसा अपराध पुलिस की जानकारी में आते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के कथन उपयुक्त तरीके से अभिलिखित करेगा।

• यदि कथन करने वाला स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा।

• स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक के सहयोग के साथ किए गए कथन की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 164 (5ख) –धारा 164 (5क) के अन्तर्गत स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के रिकार्ड किए गए कथन को मुख्य परीक्षण के स्थान पर का कथन माना जाएगा और ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षण किया जा सकता है तथा विचारण के समय उसके अभिलेखन की आवश्यकता नहीं होगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 164(क) {184 BNSS}

धारा 164 (क) (1) जब बलात्संग या बलात्संग किए जाने के प्रयास का अपराध कारित किया जाता है तो पीडिता का रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से उस स्त्री की या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से इत्तला प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर चिकित्सा परीक्षा हेतु चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

(2) जब रजिस्टर्ड चिकित्सा के पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है तो वह बिना किसी विलम्ब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा तथा चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अग्रलिखित ब्यौरे दिए जाऐंगें–

• उस स्त्री का व उस व्यक्ति का नाम व पता जो उसे लाया है।

• स्त्री की आयु

• डीएनए प्रोफाइल के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण

• स्त्री के शरीर पर आई किसी चोट आदि का विवरण

• स्त्री की साधारण मानसिक दशा

• अन्य कोई विवरण जो आवश्यक हो।

(3) रिपोर्ट में वे कारण अभिलिखित किए जाएगें जिनसे कोई निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) यह भी अभिलिखित किया जाएगा कि उस स्त्री की या उसकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(5) परीक्षा प्रारम्भ करने व समाप्त करने का समय भी अंकित किया जाएगा।

(6) चिकित्सा व्यवसायी अविलम्ब अपनी रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 165 {185 BNSS}:–

धारा 165 (1) जब किसी थाने के भारसाधक अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी को यह विश्वास करने का आधार है कि किसी अपराध के अनुसंधान के लिए या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पुलिस थाने की सीमाओं में तलाशी ले सकता है या लिवा सकता है।

(2) तलाशी यथा संभव कार्यवाही करने वाला अधिकारी ही लेगा।

(3) यदि स्वयं तलाशी लिया जाना संभव नहीं हो रहा है तो कारण प्रदर्शित करते हुए किसी अधीनस्थ अधिकारी को तलाशी के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

(4) तलाशी के संबंध में धारा 100 सीआरपीसी **{103 BNSS}**के प्रावधान लागू होंगें।

(5) इस धारा कि अधीन ली गई तलाशी के दौरान बनाए गए अभिलेखों की प्रतियां तत्काल अधिकारिता रखने वाले मजिस्टेट को भेजी जाएंगी तथा स्वामी या अधिभोगी की प्रार्थना पर मजिस्टेट द्वारा एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 166 {186 BNSS}:–पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है.–:

PTS JODHPUR

(1) पुलिस थाने का एस.एच.ओ. या आई.ओ. जो सब इन्स्पेक्टर के पद से कम न हो दूसरे थाने के एस. एच.ओ. चाहे वह जिले में हो या दूसरे जिले में हो किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी दिलवाने की अपेक्षा कर सकता हैं।

(2) तब वह एस.एच.ओ. 165 **{185 BNSS}**के उपबंध के अनुसार तलाशी लेगा जो चीजें तलाशी में मिले उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसने तलाशी के लिये कहा था।

(3) विशेष परिस्थितियों में जब तलाशी के लिये अपेक्षा की जाने में विलम्ब हो तथा वंचित वस्तु तथा सम्पत्ति हटा देने या उसे नष्ट कर देने की आशंका है तो एस.एच.ओ या आई.ओ. जो एस.आई से कम न हो दूसरे थाने के क्षेत्र में तलाशी ले सकता है।

(4) तलाशी की सूचना एस.एच.ओ को जिसके क्षेत्र में तलाशी ली है भेजेगा यदि संभव हो तो एक प्रतिलिपि भी भेजेगा और एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(5) उपधारा 4 के अधीन भेजी गई प्रति की नकल मकान के भारसाधक के आवेदन पर निःशुल्क दी जायेगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 166क {112 BNSS}:–

(1) जब किसी अपराध के अनुसंधान के अनुक्रम में अनुसंधान अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत से बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो कोई दाण्डिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजकर उस देश या स्थान के सक्षम न्यायालय या प्रधिकारी को अनुरोध करेगा कि ऐसे व्यक्ति से मौखिक परिक्षा करे जिसके बारे में अनुमान है कि वह मामले की परिस्थितियों से परिचित है तथा उस कथन को अभिलिखित करे तथा उस व्यक्ति को चीजें या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करे और इस प्रकार सगृहीत सभी साक्ष्य या कथन अनुरोध करने वाले न्यायालय को भेजे।

(2) अनुरोध पत्र केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रीति से पारेषित किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन प्राप्त प्रत्येक साक्ष्य अनुसंधान के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 166ख {113 BNSS}:–

(1) भारत के बाहर के किसी स्थान या देश से भारत में अनुसंधान के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी की प्रार्थना या अनुरोध पत्र पर केन्द्र सरकार –

● उसे मुख्य न्यायिक मजिस्टेट या किसी मुख्य महानगर मजिस्टेट को अग्रेषित कर किसी व्यक्ति को समन करने, कथन अभिलिखित करने या दस्तावेज पेश करवाने हेतु प्राधिकृत करेगी।

● उस पत्र को अनुसंधान के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज कर अनुसंधान के लिए निर्देशित कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन संगृहीत की गई समस्त साक्ष्य या कथनो को केन्द्र सरकार निर्धारित प्रारुप में संबंधित देश या स्थान के सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय को प्रेषित करेगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 167 {187 BNSS}:–

अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे चौबीस घन्टे के भीतर यदि प्रकरण में अनुसंधान पुरा नहीं किया जा सका है तो उप निरिक्षक से अनिम्न पंक्ति का अधिकारी उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भेजेगा। मजिस्ट्रेट से अभियुक्त हेतु रिमाण्ड प्राप्त किया जाता है। रिमाण्ड दो प्रकार हा होता है।

(1) पुलिस अभिरक्षा का रिमाण्ड (पी.सी. रिमाण्ड); एवं
(2) न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड (जे.सी. रिमाण्ड)।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया जाता है। इस धारा कि तहत यदि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है तो अनुसंधान निम्नानुसार पूर्ण किया जाना चाहिए :–

● दस वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध – 90 दिन

● दस वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध – 60 दिन

● एनडीपीएस एक्ट की धारा 36(क)(4) के तहत वाणिज्यिक मात्रा के अपराधों तथा धारा 19, 24, 27(क) के अपराधों के संबंध में – 180 दिन, जो विशेष कारणों से एक वर्ष हो सकती है।

PTS JODHPUR

• राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 49(1) के अनुसार धारा 54, 54(ख), 54(घ) तथा धारा 56 आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए साठ दिन के स्थान पर 120 दिन तथा 90 दिन के स्थान पर 180 दिन।

3. पुलिस अभिरक्षा का रिमाण्ड तब चाहा जाता है जब अभियुक्त की अन्वेषण में आवश्यकता रहती है। यह अधिकतम पन्द्रह दिन तक का हो सकता है। जब अन्वेषण पूरा हो जाता है अथवा अन्वेषण में अभियुक्त की आवश्यकता नहीं रह जाती तब उस न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

4. जहाँ तक न्यायिक अभिरक्षा से किसी अभियुक्त सें किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेजने का प्रश्न है 'के.रामा रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश' (ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1447) के मामले में यह कहा गया है कि परिस्थितियों के देखते हुए किसी अभियुक्त को विधिनुसार न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में दिया जा सकता है।

5. यदि किसी अभियुक्त को जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि समुचित जमानत–मुचलके पेश किए जाने पर उसे छोड़ दिया जाए। यदि वह जमानत–मुचलके पेश करने में असमर्थ रहता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी दशा में रिमाण्ड पेपर तथा केस डायरी में इस आशय की प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए कि अभियुक्त जमानत–मुचलके पेश करने में असमर्थ रहा। पुलिस की भाषा में इसे 'अदम अदखल जमानत' अथवा जमानत देने में कासिर रहा' कहा जाता है।

6. अग्रिम जमानत का आदेश प्राप्त होने पर आदेशित जमानत–मुचलके लेकर अभियुक्त को छोड़ देना चाहिए। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438) **{482 BNSS}**

7. जमानत के सम्बन्ध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 (2) के परन्तुक के अधीन यदि किसी मामले में अन्वेषण निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं होता तो अभियुक्त जमानत पर छूटने का हकदार हो जाता है। 'स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम श्रीमती भारती चांदमल वर्मा उर्फ आयशा खान' (ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 285) के मामले में अन्वेषण नब्बे दिन में पूरा होना था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का हकदार माना। अतः अन्वेषण अधिकारी को चाहिए कि अन्वेषण निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया लाए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 168 {188 BNSS}:–जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अनुसंधान करता है तो वह उस अनुसंधान की रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 169 {189 BNSS}:–जब किसी अनुसंधान में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्टेट के पास भेजना न्यायनुमत है तो ऐसा अधिकारी उस दशा में अभिरक्षा में चल रहे व्यक्ति को प्रतिभूति सहित या रहित बन्धपत्र पर छोड देगा और जब अपेक्षा की जाए अपराध का संज्ञान करने के लिए अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 170 {190 BNSS}:–

(1) जब साक्ष्य पर्याप्त है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मामले को सक्षम न्यायालय को विचारण करने के लिए सुपुर्द कर देगा।

(2) जब भारसाधक अधिकारी मामले को न्यायालय को सुपुर्द करेगा तो वह आयुध या अन्य कोई वस्तु जो पेश करना आवश्यक हो, भी भेजेगा तथा परिवादी व अन्य परिचित व्यक्तियों को न्यायालय में हाजिर होने के लिए व साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 171 {191 BNSS}:–

(1) किसी परिवादी या साक्षी को न्यायालय में जाने के लिए किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, न ही उसे अनावश्यक रुप से अवरुद्ध किया जाएगा और न ही उसे अपने बन्धपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी।

परन्तु यदि परिवादी या साक्षी न्यायालय में हाजिर होने से या बन्धपत्र निष्पादित करने से मना करता है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे मजिस्टेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 172 {192 BNSS}:–

PTS JODHPUR

(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा अनुसंधान करने के स्थान, समय तथा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा।

(1क) धारा 161 {180 BNSS}के अधीन अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन केस डायरी में अन्तःस्थापित किए जाएंगें।

(1ख) केस डायरी जिल्द रुप में होगी व उसके पृष्ठ सम्यक रुप से संख्यांकित होंगें।

(2) कोई न्यायालय जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरी मंगा सकता है किन्तु ऐसी डायरियों को साक्ष्य के रुप में नहीं किन्तु जांच या विचारण में सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है।

(3) न तो अभियुक्त और न ही उसका अभिकर्ता ऐसी डायरी को मांगने के हकदार होंगें किन्तु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उसे लिखा है अपनी स्मृति ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है या न्यायालय उसे ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खण्डन करने में उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 व 145 **{164/148 BSA}**के उपबन्ध लागू होंगें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 {193 BNSS}:–

(1) अन्वेषण अनावश्यक देरी के बिना पूरा किया जाएगा

(1क) बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अनुसंधान अपराध दर्ज होने के तीन मास में पूरा किया जा सकेगा।

(2) तफ्तीश पूरी होने पर भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट संज्ञान के लिये समक्ष मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में भेजेगा। जिसमें निम्नांकित शामिल होंगें –

(क) पक्षकारों के नाम,

(ख) सूचना की प्रकृति,

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम (गवाह)

(घ) अपराध धारा–अभियुक्त का नाम,

(ड) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है,

(च) जमानत पर है,

(छ) धारा 170 के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा (जे.सी.) में भेजा जा चुका है ।

(ण) जहां अनुसंधान धारा 376, 376ए से ई **{64, 66 से 71 BNS}**के अधीन किसी अपराध के संबंध में है वहां स्त्री की चिकित्सा परिक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।

- वह अधिकारी की गई कार्यवाही की संसूचना पीडित को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से देगा।

(3) उक्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जयेगी।

(4) यदि अभियुक्त को बन्धपत्र पर छोड़ दिया गया है तो बन्धपत्र के उन्मोचन के लिए आदेश।

(5) धारा 170 के अन्तर्गत आने वाली रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित सामग्री भेजी जाएगी

- वे सभी दस्तावेज जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार हो
- 161 भा.द.प्र.सं. **{180 BNSS}**के बयान।

(6) पुलिस अधिकारी की राय में किसी कथन या दस्तावेज को अभियुक्त को प्रकट करना न्यायहित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए समीचीन है तो कथन के उस भाग को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि से निकाल देने के लिए निवेदन करेगा ।

(7) अनुसंधान अधिकारी सुविधापूर्ण समझे तो मजिस्ट्रेट से उप धारा 5 में वर्णित सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियाँ अभियुक्त को दे सकता है ।

(8) मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज देने के बाद भी अनुसंधान जारी रखा जाकर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य मिलने पर अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 174 {194 BNSS}:–

(1) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या इस हेतु विशेष सशक्त पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी ने आत्महत्या करली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जीव जन्तु द्वारा, यन्त्र द्वारा मारा गया है या ऐसी परिस्थिति में मरा है जिससे सन्देह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है जो थाना अधिकारी ऐसी सूचना मिलने पर मर्ग की प्रथम सूचना दर्ज कर रोजनामचा

PTS JODHPUR

आम में रिपोर्ट दर्ज कर इसकी सूचना तुरन्त सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और विशेष आदेश न होने तक उस स्थान पर जायेगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है वहां पहुंचकर पड़ौस के दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति में मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट बनायेगा ।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किये जायेंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेज दी जायेगी।

(3) जब–:

(क) मामले में किसी स्त्री द्वारा विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अन्तर्वलित है ।

(ख) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से सम्बंधित जो एक युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के सम्बंध में कोई अपराध किया है या

(ग) मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर मृत्यु से सम्बन्धित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है या

(घ) मृत्यु के कारण की बाबत् कोई संदेह है या

(ड) किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा कराना समीचीन समझता है,

तो ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किये जाये वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने के जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाये, से भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अहर्त चिकित्सक के पास भेजेगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिये सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 175 {195 BNSS}– लोगों को सम्मन करने का अधिकार

(1) उस पुलिस ऑफीसर को जो धारा 174 **{194 BNSS}**के अनुसार कार्यवाही कर रहा हो, अधिकार है कि वह लिखित आदेश देकर, दो या अधिक व्यक्तियों को, ऊपर लिखे अनुसार तफ्तीश के लिये और किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के हालात की जानकारी रखता हो, सम्मन करे हर व्यक्ति को जो इस तरह समन किया जाये हाजिर होने और ऐसे प्रश्नों के अलावा जिसके उत्तर देने से उस पर किसी अपराध के आरोप या दण्ड या सम्पत्ति की जब्ती होने का भय हो, शेष सभी प्रश्नों के सही–सही उत्तर देने के लिए बाध्य है।

(2) यदि मामले की जाँच से वह संज्ञेय अपराध न पाया जाये, जिस पर धारा 170 लागू हो सके, तो पुलिस ऑफीसर वैसे व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 176 {196 BNSS}:– मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच–

(1) जब कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में रहते हुये मर जाता है या धारा 174 **{194 BNSS}**की उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रकृति का है तो मृत्यु के कारणों की जाँच पुलिस अधिकारी के बजाए निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा।

(1क) जहां –

- **कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है**
- **किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित होता है**

जो उस दशा में ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया है, जांच की जाएगी।

(2) ऐसी जाँच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके सम्बंध में लिये गये साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थिति के अनुसार अभिलिखित करेगा।

PTS JODHPUR

(3) जहाँ मजिस्ट्रेट के विचार में किसी व्यक्ति के शव को पहले ही गाड़ दिया है मृत शरीर की इसलिये परीक्षा उसकी परीक्षा करवा सकता है ।
(4) मजिस्ट्रेट जहाँ कहीं साध्य है मृतक के नातेदारों को ईत्तला देगा और उन्हे जाँच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।
(5) उपधारा (1क) के अधीन जांच या अनुसंधान करने वाला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या चिकित्सा व्यक्ति को भेजेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 299 {335 BNSS}अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख– (1) यदि यह सबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है ओर उसके तुरन्त गिरफ्तार किये जाने की कोई संभावना नहीं है तो उस अपराध के लिये, जिसका परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति का न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किये गये साक्षियों की (यदि कोई हो), उनकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और ऐसा कोई अभीसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर, उस अपराध की जांच या विचारण में, जिसका उस पर आरोप है, उसके विरूद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर गया है, या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता है या उसकी हाजिरी इतने विलम्ब व्यय या असुविधा के बिना,जितनी कि मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती है।

(2) यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्ही साक्षियों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हों, परीक्षा करे और ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य, किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगााया जाता है, साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने के लिये असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 82 {84 BNSS}फरार व्यक्तियों के लिये उद्घोषणा –
(1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिये बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उसे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो।
(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगीः–
(क) (अ) वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी;
(ब) वह उस गृह या वासस्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगीः
(स) उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जायगी;
(ख) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।
(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विर्निदिष्ट दिन उपधारा (2) के खण्ड में (1) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी।
(4) जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा आईपीसी की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392 से 400, 402, 436, 449, 459, 460 {103(1), 105, 140(1), 140(4), 307, 309(4) से 310(6), 310(5), 326(g), 332(a), 331(7), 331(8) BNS}के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में निश्चित समय व स्थान पर समय पर उपस्थित होने मे असफल

PTS JODHPUR

रहता है तो न्यायालय निर्धारित जांच के बाद उसे उद्‌घोषित अपराधी घोषित कर सकता है तथा उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा के उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1)के अधीन प्रकाशित उद्‌घोषणा के लागू होते हैं।

• दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 83 {85 BNSS}:–धारा 83 फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की –

(1) धारा 82 **{84 BNSS}**के अधीन उद्‌घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे उद्‌घोषण जारी किये जाने के पश्चात किसी भी समय उद्‌घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता हैः

परन्तु – यदि उद्‌घोषणा जारी करते समय न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वहा व्यक्ति जिसके संबंध में उद्‌घोषणा निकाली जाती है :–

(क) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्यसन करने वाला है, अथवा

(ख) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है; तो वहा उद्‌घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश दे सकता है।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी सम्पत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी सम्पत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाये।

(3) यदि वह सम्पत्तित जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्कीः

(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी अथवा

(ग) उद्‌घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जायेगी जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(4) यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जायेगी जिसमें वह भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जायेगी जिसमें वह भूमि स्थित है और अन्य सब दशाओं में–

(क) कब्जा लेकर की जायेगी;अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जायेगी; अथवा

(ग) उद्‌घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी सम्पत्ति का किराया देने या उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जायेगी ; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(5) यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीव धन है या विनश्वर प्रकृति की है तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

PTS JODHPUR

अनुसंधान का व्यवहारिक कार्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट

अन्वेषण का प्रारम्भ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) से होता है। यह अपराध कारित होने की सूचना होती है जो पीड़ित अथवा व्यथित द्वारा दी जाती है। अपराध की जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी ऐसी सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना लिखित अथवा मौखिक किसी भी रूप में हो सकती है। यह टेलीफोन पर अथवा टेलीग्राम द्वारा भी दी जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 व 156 **{173/175 BNSS}**में किया गया है। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 31 के अनुसार किसी भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यदि किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो वह तुरंत एफ.

आई.आर. दर्ज करेगा। इस धारा के अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166ए **{199 BNS}**के अन्तर्गत यदि कोई पुलिस अधिकारी धारा 326ए, 326बी, 354, 354बी, 370, 370ए, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व धारा 509 **{124(1), 124(2), 74, 76, 143, 144, 64, 66, 65(2), 67, 68, 70(1), 70(2), 70(2), 71, 79 BNS}**के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराधों की सूचना अभिलिखित करने में विफल होता है तो वह एक वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 **{173 BNSS}**के अन्तर्गत यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट ऐसी स्त्री द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 **{124(1), 124(2), 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 65(2), 67, 68, 70(1), 70(2), 70(2), 71, 79 BNS}**के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है जो ऐसी सूचना यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

(क) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 **{124(1), 124(2), 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 65(2), 67, 68, 70(1), 70(2), 70(2), 71, 79 BNS}**के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है और वह स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक की उपस्थिति में उस व्यक्ति के निवास स्थान या कोई सुविधाजनक स्थान पर अभिलिखित की जाएगी।

(ख) ऐसी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जाएगी।

(ग) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी **{183 BNSS** के बयान रिकार्ड करवाएगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में दर्ज की जाती है। इसमें किसी भी काल्पनिक या संभावित बातों का यथासंभव उल्लेख नहीं होना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होना चाहिएः–

1.अपराध के संबंध में क्या सूचना प्राप्त हुई है ?
2.अपराध का क्या कारण रहा है ?
3.पीड़ित कौन है ?
4.अपराध कब घटित हुआ ?
5.अपराध कहाँ घटित हुआ ?
6.अपराध का उद्देश्य क्या है ?
7.अपराध कैसे घटित हुआ है ?
8.घटना के साक्षी कौन–कौन है ?
9.अपराधियों से घटनास्थल पर क्या साक्ष्य छूट गये हैं ?
10. अभियुक्तगण ज्ञात है या अज्ञात इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी एफआईआर में होनी चाहिये।
11. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में विलम्ब हुआ है तो उसका कारण।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय के अनुसार :–

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 **{173 BNSS** के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया जाना कानूनी रुप से अनिवार्य हैं।

PTS JODHPUR

● अगर सूचना संज्ञेय प्रकृति की है तो पुलिस अधिकारी तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगा किन्तु यदि मामले की परिस्थितियों के अनुसार जांच किया जाना आवश्यक है तो प्राथमिक जांच यह जानने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है या नहीं।

● प्राथमिक जांच किया जाना प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिस प्रकार के परिवादों में प्राथमिक जांच की जा सकती है वो निम्नांकित है :–

- विवाह संबंधी/पारिवारिक विवाद
- वाणिज्यिक मामले
- चिकित्सकीय उपेक्षा के मामले
- भ्रष्टाचार संबंधी परिवाद
- ऐसे मामले जिनमें आपराधिक प्रक्रिया शुरु करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ हो या किसी समुचित कारण के बिना 3 माह से अधिक का विलम्ब हुआ हो।

● अगर जांच से संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जानी चाहिए। अन्यथा अगर परिवाद नस्तिबद्ध करने की आवश्यकता हो तो परिवादी को एक सप्ताह के अन्दर इसकी सूचना दी जानी चाहिए तथा परिवाद की जांच बन्द करने के कारण उल्लेखित किए जाने चाहिए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य –प्रथम सूचना रिपोर्ट ही वह बिन्दु हैं जहाँ से आपराधिक विधि गति (motion)में आती है और अनुसंधान के विभिन्न चरणों द्वारा पुलिस अभियुक्त तक पहुँचती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 157 {160 BSA}**–एफ.आई.आर. को दर्ज कराने वाले व्यक्ति के न्यायालय में बयान के दौरान पूर्व कथन के रूप में सम्पुष्टि (corroboration)हेतु उपयोग में लिया जाता है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 {148 BSA}**–एफ.आई.आर. को दर्ज कराने वाले व्यक्ति के न्यायालय में बयान के दौरान प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा खण्डन (contradiction)करने के उपयोग में लिया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 व 207 **{193/230 BNSS}**के अनुसार एफ.आई.आर. की प्रति अभियुक्त को अभियोजन द्वारा निःशुल्क दी जाती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 {55 BSA}**–भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा देखे गये, सुने गये व अनुभव किये जाने वाले तथ्य प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। रिपोर्टकर्ता द्वारा देखे गये व सुने गये तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर एफ.आई. आर. दर्ज कराई जाती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 व 21 {16/19 BSA}**–एफ.आई.आर. देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का इकबाल साबित करने के लिए एफ.आई.आर. उपयोग में लाई जा सकती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 {23(2) BSA}**–कभी–कभी एफ.आई.आर. स्वयं अपराधी द्वारा लेखबद्ध कराई जाती है और उसमें अपराधी द्वारा कुछ संस्वीकृतियां की जाती हैं तब ऐसी संस्वीकृति के फलस्वरूप यदि नये तथ्य प्रकाश (discovery) में आते हैं तो एफ.आई.आर का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के तहत महत्त्व है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 {6 BSA}**–एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति का पश्चाद्वर्ती आचरण साबित करने के लिए साक्ष्यिक महत्व रखती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 {26 BSA}की उपधारा (1)**–एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. मृत्युकालीन घोषणा के रूप में साक्ष्यिक महत्व रखती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 {94 BSA}**–चूँकि एफ.आई.आर. का लेखबद्ध(reduced to writing) होना आवश्यक है अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अनुसार साबित की जानी चाहिये।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 {7 BSA}**–अभियुक्त की पहचान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत सुसंगत होती है। रिपोर्टकर्ता जब इस तथ्य का उल्लेख करे कि सामने आने पर वह

PTS JODHPUR

अभियुक्त को पहचान सकता है तथा कार्यवाही शिनाख्तगी में सही पहचान हो जाने पर एफ.आई.आर. का साक्ष्यिक मूल्य है।

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 {158 BSA}**—सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बयान बदलने पर उसकी विश्वसनीयता की परख हेतु एफ.आई.आर. का महत्व है।

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 {163 BSA}**—विचारण के समय प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचना के तथ्य याद न होने की दशा में यदि वह यह कहता है कि प्रथम सूचना में बताए तथ्य ही सही थे तो इसका साक्ष्यिक मूल्य है।

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 व 77 {74(1)/76 BSA}**—एफ.आई.आर. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जो कि लोक प्राधिकारी है, द्वारा उसके आधिकारिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में तैयार की जाती है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अर्थों में लोक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के अनुसार दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के सबूत के रूप में एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि भी न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मौखिक साक्ष्य या बयान गवाहान —अन्वेषण के दौरान मौखिक साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 **{180 BNSS}**के तहत किसी मामले के अनुसंधान के दौरान साक्षीयों के कथन लेखबद्ध किये जाते हैं। धारा 160 **{179 BNSS}**के तहत अनुसंधान अधिकारी मामले के अनुसंधान के दौरान गवाहों को बुलाने के लिए लिखित में नोटिस (सफीना/हुकुमनामा) जारी कर गवाहों को उपस्थित होने के लिए पाबंद कर सकता है। 161 सीआरपीसी के तहत लिये गये बयानों पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाने चाहिये क्योंकि धारा 162 सीआरपीसी **{181 BNSS}**में कथनों पर गवाहो के हस्ताक्षर करवाना निषिद्ध है। धारा 162 के तहत गवाहों के बयानों पर हस्ताक्षर नहीं करवाये जाने के बारे में प्रावधान दिये गये हैं। **किन्तु राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 48 (4) के अनुसार आबकारी प्रकरणों में धारा 162 सीआरपीसी {181 BNSS}के प्रावधान लागू नहीं होंगें अर्थात् आबकारी प्रकरणों के अनुसंधान में बयानों पर हस्ताक्षर करवाये जायेंगें।** साक्षियों के कथन लेखबद्ध करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक हैः—

1.साक्षियों से मामले के परिचित तथ्यों के बारे में ही पूछताछ करनी चाहिए।

2.साक्षियों के बयान लेने से पूर्व अनुसंधान अधिकारी को किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए।

3.साक्षियों के बयान यथासंभव बिना किसी विलंब के दर्ज करने चाहिए। विलंब होने से साक्षी की विश्वसनीयता कम हो जाती है। यदि किसी कारण से बयान विलम्ब से दर्ज किये गये है तो देरी का कारण स्पष्ट होना चाहिये।

4.यह आवश्यक नहीं है कि साक्षी घटना के बारे में ही साक्ष्य दें, घटना घटित होने के संबंधित पहलुओं एवं संबंधित घटनाक्रम की सहायक परिस्थितियों के बारे में भी साक्ष्य ली जा सकती है।

5.यह आवश्यक नहीं है कि साक्षी दर्ज मामले के अभियोजन पक्ष के समर्थन में ही बयान देवे। साक्षी द्वारा घटना की सत्यता के संबंध में यदि कोई बयान दिया जा रहा है और यदि वह अभियोजन के समर्थन में नहीं है तो भी उस साक्षी के बयान दर्ज किये जाने चाहिए क्योकि अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य सत्यता का पता लगाना ही है।

6.मौखिक साक्ष्य उन्हीं लोगों के लिए जाने चाहिए जो उस घटना के वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी हैं या घटना की परिस्थितियों के बारे में बयान कर सकते हैं। अनावश्यक लोगों के बयान लेने से अन्वेषण कार्य जटिल हो जाता है।

7.अनुसंधान अधिकारी को बयान लेते समय साक्षियों को अपना मत नहीं बताकर घटना के संबंध में साक्षियों का दृष्टिकोण जानना चाहिए।

8.अनुसंधान अधिकारी द्वारा बयान दर्ज करते समय केवल घटना के सम्बन्ध में साक्षियों का दृष्टिकोण जानना चाहिये। अपना स्वंय का मन्तव्य उनके समक्ष स्पष्ट नहीं करना चाहिये।

9.साक्षियों के कथन लेते समय अनुसंधान अधिकारी को साक्षियों पर दबाव नहीं डालना चाहिये तथा अपनी राय नहीं देनी चाहिए। साक्षी स्वतंत्र रूप से बयान देवे यह सुनिश्चित करना चाहिए।

10. महिलाओं से बयान लेते समय उनकी लज्जा का ध्यान रखना चाहिए एवं यथासंभव उसके परिवार के किसी सदस्य के सामने बयान लेने चाहिए।

PTS JODHPUR

11. शारीरिक रूप से असक्षम लोगों से बयान लेते समय उनकी असक्षमता को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप पूछताछ करनी चाहिए।
12. बच्चों के बयान लेते समय उनसे साधारण भाषा में एवं प्रश्नोत्तरी बनाकर पूछताछ कर बयान लेने चाहिए।
13. अनुसंधान अधिकारी को साक्षियों द्वारा दिये गये बयानों की यथासंभव पुष्टि करनी चाहिए।
14. साक्षियों द्वारा घटना के संबंध में क्या साक्ष्य दी जा रही है वह स्पष्ट एवं सारगर्भित होनी चाहिए।
15. घटना के समय गवाह की घटनास्थल पर क्या स्थिति थी, उसने घटना किस कोण से देखी यह भी स्पष्ट होना चाहिये।
16. घटना के समय गवाह की उपस्थिति घटनास्थल पर किन कारणों से थी, यह भी कथनों में स्पष्ट होनी चाहिये।
17. घटना के समय प्रकाश की क्या व्यवस्था थी, गवाह ने घटना किस प्रकार देखी इसका भी उल्लेख बयानों में होना चाहिये।
18. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (1) **{183 BNSS}**के तहत किसी भी अपराध के अन्वेषण के दौरान कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के कथन अभिलिखित कर सकता है।
19. ऐसे कथन अनुसंधान अधिकारी की प्रार्थना पर या स्वयं कथन करने वाले की प्रार्थना पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जाएंगें।
20. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (5) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने के पश्चात ही कथन अभिलिखित करेगा।
21. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (6) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट व्यक्ति के कथन अभिलिखित करने के पश्चात कथनों को जांच या विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।
22. दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 164 (5क) क के तहत** यदि कथन किसी ऐसे व्यक्ति के है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 **{74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 65(2), 67, 68, 70(1), 70(2), 70(2), 71, 79 BNS}**के अन्तर्गत अपराध किया गया है, तो ऐसा अपराध पुलिस की जानकारी में आते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के कथन उपयुक्त तरीके से अभिलिखित करेगा।

- यदि कथन करने वाला स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा।
- स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक के सहयोग के साथ किए गए कथन की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

23. दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 164 (5ख) के अनुसार** धारा 164 (5क) के अन्तर्गत स्थाई या अस्थाई तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के रिकार्ड किए गए कथन को मुख्य परीक्षण के स्थान पर का कथन माना जाएगा और ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षण किया जा सकता है तथा विचारण के समय उसके अभिलेखन की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी साक्षी के अतिरिक्त बयान या तितम्बा बयान लिये जाते हैं तो इस संबंध में पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 5/98 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। इस परिपत्र में निम्न दिशानिर्देश जारी किये गये हैं:—

1.यदि कोई अनुसंधान अधिकारी मुकदमे के अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति के अतिरिक्त बयान ले तो बयान लेने से पूर्व उसे अपने पर्यवेक्षक (वृत्ताधिकारी) या अधीक्षक से बयान लेने की लिखित अनुमति लेनी होगी।
2.अनुसंधान अधिकारी को अपने पर्यवेक्षक अधिकारी के समक्ष केस डायरी के साथ लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि बयान लेना क्यों आवश्यक है, किन विशेष बिन्दूओं की जानकारी आवश्यक है और में लिये गये बयानों में से कौन सा बिन्दू स्पष्ट नहीं हो पाया है।

PTS JODHPUR

3.यदि पर्यवेक्षक अधिकारी (वृत्ताधिकारी) या पुलिस अधीक्षक अनुसंधान अधिकारी द्वारा वर्णित बयान लेने के कारणों से संतुष्ट हो जाए तो वो इसकी लिखित अनुमति देंगे। यदि वे प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणों से संतुष्ट नहीं हों तो कारणों का खुलासा करते हुए लिखित में उत्तर देगें।

4.अतिरिक्त बयानों के आधार पर यदि कुछ व्यक्ति फंसते या कुछ व्यक्ति बचते अथवा मुकदमे के आपराधिक जुर्म में बदलाव आता है तो पर्यवेक्षक (वृत्ताधिकारी) या पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त बयानों में लिये गये नये तथ्यों के बारे में पूरी तरह अपने को आश्वस्त कर लेवें।

5.यदि कोई पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिये गये बयानों को किसी उद्देश्य के कारण गलत तरीके से बदलता है या सारी स्थिति सही तरीके से दर्ज नहीं कर तथ्यों को छिपाता है या यह प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी द्वारा पक्षपात किया गया है तो जांच अधिकारी की विश्वसनीयता के विपरीत स्पष्ट प्रमाण माना जाकर विरूद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मृत्युकालीन घोषणा के बयान–जब कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में होता है और वह कोई कथन करता है तो धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम **{26 BSA}**के तहत ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये कथन सुसंगत माने गये हैं। यह घोषणा लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार की हो सकती है और किसी के भी समक्ष की जा सकती है। अर्थात् मजिस्ट्रेट, उपचार कर रहे डाक्टर, पुलिस अधिकारी अथवा जनता के किसी व्यक्ति के सामने की जा सकती है। यदि मरणासन्न व्यक्ति बोल या लिख सकने में असमर्थ है तो संकेतों द्वारा भी बता सकता है परन्तु ऐसी स्थिति संकेतों का क्या अर्थ है, यह न्यायालय द्वारा ही अनुवादित किया जायेगा। गवाह द्वारा उसका बताया गया अर्थ साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा।

1.अन्वेषण में इन बयानों का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यह बयान उस व्यक्ति के लिए जाते है जो मरणासन्न अवस्था में है अर्थात् उस समय लिए जाते है जब व्यक्ति मृत्यु–शैया पर होता है और उसे मृत्यु की आशंका होती है। ऐसा व्यक्ति घटना के बारे में कथन करता है।

2.ऐसा कहा जाता है कि–''मरते हुए व्यक्ति के अधरों पर सत्य का वास होता है'' यही धारणा मृत्युकालीन घोषणा के बयानों की साक्ष्य में ग्रहयता का आधार है।

3.मृत्युकालीन घोषणा के बयान सामान्यतः मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किए जाते है। लेकिन मजिस्ट्रेट के उपलब्ध नहीं होने पर यह चिकित्सा अधिकारी अथवा दो व्यक्तियों की उपस्थिति में राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जा सकते है।

4.मृत्युकालीन घोषणा के बयान तभी लेखबद्ध किए जाने चाहिए तब बयान देने वाला व्यक्ति बयान देने अर्थात् सोचने एवं समझने की स्थिति में हो। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.मृत्युकालीन कथनों पर धारा 162 द.प्र.सं. **{181 BNSS}**के तहत कथन करने वाले के हस्ताक्षर करवाये जावेगें।

6.यदि मृत्युकालीन कथन करने वाला व्यक्ति जीवित रह जाये तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 की धारा 145 **{148 BSA}**के अनुसार बयान खण्डन के कार्यों के लिए सुसंगत हो ताती है और धारा 157 **{160 BSA}**के अनुसार प्रमाणित साक्ष्य हैं।

7.मृत्युकालीन कथन सामान्यतः विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट से भिन्न अन्य किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किये जावेगें।

8.इस प्रकार के कथनों में कथन करने वाले व्यक्ति की मनोदशा एवं उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में भी उल्लेख होना चाहिए।

मृत्युकालीन घोषणा लिखते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें :–

A. पुलिस को चाहिये कि वह किसी मजिस्ट्रेट को मरने वाले के पास बयान लेने के लिए ले जावे।

B. प्रयास इस बात का किया जाना चाहिये कि वक्तव्य किसा मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिखा जाये। जैसे ही उपचार कर रहे डाक्टर से ज्ञात हो कि व्यक्ति मरणासन्न (अगर लिख कर ले लिया जावे तो ओर अच्छा रहता है) है परन्तु समीपस्थ मजिस्ट्रेट के पास लिखित आग्रह भेजा जाना चाहिये कि तत्काल मृत्युकालिन घोषणा लिखी जाये।

PTS JODHPUR

C. यदि कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो डाक्टर से ही अनुरोध किया जाना चाहिए कि घायल व्यक्ति की मृत्युकालिन घोषणा वह लिखे परन्तु ऐसा लिखा जाने के पहले ऐसा प्रमाण पत्र इस आशय का भी ले लिया जावे कि वह व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल है और मर भी सकता है।

D. यदि मजिस्ट्रेट आसानी से उपलब्ध नहीं है तो पुलिस अधिकारी ऐसे दो गवाह सम्मुख जिनका पुलिस अथवा मृतक से कोई सम्बन्ध न हो, स्वयं मृत्युकालिन घोषणा लेखबद्ध कर सकता है।

E. ऐसे केश में जब गवाह भी उपलब्ध नहीं हो तो अच्छा यही होगा कि कोई राजपत्रित अधिकारी इसे लेखबद्ध करे अथवा एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी के सम्मुख इसे लिखे।

F.यदि मृत्युकालिन घोषणा मजिस्ट्रेट के समक्ष नही हो तो यह शपथ पर नहीं हो।

G. घोषणा को मरने वाले की भाषा में लिखी जावे जो उसकी मृत्यु का कारण बताये तथा जिसके हाथों उसकी मृत्यु हो रही है, भले ही उससे छोटी–छोटी जानकारी विस्तृत रूप से नहीं हो तो भी उस में विशेष घटना और घटना के पूर्व की स्थिति का पूर्ण विवरण हो।

H. यदि डॉक्टर किन्ही कारणोंवश तैयार नहीं होता है या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा घोषणा लिखी जानी चाहिये। या फिर भी सबसे बड़ा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं गवाह के रूप में यदि कोई डाक्टर या नर्स रहे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वे स्वाभाविक गवाह के रूप में होंगे। इनके अलावा कोई और निष्पक्ष व्यक्ति को गवाह बना लिया जाना चाहिये।

I. डॉक्टर उपलब्ध हो तो वह यह प्रमाण दे कि मरने वाला मृत्युकालिन घोषणा से पहले पूर्णतया होश में था। डॉक्टर से यह भी कहा जावे कि वह घोषणा पूर्ण होने तक वहीं उपस्थित रहे और गवाह के रूप में हस्ताक्षर करे।

J. यदि घायल व्यक्ति देहात में हो और उसको कहीं अस्पताल ले जाते –जाते उसके मर जाने की सम्भावना है तो वहीं प्रधान से ही अनुरोध कर उसकी लिपिबद्ध करा लेनी चाहिये।

K. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के अनुसार ऐसी कोई घोषणा लिखे जाने की यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है। फिर भी उसकी मानसिक स्थिति का उल्लेख भी लाभकारी है। उसका यह कहना कि ''अब मैं कुछ मिनटों का ही मेहमान हूँ'' ''मैं मर रहा हूँ'' ''अब नहीं बच सकता'' अथवा उसके द्वारा अपनी वसीयत लिखने के लिए कागज कलम का मांगा जाना, अपनी गोपनीय बातों व धन किसी को बताना, किसी बहुत करीबी रिश्तेदार लड़के आदि को बुलाना अथवा डाक्टर से ईलाज कराने या दवा लेने से इंकार करना आदि ऐसे संकेत हैं कि अब उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति यह है कि वह अपने को मरनासन्न सोच रहा है। स्वाभाविक है कि ऐसी घोषणा की विश्वसनीयता न्यायालय की दृष्टि में अधिक होगी।

L. मरणासन्न व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह उपरोक्त घोषणा पूर्ण मानसिक चैतन्यता में कर सकता है। जहाँ डॉक्टर की राय में व्यक्ति मरने वाला है, वहॉ अन्वेषणकर्ता अधिकारी की यह राय ले लेनी चाहिए कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक है। यदि वह किसी शराब आदि के नशे में है। तो ऐसे व्यक्ति की घोषणा बेकार है। कभी–कभी चोट से भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है।

M. घोषणा प्रश्न उत्तर रूप में लिखी जाये तो उचित रहती है। परन्तु कभी भी सांकेतिक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। जैसे '' क्या तुम्हारे पति ने तो हत्या नहीं की'' या ''अमुख व्यक्ति (नाम) ने तो नहीं मारा'' आदि। प्रश्न केवल सूचना प्रापत करने के उद्देश्य से ही पूछे जायें और अधिक उसी को बोलने दिया जावे। प्रश्न पर उत्तर पूरे के पूरे उसी घायल व्यक्ति के शब्दों में ही लिखी जाये न कि सारांश लिखा जाये।

N. यदि व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर अन्वेषणकर्ता अधिकारी के पहुॅचने के पहले ही हो गयी हो तो जिन व्यकितयों से उसने कोई घोषणा की हो, उनका बयान तुरन्त ले लिया जाना चाहिए और उस पर उनके हस्ताक्षर भी प्रज्ञप्त करा लेन चाहिए। उनसे अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे घायल द्वारा कही हर बात हरकत व बनाई गई हर बात उसी व्यक्ति के शब्दों में यथासंभव सही –सही बता रहे हैं।

O. यह घोषणा तत्काल लिखी जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कान भरने का मौका मिल चुका है। तो न्यायालय को उसकी सच्चाई पर संदेह हो सकता है। कितनी दूर से कातिल को देखा, प्रकाश था कि नहीं आदि बातो का जिक्र यदि हो तो अच्छा है। परन्तु समयाभाव में इस प्रकार के प्रश्नों में समय बिताना मूर्खता होगी। बाद में अन्वेषण में अन्वेषणकर्ता अधिकारी को इन बातों को स्पष्ट करना चाहिए

PTS JODHPUR

मृतक का चरित्र कैसा रहा है। सच बोलने की इतनी ख्याति है कि नहीं आदि भी अन्वेषण में स्पष्ट किया जाना चाहिए। यही बातें हैं जिन पर बचाव पक्ष द्वारा प्रकाश डालकर सन्देह पैदा करने का प्रयास परीक्षण के दौरान किया जायेगा।

P. यदि घायल व्यक्ति किसी अपराधी को पहचानता नहीं तो उसका पूरा हुलिया या अन्य कोई निशान आदि स्पष्ट और अलग अलग लिखा जाना चाहिए ताकि उसकी गिरफ्तारी पर वे बातें स्पष्ट होकर तस्दीक हो सके। यदि इसी बीच वह पकड़ लिया जाता है तो चार पॉच अन्य उसी तरह के व्यक्तियों के बीच खड़ाकर उसकी पहचान कराई जा सकती है। और उसके देखने के बाद कहे गए शब्दों को गवाहों की उपस्थिति में लिखा जा सकता है। यदि वह व्यक्ति उसका तिर्यक परीक्षण करना चाहे तो उसे भी अनुमति दी जाये और हर बात लिख ली जाये। परन्तु ऐसा तभी किया जाये जब घायल व्यक्ति के बचने की कोई आशा ना हो वरना बाद में ही विधिवत शिनाख्त कराया जाना उचित रहेगा।

Q. अपनी घोषणा यदि घायल व्यक्ति खुद लिख कर दे तो सबसे अच्छा है। यदि नहीं लिख सकता है तो लिखने के बाद पढ़कर उसे सुनाया जाये और उसे हस्ताक्षर करे गवाहों के भी हस्ताक्षर कराये जाने चाहिए। परन्तु यदि पढ़कर सुनाया नहीं जा सका और हस्ताक्षर नहीं लिये जा सके और इसी बीच घायल व्यक्ति मर जाता है। तो ऐसी अपूर्ण घोषणा साक्ष्य के रूप में अमान्य नहीं हो जाती है। परन्तु इस आशय की टिप्पणी उसी कागज पर लिख ली जानी चाहिए इससे न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकता है, उस पर विश्वास करना या न करना न्यायालय पर निर्भर करेगा।

R. घोषणा लिखने के पश्चात् मरने वाले के हस्ताक्षर करवा लिये जावें अथवा उससे तस्दीक करवा ली जावें यही कार्यवाही गवाहों द्वारा भी करवाई जावे। पुलिस अधिकारी भी समय, तिथि और स्थान का विवरण देते हुये स्वयं अपने हस्ताक्षर करें। उस घोषणा को अन्वेषण अधिकारी केस डायरी में यथावत ही लिखें। मूल प्रतिलिपि आरोप पत्र के साथ अदालत में पेश करें अन्वेषण अधिकारी अपने आपको एवं उन गवाहों को निके सामने मृत्युकालिन घोषणा पर हस्ताक्षर हुए है।, उन्हें साक्ष्य के रूप में रखें।

घटनास्थल का नक्शा–मौका

किसी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी साक्ष्य संकलित करने के प्रयोजन से अपराध के घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा–मौका (Crime Scene Memo / Site Plan)तैयार करता है। फर्द नक्शा–मौका घटना की सटीक जानकारी, स्पष्टीकरण तथा पुनःस्थापन (Reconstruction) की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी अनुसंधान के लिए घटनास्थल पर पहुँच कर मौके पर घटना से संबंधित वस्तुओं, निशान, आलामात आदि को दर्शाते हुए दो मौतबिर/गवाहों की मौजूदगी में नक्शा तैयार करता है, जिसे **'फर्द नक्शा मौका'** कहा जाता है।

घटनास्थल का निरीक्षण (दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 157) {176 BNSS}–

क. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिये घटनास्थल के लिए प्रस्थान करता है।

ख. थानाधिकारी अन्वेषण करने में सक्षम अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को भी घटनास्थल पर जाने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

घटनास्थल की सुरक्षा तथा निरीक्षण के लिए अतिशीघ्र प्रस्थान –

क. अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी का यह दायित्व है कि वह घटनास्थल को सुरक्षित करे तथा कानिस्टेबल को सुरक्षा हेतु नियुक्त कर घटनास्थल पर प्रवेश निषेध की चेतावनी का बोर्ड लगावे। रस्सी/प्लास्टिक टेप का प्रयोग श्रेयस्कर रहता है।

ख. यह आवश्यक है कि अनुसंधान अधिकारी जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटनास्थल तैयार करे। घटनास्थल निरीक्षण में देरी के कारण साक्ष्यों व तथ्यों से छेड़छाड़ एवं नष्टीकरण की प्रबल संभावना रहती है। अतः अपराध के घटनास्थल का संरक्षण एवं अतिशीघ्र निरीक्षण प्रकरण की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

नक्शा–मौका में अंकित करने योग्य तथ्य –घटनास्थल का नक्शा मौका इस तरह तैयार करना चाहिये कि जिसने घटना नहीं देखी हो वह नक्शा मौका की फर्द देख कर आसानी से समझ सके कि घटना किस तरह घटित हुई। फर्द नक्शा मौका स्पष्ट, पठनीय तथा घटना की सजीव कहानी कहने वाला होना चाहिये, जिसे देखकर कोई अनजान व्यक्ति घटनास्थल पर पहुँच सकता हो। नक्शा मौका पीड़ित,

PTS JODHPUR

परिवादी या चश्मदीद गवाह की निशादेही से दो स्थानीय मौतबिर व्यक्तियों की मौजूदगी में तैयार करना चाहिये। नक्शा मौका में मौके पर दिखाई देने वाली चीजों को दर्शाना चाहिये।

क. अन्वेषण अधिकारी को फर्द नक्शा–मौका में वे ही तथ्य दर्शाने चाहिये जो उसने घटनास्थल पर देखे (officer's personal observation) हैं। गवाहों के बयानों के आधार पर नक्शा मौका तैयार कर उस पर गवाह के हस्ताक्षर करवाने से नक्शा मौका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 **{181 BNSS}**से विरोधात्मक हो जाता है। – तोरी सिंह व अन्य बनाम यू.पी. राज्य ए.आई.आर. 1962 सुप्रीम कोर्ट 399

अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहों के बयान के आधार पर फर्द नक्शा–मौका में अंकित बातें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। – राजस्थान राज्य बनाम भवानी व अन्य 2003 (7) सुप्रीम कोर्ट केसेज 291

ख. नक्शा मौका के पुश्त पर **'हालात् मौका'** लिखे जाने की परम्परा है और हालात् मौका में गवाहों की जानकारी पर आधारित तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। हालात् मौके पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवाये जाते हैं। इस संबंध में कानूनी स्थिति यह है कि हालात् मौके में विवरण नक्शा मौका में दर्शाये तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिये तथा इस तरह के हालात् मौके पर उन गवाहों के हस्ताक्षर करवाने चाहिये जिनके सामने नक्शा मौका तैयार किया गया हो। लेकिन जिस गवाह की जानकारी के आधार पर नक्शा मौका में तथ्य दर्शाये हैं, उसके हस्ताक्षर कराने से नक्शा मौका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक हो जाता है।

ग. नक्शा–मौका में घटनास्थल, आस–पास के मकानों व भूखण्डों तथा स्थायी चीजों (Landmarks) जैसे– कुँआ, पेड़, रेल की पटरी आदि को दर्शाना चाहिए। वहाँ पर मिले हथियार, वाहन, पद–चिन्ह, फिंगर–प्रिन्ट, खून, शव, बाल व अन्य आलामात इत्यादि का भी विवरण अंकित करना चाहिये। अभियुक्त के आने व जाने की दिशा के अतिरिक्त वे बिन्दु भी दर्शाये जाने चाहिये जहाँ से प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना को देखा हो। रात्रि में घटित घटना के नक्शे मौके में प्रकाश के स्रोत की स्थिति, संख्या, प्रकाश की मात्रा व अन्य सहयोगी प्रकाश स्रोतों का उल्लेख प्रचुर मात्रा में करना चाहिये।

घ. नक्शा–मौका में दिशा, दूरी व माप का सही अंकन होना चाहिये। नक्शा मौका में तैयार करने की दिनांक, समय तथा स्थान का उल्लेख करना चाहिये। प्रायः पृष्ठ के ऊपर उत्तर दिशा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि नक्शा किस ओर से देखा जाय।

ड़. नक्शा–मौका स्वयं अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर ही तैयार करना चाहिये। यदि कोई विशेषज्ञ या पटवारी नक्शा तैयार कर रहा है तो अनुसंधान अधिकारी को अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। उचित यह रहता है कि पटवारी के सहयोग से जमीन संबंधी प्रकरणों में नक्शा मौका बनाया जावे।

च. नक्शा–मौका तैयार करते समय परिवादी या किसी चश्मदीद गवाह को साथ रखा जाना चाहिये ताकि वह घटनास्थल की निशादेही कर सके। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 (2) **{190 BNSS}**के तहत बंधपत्र निष्पादित कर मौतबिर व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थिति हेतु पाबंद करना चाहिये।

छ. अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह के कथन के आधार पर आपराधिक घटना के समय, स्थान व रीति के बारे में नक्शा–मौका में दिया गया विवरण सुनी–सुनाई बात होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (2) के दायरे में आने के कारण सम्पुष्टि(corroboration)के प्रयोजन से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुसंधान अधिकारी के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर देखी गई बातें ही सारवान् साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

ज. ड्राफ्ट्समेन द्वारा तैयार किये गये मानचित्र के बारे में विधिक स्थिति कुछ भिन्न है। जब अनुसंधान अधिकारी ने हत्या की घटना के चश्मदीद गवाहों की जानकारी के आधार पर नक्शा मौका तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक माना गया। लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने ड्राफ्ट्समेन से घटनास्थल का नक्शा बनवाया। ड्राफ्ट्समेन ने मानचित्र बनाते समय हमलावर तथा पीड़ित के खड़े रहने की स्थिति को गवाह से प्राप्त जानकारी के आधार पर नक्शे में दर्शाया, जिसकी पुष्टि गवाह ने न्यायालय में आकर विटनेस–बॉक्स में कर दी तो यह साक्ष्य में ग्राह्य माना गया।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 व नक्शा मौका –

क. नियम 6.10 – घटनास्थल पर अविलम्ब पहुँचना – संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना हो जायेंगे। यदि ऐसा अधिकारी अन्वेषण के लिए अधिकृत

PTS JODHPUR

नहीं है तो घटनास्थल को सुरक्षित करके विवरण लिखेगा, साक्षियों को रोके रखेगा, मामले की सूचनाएँ एकत्रित करेगा और अपराधी को गिरफ्तार करेगा।

ख. नियम 6.13– घटनास्थल का मानचित्र/नक्शा मौका –

किसी भी मामले में घटनास्थल के दो मानचित्र तैयार किये जायेंगे। एक मानचित्र आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन के साथ तथा दूसरा मानचित्र अभियोजन की दृष्टि से विभागीय उपयोग हेतु रखा जाता है। गंभीर मामलों तथा जमीन विवाद के मामलों में पटवारी से दो प्रति में मानचित्र बनवाया न्यायालय में पेश की जायेगी। दूसरी प्रति में साक्षियों के बयानों पर आधारित बातें लिखी जायेगी जो केवल विभागीय उपयोग में लाया जायेगा क्योंकि इसका साक्ष्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है।

पुलिस अधिकारी द्वारा पटवारी को मानचित्र में दर्शाये जाने वाले भूमि संकेत तथा मुख्य प्राकृतिक बिन्दु बताये जायेंगे। मानचित्र में प्रविष्टियां पटवारी द्वारा काली स्याही से तथा पुलिस द्वारा लाल स्याही से की जानी चाहिये।

नक्शा मौका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

मजिस्ट्रेट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 310 **{347 BNSS}**के तहत कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षों को उचित नोटिस देने के उपरांत अपराध के घटनास्थल का निरीक्षण कर सुसंगत सूचनाओं की फर्द बना सकता है।

भूमि संबंधी मामलों में पटवारी द्वारा नक्शा–मौका तैयार करवाना –भूमि विवाद से संबंधित मामलों में पटवारी से रेवेन्यू रिकॉर्ड व खसरा नम्बर इत्यादि सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद फर्द नक्शा–मौका तैयार की जानी चाहिये। पटवारी से भूमि के नक्शे का प्रारूप अवश्य बनवा लेना चाहिये।

अपराध के घटनास्थल की एनालॉग व डिजीटल फोटोग्राफी –

क. घटनास्थल की फोटोग्राफी से सम्पूर्ण घटनास्थल का सही चित्रण सामने आता है और मजिस्ट्रेट के दिमाग में घटनास्थल की परिस्थितियों की पुनःस्थापना करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 **{7 BSA}**के तहत फोटोग्राफी साक्ष्यिक मूल्य रखती है।

ख. फोटोग्राफी करते समय एक फोटो में सम्पूर्ण घटनास्थल तथा अन्य क्लोज–अप फोटोग्राफ्स में महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य व फुट–प्रिन्ट इत्यादि कवर किये जाने चाहिये।

ग. एनेलॉग फोटोग्राफी की स्थिति में नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये और डिजीटल फोटोग्राफी की स्थिति में हैश–वेल्यू निकालनी चाहिये ताकि न्यायालय को डिजीटल फोटोग्राफ्स के साथ छेड़छाड़ का संदेह न हो।

घटनास्थल के संबंध में कानूनी पहलू :–

1. अपराध घटनास्थल के मौका मुआयना की फर्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 **{7 BSA}**एवं धारा 35 **{29 BSA}**के अन्तर्गत सुसंगत हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 में कोई भी तथ्य जो कि अभियुक्त का आचरण सिद्ध करने में या हेतु का साक्ष्य देने में सहयोग करता है वह सुसंगत है। यह धारा उन सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करती है, जैसे कि :–

(a) जो कि विवादित तथ्य व सुसंगत तथ्य कि व्याखा करते है। या

(b) जो कि किसी विवाद्यक तथ्य व सुसंगत तथ्य से निकले हुये तर्क को या तो समर्थन प्रदान करते हैं या खंडन करते है।

(c) वह तथ्य जो किसी व्यक्ति की अनन्यता जिसकी अनन्यता सुसंगत हैं स्पष्ट करते हैं।

(d) वह तथ्य जो कि ठीक समय व जगह निर्धारित करते हैं कि कब और कहॉ कोई विवाद्यत अथवा सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो या।

(e) वह तथ्य जो कि दोनों पक्षों के आपस के सम्बन्ध में कथित कार्य की तरफ जहॉ तक की वे उस लक्ष्य के पाने में आवश्यक है, दिखाते हैं।

A. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 {29 BSA}के अनुसार यदि कोई दस्तावेज स्वीकृत किया जावे तो तीन शर्त अनिवार्य हैंः–

(a) वह इन्द्राज जिस पर विश्वास किया जाना है वह किसी सार्वजनिक अथवा अन्य सरकारी किताब का होना चाहिये।

(b) यह वह ही इन्द्राज होना आवश्यक है जो कोई विवाद्यक तथ्य अथवा सुसंगत तथ्य बताता हो।

PTS JODHPUR

(c) वह किसी सार्वजनिक सेवक द्वारा अपने राजकीय अनुक्रम के दौरान बनायी जानी चाहिये या किसी व्यक्ति द्वारा जिसका की कानून वह कार्य करने की आज्ञा प्रदान करता है। या किसी व्यक्ति के निर्देश द्वारा जिसके उसे उस समय बनाने का कर्तव्य था (राज्य बनाम कमरूद्दीन – ए.आई.आर. 1956 नागपुर 74) यह आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक जो कि इन इन्द्राज को तैयार करता है वह किसी कानूनी अधिनियम द्वारा उसे करने अथवा रखने से कर्तव्यबद्ध हो। (फक्कड़ बनाम प्रागी –ए.आई.आर. 1935 अवध 268)।

2. साक्षियों के कथनो के आधार पर यदि नक्शा मौका मुआयना की फर्द में कोई भी व्यक्ति अथवा प्वाइंट अनवेषण अधिकारी ने दिखाये हैं और साक्षियों द्वारा फर्द हस्ताक्षरित है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 162 **{181 BNSS}**से विरोधात्मक हो जाते हैं इसलिए यह आवश्यक हैं कि प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी फर्द नक्शा मौके मुआयने में ही वे मार्क या प्वाइंट दर्शाये जो कि स्वयं उसने अपराध घटनास्थल पर देखे हैं, न कि वे स्थान जिनको साक्षियों ने उसे बताये हैं अन्वेषण अधिकारी स्वयं मौके पर जो भी वस्तु स्थिति देखता है वह ही उसको अंकित करे। यह ही कानून की इच्छा है।

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 310 **{347 BNSS}**के अनुसार कोई भी न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट संबन्धित पक्षों को उचित नोटिस देने के उपरान्त अपराध घटनास्थल का निरीक्षण कर सकता है और घटनास्थल के संबंध में संगतमय सूचनाओं की फर्द बना सकता है।

4. अतः कानूनी रूप से फर्द नक्शा मौका मुआयना (रेखाचित्र या डायग्राम) निम्नलिखित कारणों से न्यायालय में मान्य हैः–

(a) यदि यह किसी विशेषज्ञ के द्वारा बनाया गया अथवा विशेषज्ञ की राय का एक हिस्सा है।

(b) यदि यह अपराध घटनास्थल का पुर्नस्थापन करता है।

(c) यदि यह स्पष्ट व सही रूप से स्थान और घटना को अंकित करता है।

घटनास्थल से सम्बन्धित पुलिस मुख्यालय का परिपत्र 11/2000

जैसा कि आप जानते है किसी भी आपराधिक प्रकरण का अनुसंधान घटनास्थल से ही आरम्भ होता है। अभियुक्त घटनास्थल पर कई ऐसे आलामात् छोड़ जाता है जो उसे अपराध से जोड़ने में सहायक होते है। घटना स्थल पर उपलब्ध जैविक व भौतिक साक्ष्यों को यदि सावधानी से विशेषज्ञों की सहायता से एकत्र किया जाए तो अनुसंधान से सहायता मिलती है। यदि घटनास्थल को सुरक्षित न रखा जाए तो जैविक परिपेक्ष्य में घटनास्थल को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रायः यह देखा गया है कि पुलिसकर्मी घटनास्थल को सुरक्षित नहीं रखते। सम्भवतः कर्त्तव्य बोध की कमी एवं उदासीनता के कारण इसे खराब कर देती है।

यह प्रायः इसलिए होता है क्योंकि मौक पर उपस्थित पुलिसकर्मी सुरक्षा डोरी से घटनास्थल को सुरक्षित नहीं करते और भीड़ को नियंत्रित नहीं करते। घटनास्थल पर उपलब्ध जैविक एवं भौतिक साक्ष्य की पूर्ण सूचि तो बनाना सम्भव नहीं है, फिर भी निम्न प्रकार का साक्ष्य मिल सकता हैः–

(अ) निशान – अंगुल चिन्ह, पद चिन्ह, औजार के निशान, टायर के निशान, दॉत के निशान आदि;

(ब) दस्तावेज – हस्त लिपि, टाईप लिपि, हस्ताक्षर, लेखन सामग्री

(स) अग्नेय शस्त्र – फायर किया हुआ का कारतूस का खोखा; फायर हुआ बुलेट, बैड, पैलेट एवं बारूद आदि;

(द) मिट्टी, गर्द व मलबा;

(य) बाल, रेशे, वस्तु;

(र) रक्त, वीर्य, थूक, उल्टी आदि; एवं

(ल) पेन्ट, ग्लास, लकड़ी, हड्डी आदि।

प्रकरण की सफलता के लिए जैविक एवं भौतिक साक्ष्य को विशेषज्ञ दल के आने तक सम्भाल कर रखना नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश किये जाते हैः–

(अ) क्या–क्या करना है–

1.अपराध स्थल पर सुरक्षा डोरी एवं इन्वेस्टीगेशन बॉक्स लेकर बिना विलम्ब के पहुँचे।

2.अपराध स्थल को सुरक्षा डोरी से सुरक्षित रखें।

3.अपराध स्थल पर प्रवेश एवं निकास के लिए उचित स्थान का चयन कर सुरक्षा डोरी से अंकित करें

4.घटना स्थल का जायजा लेकर अपराध प्रकृति को देखते हुए FSL/FPB/MOB/डॉग स्कॉड/बम्ब डिस्पोजल आदि विशेषज्ञ टीम के लिए पुलिस अधीक्षक को शीघ्र सूचित करें।
5.केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही चिन्हित प्रवेश मार्ग से घटनास्थल में प्रवेश दिया जावे।
6.घटनास्थल पर साक्ष्य पदचिन्ह्, टायर मार्क्स इत्यादि जो वर्षा, हवा के कारण प्रभावित हो सकते है, उन्हें तगारी आदि से ढक दे।
7.रक्त, वीर्य, उल्टी बाल रसायन, ज्वलनशील पदार्थ, हडिड्यों, टूलमार्क आदि को ज्यों को त्यों सुरक्षित रखें एवं रंगीन चॉक/मार्किंग पेन्सिल से चिन्हित करें।
8.अपराध स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करावें।
9.अपराध स्थल पर किसी भी वस्तु को अनावश्यक न छुआ जावे, यदि आवश्यक हो तो दस्तानों का प्रयोग करें।
10. जैविक साक्ष्य जैसे रक्त, वीर्य, थूक आदि को सफेद सूती कपड़े के टुकड़े में सोख कर उठावें तथा हवा में सुखाकर भेजें। रक्त रंजित प्रादर्शो को दोनों तरफ अखबार लगाकर पैक करें।
11. अन्य प्रादर्श जैसे मॉस, हडिड्यां दॉत, बाल इत्यादि भी इसी तरह कागज में लपेट कर पैक करें।
12. चिकित्सा अधिकारी द्वारा रक्त, वीर्य, थूक आदि संग्रह करते समय स्टेलाइज्ड काच की छोटी शीशी (ग्लास, बोतल) में तरल नमूनों को मय प्रिजरनेटिव के थर्मस में बर्फ डालकर प्रयोगशाला में भेजें।
13. विसरा, रक्त व पेट का धोवन इत्यादि प्रार्दशों की सही मात्रा एवं सही प्रिजर्वेशन कांच की बरनी व शीशी में सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा ठीक प्रकार से सील एवं पैक करायें।
14. प्रत्येक प्रादर्श की उचित मात्रा संग्रहित करें।
15. प्रादर्शो को सही तरीके से पैक करें।
16. सील सही तरीके से पूरी व स्पष्ट लगावें।
17. स्पष्ट प्रमाणित नमूना सील संलग्न करें।
18. लेबल (चस्पा) पर मार्किंग एवं वांछित सम्पूर्ण विवरण अंकित करें।
19. परीक्षण के लिए अधिकार पत्र संलग्न करें।
20. मेडिकल रिपोर्ट संलग्न करें।
21. आवश्यकतानुसार कंट्रोल सेम्पल भी भेजा जावे।
22. कटिंग/ओवर राईटिंग पर लघु हस्ताक्षर करें।
23. अग्रेषण पत्र मय प्रादर्शो एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रयोगशाला में अविलम्ब जमा करावें।
24. विशेष वाहक वर्दी में ही उपस्थित हो।

(ब) क्या–क्या नहीं करना है–

1.इन्वेस्टीगेशन बॉक्स का सामान चैक करना ना भूलें।
2.सर्वप्रथम सुरक्षा डोरी से घटनास्थल को सुरक्षित करना ना भूले।
3.अपराध स्थल पर प्रवेश के लिए उचित स्थान का चयन करना ना भूले।
4.समुचित विशेषज्ञ टीम को बुलाने के लिए अपराध सम्बन्धी पूर्ण जानकारी पुलिस अधीक्षक को देना ना भूलें।
5.अनाधिकृत व्यक्तियों को घटनास्थल में प्रवेश व छेड़छाड़ न करने देवे।
6.पदचिन्ह एंव टायरमार्क्स को तगारी से ढकना ना भूले।
7.घटनास्थल पर पाये जाने वाले भौतिक साक्ष्यों को धूप, हवा एवं वर्षा से सुरक्षित एवं चिन्हित करना (रंगीन चॉक/मार्किंग पेंसिल से) ना भूले।
8.अपराध स्थल की उचित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की तुरंत व्यवस्था करवाना ना भूलें।
9.अनावश्यक रूप से अपराध स्थल पर किसी भी वस्तु को नहीं छोड़े व मूल स्थिति बनाये रखना नहीं भूले।
10. अपराध स्थल पर पाये जाने वाले जैविक साक्ष्य जैसे खून, वीर्य आदि तरल पदार्थो को बिना सुखाये संरक्षित नहीं करे एवं धूप से क्षति न होने देवें।
11. प्रदर्शो को नमी से बचाने हेतु कागज का प्रयोग करना नहीं भूलें।
12. चिकित्सा अधिकारी से प्रिजर्व करवाना व बर्फ में रखना नहीं भूलें।
13. पोस्टमार्टम सामग्री को प्रयोगशाला में अविलम्ब भिजवाना नहीं भूलें।
14. प्रत्येक प्रादर्श की उचित मात्रा संग्रहित करना न भूलें।

PTS JODHPUR

15. प्रादर्शो को सही तरीके से पैक करना नहीं भूलें।
16. सील का उपयोग इस प्रकार करें कि सील तोड़े बिना प्रादर्शे को निकाला नहीं जा सके।
17. नमूना सील अस्पष्ट एवं अप्रमाणित नहीं होना चाहिए।
18. पैकिटों के लेबल पर मुकदमा नम्बर, आईओ, गवाहो, मार्किंग, प्रादर्शो का विवरण लिखना नहीं भूलें।
19. अधिकार पत्र संलग्न करना ना भूलें।
20. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन्जरी रिपोर्ट आदि संलग्न करना ना भूलें।
21. सही कन्ट्रोल सेम्पल लेना नहीं भूलें।
22. कटिंग/ऑवर राईटिंग नहीं करें।
23. अग्रेषण पत्र मय प्रादर्शो एवं आवश्यक दस्तावेजों में एफआईआर नमूना सील, अधिकार पत्र, मेडिकल रिपोर्ट, फर्दजप्ती इत्यादि की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करना नहीं भूलें।
24. विशेष वाहक कमाण्ड सर्टिफिकेट लाना नहीं भूलें।

रिमाण्ड

रिमाण्ड का अर्थ है अभिरक्षा में प्रतिपेषण (return to custody)। जब पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पुनः अभिरक्षा में प्राप्त करता है तो रिमाण्ड कहा जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 **{58 BNSS}**के अनुसार अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता अर्थात् 24 घण्टे की अवधि के भीतर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है।
अभियुक्त को गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक की यात्रा में लगे समय को 24 घण्टे की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

रिमाण्ड के प्रकार –
क. पुलिस रिमाण्ड – पुलिस अभिरक्षा में प्रतिपेषण
ख. न्यायिक रिमाण्ड – न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिपेषण

रिमाण्ड की आवश्यकता –

क. पुलिस रिमाण्ड की अवाश्यकता – अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति से 24 घण्टे की अवधि तक अनुसंधान करने का अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 **{58 BNSS}**के तहत प्राप्त है। यदि उक्त 24 घन्टे के भीतर अन्वेषण पूरा हो जाता है तो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है परन्तु पुलिस अधिकारी को अनुसंधान हेतु 24 घण्टे से अधिक समय की आवश्यकता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 **{187 BNSS}**के तहत न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अधिकतम 15 दिन तक की अवधि के लिए पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर सकता है।

ख. न्यायिक रिमाण्ड की आवश्यकता – जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 **{187 BNSS}**के तहत पुलिस रिमाण्ड हेतु नियत अधिकतम 15 दिन की अवधि के दौरान या समाप्ति पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो पाता है तो धारा 167 में न्यायिक अभिरक्षा हेतु नियत 90 दिन या 60 दिन की अधिकतम अवधि तक अभियुक्त को मजिस्ट्रेट ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजता है।

रिमाण्ड फॉर्म – रिमाण्ड फॉर्म में अभियुक्त का नाम, उसके खिलाफ लगे आरोपों का विवरण तथा रिमाण्ड की अवधि व कारण का उल्लेख किया जाता है। जब अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तब रिमाण्ड फॉर्म पर अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं।

पुलिस रिमाण्ड –

क. अवधि – मजिस्ट्रेट अभियुक्त को कुल मिलाकर 15 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में भेजने का आदेश कर सकता है। पुलिस रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को एस.एच.ओ. या एस.आई से अनिम्न रेंक का अनुसंधान अधिकारी केस डायरी के साथ निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है।

PTS JODHPUR

ख. ट्रांजिट रिमाण्ड – यदि मजिस्ट्रेट मामले के विचारण की अधिकारिता नहीं रखता है और अभियुक्त को पुलिस रिमाण्ड पर भेजना आवश्यक न समझे तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने के आदेश भी कर सकता है।

ज्यूडिशियल रिमाण्ड –

क. मामले में अभियोजन चलाने के पर्याप्त आधार होने की दशा में मजिस्ट्रेट 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकेगा।

ख. ज्यूडिशियल रिमाण्ड की अवधि –

- **दस वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध – 90 दिन**
- **दस वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध – 60 दिन**
- **एनडीपीएस एक्ट की धारा 36(क)(4) के तहत वाणिज्यिक मात्रा के अपराधों तथा धारा 19, 24, 27(क) के अपराधों के संबंध में – 180 दिन, जो विशेष कारणों से एक वर्ष हो सकती है।**
- **राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 49(1) के अनुसार धारा 54, 54(ख), 54(घ) तथा धारा 56 आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए साठ दिन के स्थान पर 120 दिन तथा 90 दिन के स्थान पर 180 दिन।**

ग. न्यायिक अभिरक्षा की उक्त अवधि की समाप्ति पर जमानत पेश करने की स्थिति में अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) **{187 BNSS}**के तहत जमानत पर छोड़ दिया जावेगा।

रिमाण्ड की प्रक्रिया –

क. कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए रिमाण्ड तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश न किया जाये।

ख. अभियुक्त को बाद में प्रत्येक बार मजिस्ट्रेट या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रोनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में परिरोध की अवधि और बढ़ा सकता है।

ग. मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने पर अभियुक्त रिमाण्ड–प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

घ. किसी अठारह साल से कम आयु की महिला का परिरोध रिमाण्ड होम या अधिकृत सामाजिक संस्था की कस्टडी में किया जायेगा।

ड़. न्यायिक अभिरक्षा के लिए निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त अभिरक्षा में तब तक निरुद्ध रखा जायेगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता।

च. यदि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने के संबध में कोई सवाल उठता है तो अभियुक्त के रिमाण्ड–प्रपत्र पर किये गये हस्ताक्षर द्वारा या इलेक्ट्रोनिक वीडियो–लिंकेज के माध्यम से पेश करने के संबंध में मजिस्ट्रेट के प्रमाणित आदेश से अभियुक्त की उपस्थिति को साबित किया जा सकेगा।

छ. कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न होने की दशा में एस.एच.ओ. या एस.आई से अनिम्न रेंक का अनुसंधान अधिकारी केस डायरी के साथ अभियुक्त को निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।

ज. कार्यपालक मजिस्ट्रेट कारणों को अभिलिखित करते हुए अभियुक्त को कुल मिलाकर 7 दिन की अभिरक्षा में भेजने के आदेश कर सकेगा। – धारा 167 (2क) दण्ड प्रक्रिया संहिता

झ. मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

ञ. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड स्वीकार किये जाने पर रिमाण्ड आदेश देने की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भिजवाई जाती है।

ट. अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को चाहिये कि वह केस डायरी को अप–टू–डेट रखे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 **{23(2) BSA}**के अन्तर्गत अभिलिखित **'अभियुक्त की सूचना'** पत्रावली में होनी चाहिये और यथासंभव अनुसंधान अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर मामले के तथ्यों, प्रगति, बरामदगी, जब्ती व संभावनाओं से अवगत कराना रिमाण्ड प्राप्ति की दृष्टि से बेहतर रहता है।

ठ. जब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया जाता है तो न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा का वारण्ट जारी करता है। वारण्ट में अभियुक्त की आयु का उल्लेख न होने पर जेल

PTS JODHPUR

अधिकारी द्वारा अभियुक्त को लेने से इंकार किया जा सकता है। – संजय सूरी व अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन व अन्य ए.आई.आर. 1988 सुप्रीम कोर्ट 414

राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 और रिमाण्ड

क. नियम 378 – गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान 24 घण्टों की अवधि में पूरा न होने की दशा में पुलिस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 **{187 BNSS}**के तहत रिमाण्ड हेतु उसे न्यायालय में पेश करेगी। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेजने वाला मजिस्ट्रेट उसे पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आधार अभिलिखित करेंगे।

ख. राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन 1948 के नियम 378 के तहत आर.पी.फॉर्म नं. 93 दरख्वास्त मोहलत मुल्जिमान (रिमाण्ड फॉर्म) का प्रारूप दिया गया है।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 और रिमाण्ड –

नियम 7.26 –

क. बंदी बनाये गये अभियुक्त को 24 घण्टे की अवधि के भीतर दण्डनायक के समक्ष पेश किया जायेगा और अभियुक्त को लाने के दूसरे दिन अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के लिए तुरन्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

ख. 24 घण्टे की अवधि में अभियुक्त को गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक यात्रा का समय सम्मिलित नहीं है।

ग. यदि संबंधित अपराध में पुलिस जमानत ले सकती है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को अपना जमानती प्रस्तुत करने में सब प्रकार की सुविधा दे।

रिमाण्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 और धारा 209 तथा 309 {187, 232, 346 BNSS}–

अ. अनुसंधान के दौरान धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिन की अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड तथा 90 या 60 दिन की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड दिया जा सकता है।

ब. मामले के विचारण के दौरान धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट अभिरक्षा एक समय में 15 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ायेगा। विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा 15–15 दिन की अवधि के लिए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में उक्त धारा के तहत ही भेजा जाता है। पुलिस बोलचाल में इसे **'ईल्तबा'** कहा जाता है।

स. जब किसी अभियुक्त को पेश करने पर मजिस्ट्रेट को यह ज्ञात होता है कि मामला अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करते हुए धारा 209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त को सुपुर्दगी किये जाने तक रिमाण्ड पर भेजेगा।

न्यायिक अभिरक्षा से अभियुक्त को किसी दूसरे मामले में पुलिस अभिरक्षा में लेने की प्रक्रिया –

अ. आर्डर ऑफ अरेस्ट –यदि कोई अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और किसी दूसरे क्षेत्राधिकार वाले थाने के मुकदमें में वांछित हो तो संबंधित भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए अपने क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा। ऐसा मजिस्ट्रेट उस न्यायिक मजिस्ट्रेट से जिसने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के सुपुर्द करने हेतु अनुरोध करेगा। तब वह न्यायिक मजिस्ट्रेट जेल अधीक्षक को अभियुक्त की सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करेगा जिसकी पालना में जेल अधीक्षक पुलिस को अभियुक्त सुपुर्द करेगा।

मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसी अभियुक्त को विधि के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है।

जब किसी अभियुक्त को किसी मामले में न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रखा जाता है तो उस अभियुक्त व्यक्ति को किसी अन्य मामले में अनुसंधान के प्रयोजन से पुलिस के सुपुर्द किया जा सकता है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति इस तरह की कार्यवाही का निषेध नहीं करती।

PTS JODHPUR

ब. प्रोडक्शन वारण्ट –दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 **{302 BNSS}**के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी मामले के जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में मजिस्ट्रेट कारागार में परिरुद्ध किसी व्यक्ति को आपराधिक आरोप का जबाव देने या साक्षी के रूप में परीक्षण करने के प्रयोजन से न्यायालय के समक्ष पेश करने का प्रोडक्शन वारण्ट जारी कर कारागार के भारसाधक अधिकारी को आदेश प्रदान कर सकता है। तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से अपने मामले में प्राप्त करेगा।
द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रोडक्शन वारण्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
अन्वेषण के दौरान न्यायिक हिरासत से किसी अभियुक्त को लेने के लिए पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को जेल अधीक्षक के नाम प्रोडक्शन वारण्ट जारी करने हेतु निवेदन करता है जिसमें अधिकांशतः जेल अधीक्षक यह कहकर अभियुक्त को सुपुर्द करने से इंकार कर देता है कि अभियुक्त व्यक्ति प्रोडक्शन वारण्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट से भिन्न मजिस्ट्रेट द्वारा अभिरक्षा में भेजा गया है। अतः ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ऑफ अरेस्ट प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक रहता है।

न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की गणना –
अ. न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की गणना करने में उस दिन से गणना की जायेगी जिस दिन अभियुक्त व्यक्ति को धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्टेट के समक्ष पेश किया गया है न कि गिरफ्तारी के दिन से। – अर्जुन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1987 क्रिमीनल लॉ जर्नल 1236
ब. साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 9 तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अवधि की गणना करने में उस दिन को छोड़ दिया जाता है जिस दिन से गणना की जाती है और अंतिम दिन को जोड़ दिया जाता है।
स. साधारण खण्ड अधिनियम का यह नियम कि न्यायालय के अवकाश के दिन की गणना परिसीमा में नहीं की जायेगी, धारा 167 (2) के अधीन रिमाण्ड के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा क्योंकि अवकाश के दिन भी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना वर्जित नहीं है।

न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की समाप्ति तक आरोप–पत्र प्रस्तुत न करने का प्रभाव –न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की समाप्ति तक अभियुक्त के खिलाफ आरोप–पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में अभियुक्त को गुण–दोषों के आधार पर जमानत पर छोड़ दिया जायेगा बशर्ते कि वह जमानत पेश करता है। – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) का परन्तुक।

पन्द्रह दिन की प्रारम्भिक अवधि व पुनः पुलिस रिमाण्ड –
क. किसी मामले में अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद आवश्यक होने पर उसी मामले में पुनः पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन गिरफ्तारी के दिन से 15 की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति पर पुनः पुलिस रिमाण्ड संभव नहीं है।
ख. पुलिस रिमाण्ड की अवधि गिरफ्तारी की तिथि से प्रारम्भ हो जाती है। यदि किसी अभियुक्त को 01 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 15 तारीख तक पुलिस रिमाण्ड पर रखा जा सकता है। यदि उसे 05 तारीख को जे.सी. करवा दिया जाता है और 10 तारीख को पुनः रिमाण्ड की आवश्यकता पड़ती है तो 05 दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जा सकता है परन्तु यह रिमाण्ड 15 तारीख के बाद किसी भी सूरत में नहीं लिया जा सकता है।

अभियुक्त की खोज एवं तलाशी–जब किसी मामले में अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध किये जाने की साक्ष्य प्राप्त होती है तो वह उस मामले में अभियुक्त की श्रेणी में आ जाता है। न्यायिक व्यवस्था के अनुसार अभियुक्तों को उनके अपराध के लिए दण्डित किये जाने हेतु गिरफ्तार किये जाने का प्रावधान है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी खोज एवं उनके मिलने के संभावित स्थानों की तलाशी लिया जाना अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। अभियुक्तों की खोज एवं तलाशी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए:–
1.जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध साबित है तो कोई भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी स्थान पर छुपा हुआ है तो पुलिस अधिकारी धारा 47 दं.प्र.सं. **{44 BNSS}**के तहत वारंट सहित या बिना वारंट उस स्थान पर प्रवेश कर सकता है और उस स्थान की तलाशी ले सकता है। इस प्रक्रिया की फर्द खाना तलाशी बनानी चाहिए।

PTS JODHPUR

2.द.प्र.सं. की धारा 165 एवं 166 **{185,186 BNSS}**के तहत अनुसंधान के क्रम में यदि अनुसंधान अधिकारी को किसी स्थान की तलाशी लेनी है तो वह उस स्थान में प्रवेश कर धारा 100 द.प्र.सं. **{103 BNSS}**के प्रावधानों के तहत तलाशी ले सकता है।

3.यदि किसी मामले में अभियुक्त फरार हो गया है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध की सूचना संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को देगा एवं धारा 37 पुलिस एक्ट 2007 के तहत न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी करवायेगा।

4.पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के निष्पादन के हर संभव प्रयास किये जावेंगे फिर भी यदि अभियुक्त नहीं मिलता है तो उसकी सम्पत्ति की सूची प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

5.धारा 82 दं.प्र.सं. **{84 BNSS}**के तहत न्यायालय में मुलजिम की फरारी की सूचना दी जाकर न्यायालय से इस्तेहार जारी कराने की कार्यवाही की जायेगी।

6.इस्तेहार जारी होने के पश्चात भी यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो धारा 83 दं. प्र.सं. **{85 BNSS}**के तहत उस व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जावेगी।

7.वर्तमान परिपेक्ष्य में ''मोबाईल नेटवर्क सिस्टम'' से अभियुक्तों की खोज में काफी योगदान मिलने की संभावना रहती है। यदि अभियुक्तों द्वारा मोबाईल का प्रयोग किया जा रहा है तो विभिन्न मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनियों की सहायता से अभियुक्तों की खोज में मदद मिल सकती है। इस संबंध में लिखित में पत्र व्यवहार करना चाहिए

8.अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे मोबाईल की लोकेशन की ट्रेकिंग कर अभियुक्तों को पकड़ने में सहायता ली जा सकती है।

9.साथ ही अभियुक्तों का मोबाईल नियमानुसार टेप कर उनकी गतिविधियों के बारे में तथा उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है।

10. मोबाईल टेपिंग के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं जिसके तहत संबंधित महानिरीक्षक पुलिस की अनुशंसा पर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा टेपिंग की मंजूरी दी जाती है।

11. यदि अभियुक्तों द्वारा बार–बार मोबाईल नम्बर बदले जा रहें है तो उनके द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे मोबाईल सेट के आई.एम.ई.आई नम्बरों की सहायता से भी उनके मोबाईल नम्बर ट्रेस किये जा सकते हैं।

12. इसके अतिरिक्त पुलिस की कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण अंग आसूचना संकलन प्रणाली (मुखबिरी) के द्वारा भी अभियुक्तों की तलाश की जा सकती है। अभियुक्तों की तलाश के संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा योग्य एवं कुशल मुखबिर मनोनीत कर अभियुक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

13. यदि अभियुक्तों द्वारा कोई वाहन प्रयोग में लिया जा रहा है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर जिले में या राज्य स्तर पर नाकाबंदी कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा सकता है।

14. अभियुक्तों के साथियों एवं मित्रों के ठिकानों पर निकटतम निगरानी रख अभियुक्तों की जानकारी हासिल की जा सकती है।

15. इसक अतिरिक्त अभियुक्तों के जिले या राज्य से बाहर जाने की संभावना होने पर उन स्थानों पर उसके मित्रों या रिश्तेदारों के ठिकानों के बारे में जानकारी कर उन स्थानों पर दबिश दी जाकर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा सकता है।

16. यदि अभियुक्त के पास पासपोर्ट है तो उसका विवरण प्राप्त कर इमिग्रेशन चेक पोस्टों पर उसकी सूचना भिजवानी चाहिए ताकि अभियुक्त विदेश न जा सके।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी–जब किसी संज्ञेय अपराध के अनुसंधान में किसी व्यक्ति के विरूद्व जुर्म प्रमाणित हो जाता है तो उसे उस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। धारा 41 दं.प्र.सं. **{35 BNSS}**के तहत यदि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में दं.प्र.सं., भारतीय संविधान एवं राजस्थान पुलिस नियम 1965 में अनेकों कानूनी प्रावधान दिये गये हैं जो इस प्रकार है :–

1.**दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41(1) {35 BNSS}के तहत** :– कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है :–

- **यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध करता है।**
- **यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसका दण्ड सात वर्ष से अधिक अवधि का है।**

PTS JODHPUR

• यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध का आरोप है या उचित सन्देह है जिसका दण्ड सात वर्ष से कम अवधि का है और पुलिस अधिकारी निम्नांकित कारणों को अभिलिखित करते हुए उस व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है –

- ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए।
- अपराध के समुचित अन्वेषण करने के लिए।
- ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के साथ छेडछाड करने से निवारित करने के लिए।
- ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह या परिवादी को डराने धमकाने से निवारित करने के लिए।
- न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए।

• यदि कोई पुलिस अधिकारी सात वर्ष से कम अवधि के दण्ड के अपराधों में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता है तो वह गिरफ्तारी न करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(क) **{35 BNSS}**के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का है तो ऐसे व्यक्ति को अनुसंधान अधिकारी अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेगा तथा उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह उस नोटिस का पालन करे। नोटिस का अनुपालन करने वाले व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस अधिकारी की राय में उसे गिरफ्तार किए जाने के पर्याप्त कारण न हो।

यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करने में असफल रहता है या स्वयं की शिनाख्त करने अनिच्छुक है तो पुलिस अधिकारी सक्षम न्यायालय द्वारा इस निमित्त जैसा आदेश पारित करे, उसे नोटिस में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकेगा।

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(ख) **{36 BNSS}**के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपनी सही व स्पष्ट पहचान धारण करेगा तथा गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति तथा कम से कम एक साक्षी से हस्ताक्षरित होगा। साथ ही उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों, मित्रों या उस व्यक्ति द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को देगा।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(ग) **{37 BNSS}**के अनुसार प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा जिसमें उस जिले या राज्य में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(घ) **{38 BNSS}**के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस पूछताछ के दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अवसर दिया जाएगा, किन्तु संपूर्ण पूछताछ के दौरान यह आवश्यक नहीं है।

6. **दण्ड प्रक्रिया संहिता** धारा 43 **{40 BNSS}**के तहत यदि किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति को पकडता है तो वह व्यक्ति उस अपराधी को पुलिस अधिकारी के पास ले जावेगा तथा पुलिस अधिकारी अपराधी को पुनः धारा 41 के तहत उसे गिरफ्तार करेगा।

7. **दण्ड प्रक्रिया संहिता** धारा 46 **{43 BNSS}**के तहत अपराधी की गिरफ्तारी की जावेगी जिसके अर्न्तगत गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जावेगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुयेगा या परिरूद्ध करेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को वचन या कर्म से पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपने आप को समर्पित नही कर दे।

8. **दण्ड प्रक्रिया संहिता** की धारा 46(2) तहत यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति अपने आप को गिरफ्तार होने से बचने का प्रयास करता है या गिरफ्तारी में बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में आवश्यक साधनो का प्रयोग कर सकते है।

9. **दण्ड प्रक्रिया संहिता** की धारा 46(4) के तहत केवल असामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और जहाँ ऐसी असामान्य परिस्थितियाँ विद्यमान हो, एक महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट बनाकर एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी होनी है, से पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

PTS JODHPUR

10. **दण्ड प्रकिया संहिता** की धारा 47 सीआरपीसी **{44 BNSS}**के तहत यदि ऐसा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी मकान में प्रविष्ठ हो गया है तो अनुसंधान अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये उस मकान में प्रविष्ठ हो सकता है।

11. **दण्ड प्रकिया संहिता** की धारा 50 सीआरपीसी **{47 BNSS}**के तहत गिरफ्तार किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारो और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना आवश्यक है। इस बात का उल्लेख फर्द गिरफ्तारी में भी किया जाना चाहिये।

12. **दण्ड प्रकिया संहिता** की धारा 51 सीआरपीसी **{49 BNSS}**के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर की तलाशी ली जावेगी तथा आवश्यक वस्त्रो को छोडकर उसके पास पाई गई समस्त वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जावेगा तथा ऐसी वस्तुओं की एक लिस्ट बनाई जावेगी और लिस्ट की एक प्रति अभियुक्त को दी जावेगी।

13. **दण्ड प्रकिया संहिता** की धारा 51(2) के तहत स्त्री की तलाशी स्त्री के द्वारा ही ली जावेगी एवं उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखा जावेगा।

14. **दण्ड प्रकिया संहिता** की धारा 54 **{53 BNSS}**के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा करवाई जाएगी।

15. **दण्ड प्रकिया संहिता** की धारा 57 सीआरपीसी **{58 BNSS}**के तहत गिरफ्तार करने के 24 घण्टे के अन्दर अभियुक्त को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

फर्द गिरफ्तार तैयार करने एवं गिरफ्तार आरोपी की तलाशी लेने के प्रावधान :—

1.आरोपी को उसके निवास स्थान के आस पास से गिरफ्तार करें तो एक मोतबिर उसके परिवार के सदस्य तथा एक स्थानीय व्यक्ति को रखें।

2.आरोपी की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर का परीक्षण (मर्यादाओं का सम्मान करते हुए) अवश्य करें। उसके शरीर पर कोई चोट हो तो चोट की प्रकृति तथा कितनी पुरानी है, इसका उल्लेख फर्द व रोजनामचा आम में करें तथा चोटों के सम्बन्ध में अविलम्ब मेडिकल मुआयना करायें।

3.पार्चेजात की तलाशी लेवें तथा जो वस्तु दस्तयाब हो उसका फर्द में उल्लेख करें। ऐसी वस्तु अनुसंधान में बतौर साक्ष्य वांछित नहीं है तो आरोपी के कहे अनुसार सुपुर्द कर रसीद लेवें तथा पत्रावली के संलग्न करें।

4.पहचान के चिन्ह अवश्य लिखें।

5.अरोपी को दस्तयाब करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम व पद, स्थान, दिनांक एंव समय केस डायरी तथा फर्द में उल्लेख करें।

6.फर्द पर मोतबिरान एवं गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अँगूठा निशानी करायें।

7. किस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

8.गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का प्रयोग भी किया जा सकता है। यह एक सुरक्षात्मक उपाय है ताकि अभियुक्त भाग नहीं सके। हथकड़ी अक्सर ऐसे व्यक्तियों को लगाई जाती है जो तीन या तीन से अधिक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के अभियुक्त है अथवा पूर्व—सिद्ध दोष अभियुक्त है अथवा खतरनाक, हिंसक या दूषित आचरण वाले है।

9.उच्चत न्यायालय ने बंदियों एवं कैदियों की सुरक्षा के लिए कई सुझाव दिए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे कैदियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सकता है जिनके भाग जाने अथवा अभद्र व्यवहार करने का खतरा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा सकते है। इन सबके बावजूद भी यदि यह पाया जाता है कि कोई कैदी अथवा बंदी खतरनाक प्रकृति का है और वह कभी भी अभिरक्षा से भाग पाने में सफल हो सकता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए हथकड़ी एवं बेडियों का प्रयोग किया जा सकता है।

10. यदि अनुसंधान अधिकारी को उचित कारणों से यह आशंका है कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त भाग सकता है या ऐसा उसका पूर्वाचरण रहा है तो वह सक्षम न्यायालय को हथकड़ी लगाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

11. बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी अभियुक्त को हथकडी नही लगाई जा सकती है।

इस सम्बन्ध में 'सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन' (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1675) तथा 'प्रेमशंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन' (ए.आई.आर. 1980 एस.सी.1535) के मामले अवलोकन योग्य है। इन दोनो

PTS JODHPUR

मामलों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बंदियों एवं कैदियों को चौबीस घन्टे हथकड़ियों एवं बेड़ियों में रखा जाना अमानवीय कृत्य है। यह मानव गरिमा के विरूद्ध है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का मत है कि '' बन्दी और कैदी भी समाज के ही अंग है। उनको भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उनके साथ ऐसा मानवीय व्यवहार अपेक्षित है जिससे उनमें किसी प्रकार की हीन भावना जागृत न हों।''

सामान्यतः महिलाओं के हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। बन्दीगृह तथा न्यायालय में भी कतिपय दशाओं को छोड़कर हथकड़ी लगाया जाना वर्जित है।

दिनांक 29.04.2020 को पुलिस मुख्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले में दिए गए निर्देशों के संबंध में जारी परिपत्र

प्रायः अनुसंधानाधिकारियों द्वारा ऐसे अपराध जिसमें सात साल से कम सजा या सात साल तक की सजा का प्रावधान है, के प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी की स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों के कार्यालय में पत्रावली प्रेषित करते समय मात्र धारा 41 सी.आर.पी.सी. **{35 BNSS}**के निम्न बिन्दु अंकित करते हुए पत्रावली प्रेषित कर दी जाती हैः–

1.अनुसंधान से आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है।

2.अपराध का उचित अनुसंधान करने के लिए/स्त्रीधन बरामद करने आदि के लिए।

3.अपराध से संबंधित गवाहान को भय, उत्प्रेरणा, प्रलोभन द्वारा डराने, धमकाने से रोकने के लिए।

4.आरोपी की न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए।

सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन (अधिनियम 2009) के अनुसार उपरोक्त बिन्दु गिरफ्तारी के लिए अनिवार्य हैं, परन्तु उक्त कारणों की पुष्टि अनुसंधान में आई साक्ष्यों से भी होनी चाहिए। कई बार अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहान के बयान व उक्त बिन्दुओं के समर्थन में पत्रावली में विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित नहीं किये जाते हैं एवं डायरी में भी उचित रूप से नोट अंकित नहीं किया जाता है। धारा 41 सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन एवं सी.आर.पी.सी. की नई धारा 41(क) जोड़ने के पीछे मूल भावना यही है कि केवल ऐसी परिस्थितियां, जो धारा 41 सी.आर.पी.सी. में अंकित हैं व अनुसंधान अधिकारी के पास पर्याप्त व ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध है कि उक्त परिस्थितियां विद्यमान है, में गिरफ्तारी की जा सकेगी। अनुसंधान में बाधा उत्पन्न न हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारा 41(क) सी.आर.पी.सी. जोड़ी गई है जिसमें संबंधित आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित कर उससे अनुसंधान पूर्ण किया जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 41(क) सी.आर.पी.सी. के उपबन्धों की अनुपालना में असफल रहने पर भी आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रावधान है।

अतः सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन एवं अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार में दिनांक 02.07.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय से पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1.FIR दर्ज होने पर अनुसंधानाधिकारी बिना बिलम्ब FIR में अंकित आरोप के संबंध में गहन अनुसंधान करेगा व समस्त सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करेगा।

2.अनुसंधान में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अनुसंधानाधिकारी सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करते हुये प्रत्येक आरोपी के संबंध में संबंधित धाराओं में अपराध के प्रमाणित होने बाबत धाराओं के विवरण सहित केस डायरी में नोट अंकित करेगा।

3.उक्तानुसार केस डायरी में नोट अंकित करने के साथ–साथ अनुसंधानाधिकारी प्रत्येक आरोपी के संबंध में संलग्न प्रारूप (check-list) में सूचना अनिवार्यत भरेगा। यह प्रारूप (check-list) SHO द्वारा अनुसंधानाधिकारी को FIR दर्ज करते ही उपलब्ध कराई जाएगी।

4.यदि अनुसंधान से आरोपी के विरूद्ध जिन धाराओं का अपराध प्रमाणित है, उनमें–

a.अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तथा

b.धारा 41(1)(b)(ii) CrPC में वर्णित 5 बिन्दु, जो चैकलिस्ट के बिन्दु सं0 6 में भी वर्णित हैं, बाबत पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है,

ते अनुसंधानाधिकारी FIR दर्ज होने के 02 सप्ताह के भीतर आरोपी को धारा 41-A CrPC का नोटिस देगा, जिसकी एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/ न्यायालय को भी देगा। धारा 41-A CrPC के नोटिस का प्रारूप संलग्न है।

5.यदि किन्ही कारणों से उक्तानुसार 02 सप्ताह के भीतर धारा 41-A CrPC का नोटिस आरोपी को नहीं दिया जाता व न्यायालय को सूचित नहीं किया जाता, तो अनुसंधानाधिकारी चैक लिस्ट के बिन्दु सं. 6 41-A (ii)(ख) में इसका स्पष्ट उल्लेख करेगा। तत्पश्चात यह चैकलिस्ट पूर्ण कर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/उपयुक्त कार्यालय में पत्रावली भेजकर FIR दर्ज होने के 02 सप्ताह के भीतर धारा 41-A CrPC का नोटिस नहीं देने के संबंध में शिथिलता प्रदान की जाने की प्रार्थना कर स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जावेगा। जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त द्वारा पत्रावली में देरी के कारणों की समीक्षा के आधार पर ही ऐसी स्वीकृति जारी की जाएगी। इसके पश्चात ही अनुसंधानाधिकारी आरोपी को 41-A CrPC का नोटिस देगा व एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय को (मय संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त के शिथिलता प्रदान करने के आदेश के) देगा।

6.यदि अनुसंधान से आरोपी के विरूद्ध जिन धाराओं का अपराध प्रमाणित है, उनमें–

a.अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तथा

b.धारा 41(1)(b)(ii) CrPC में वर्णित 5 बिन्दुओं में एक या अधिक या समस्त बिन्दुओं बाबत पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर है,

तो अनुसंधानाधिकारी इसका स्पष्ट व विस्तार से उल्लेख चैकलिस्ट के बिन्दु सं. 6(ii) में करेगाा। यदि प्रकरण में विधि द्वारा /विभागीय आदेशों के अन्तर्गत गिरफ्तारी से पूर्व किसी सक्षम स्तर से स्वीकृति ली जानी है तो अनुसंधानाधिकारी उक्तानुसार चैकलिस्ट पूर्ण कर सक्षम स्तर को पत्रावली प्रेषित करेगा, जहां से अनुमति प्राप्त होने पर ही गिरफ्तारी की जाएगी।

7.अनुसंधानाधिकारी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते समय पत्रावली पूर्ण होना तथा केस डायरी के साथ सलंग्न प्रारूप में चैकलिस्ट पूर्ण होकर पत्रावली में शामिल होना भी सुनिश्चित करें जिससे न्यायालय द्वारा गिरफ्तार आरोपी के संबंध में अग्रिम आदेश दिया जा सके।

8.उक्त चैकलिस्ट (एवं उचित प्रकरणों में 41-A CrPC का नोटिस) प्रत्येक आरोपी के लिए पृथक –पृथक तैयार किए जाएंगे।

9.धारा 41-A CrPC के नोटिस की अनुपालना करने में यदि आरोपी असफल रहता हैं डायरी में प्रतिस्थापित करते हुये गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे में भी चैंकलिस्ट की पूर्ति करते हुये

10. बिंदु सं. 6(ii) में स्पष्ट आधार अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

11. आरोपी व्यक्ति जब भी धारा 41-A CrPC के नोटिस की अनुपालना में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा तो उसे उपस्थिति बाबत प्राप्ति रसीद दी जावेगी।

अतः प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त निर्देश Criminal Appeal No- 1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में जारी किए गए हैं। इन निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर न केवल संबंधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी, वह अधिकारी न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही का पात्र होगा।

पुलिस थाना/कार्यालय..............जिला........................राजस्थान

(आरोपी की गिरफ्तारी बाबत चैकलिस्ट)

1.FIR N0. ....

2. दर्ज दिनांक ....

3.FIR की धाराएँ ....

4.आरोपी का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, उम्र, पता...

....

5.आरोपी के पिरूद्ध एकत्रित साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित अपराध का विवरणः–

(i) धारा................एक्ट..........................

धारा में अधिकतम सजा.................................

(ii) धारा................एक्ट..........................

धारा में अधिकतम सजा.................................

(iii)धारा................एक्ट..........................

धारा में अधिकतम सजा................................

(अतिरिक्त पंक्तियां आवश्यकतानुसार जोड़े)

PTS JODHPUR

6.क्या अनुसंधानाधिकारी आरोपी को गिरफ्तार करना चाहता है (हाँ/नहीं)...................
(i) यदि बिंदु सं. 6 का जवाब 'नहीं' है, तो क्या FIR दर्ज होने के 14 दिवस के भीतर आरोपी को 41 –क द.प्र.स. का नोटिस दें दिया है (हाँ/नहीं)..............
क– यदि हाँ, तो नोटिस तामील की दिनांक ....
ख– यदि नहीं तो देरी का स्पष्ट कारण ....
ग– क्या आरोपी के द्वारा नोटिस के संबंध में दिये गये प्रत्युत्तर से अन्वेषण अधिकारी संतुष्ट है? यदि नहीं है तो स्पष्ट कारण अंकित करें।
(ii) यदि बिंदु सं.6 का जवाब 'हाँ' है, तो धारा 41(1)(b)(ii) CrPC के बिंदुओं की सूचना निम्नानुसार पूर्ण करें:–

क्र सं	धारा 41(1)(b)(ii) CrPC के अनुसार बिन्दु जिस कारण गिरफ्तारी आवश्यक है	धारा 41(1)(b)(ii) CrPC के बिन्दु में अंकित परिस्थितियों को प्रमाणित करने वाली साक्ष्य, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का विवरण
1.	आरोपी को कोई अपराध भविष्य में कारित करने से रोकने के लिए	
2.	अनुसंधान उचित रूप से पूर्ण करने के लिए	
3.	आरोपी को अपराध के साक्ष्य नष्ट करने या किसी अन्य तरीके से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए	
4.	आरोपी को किसी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से अवगत हो को उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने जिससे वह न्यायालय या पुलिस को ऐसे तथ्य नहीं बताए, से रोकने के लिए	
5.	गिरफ्तार किए बिना आरोपी की उपस्थिति निश्चित दिन/समय पर न्यायालय में सुनिश्चित नहीं की जा सकती	

नोटः– उक्त चार्ट में तृतीय कॉलम में साक्ष्य का विवरण बिन्दुवार अंकित करें व वर्णित साक्ष्य से संबंधित केस डायरी सं. का भी उल्लेख करें।

7.यदि आरोपी की गिरफ्तारी धारा 41 –क द.प्र.सं. का नोटिस देने के पश्चात आरोपी द्वारा नोटिस की पालना नहीं करने के कारण की गई है (धारा 41 –क(4)द.प्र.सं.)तो इस बाबत यहां स्पष्ट उल्लेख करें।

(नोटिस अन्तर्गत धारा 41क द.प्र.सं.)

प्रेषित :–
आरोपी का नाम, पिता/पति का नाम,
पता
FIR No. .... धारा .... दर्ज दिनांक ....पुलिस थाना ....जिला .... का अनुसंधान निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में आप आरोपी हैं तथा आपसे अनुसंधान करने के लिए आपको हाजिर होना आवश्यक है।
अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं दिनांक .... समय .... को स्थान .... पर उपस्थित हों।
इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।
नोटिस जारी दिनांक ....
प्रेषित क्र. सं. ....

हस्ताक्षर
(नाम अनुसंधानाधिकारी)
थाना/कार्यालय की सील

नोट :– उक्त नोटिस की अनुपालना में असफल होने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस थाना/कार्यालय ....जिला ....राजस्थान

उपस्थिति प्रमाण–पत्र

PTS JODHPUR

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या ....धारा ....दर्ज दिनांक ....पुलिस थाना ....जिला..................... राजस्थान का अनुसंधान निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में श्री ....(आरोपी का नाम) पिता/पति का नाम .... पता .... मोबाईल नम्बर .... को धारा 41 – क द.प्र.सं. का नोटिस क्रमांक .... दिनांक .... को जारी किया गया था, जिसकी पालना में आज दिनांक .... समय .... स्थान .... पर उक्त व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। इनसे प्रकरण में अन्वेषण किया गया एवं बाद अनुसंधान सकुशल रवाना किया गया।

दिनांक :

हस्ताक्षर (उपस्थित आरोपी व्यक्ति)

हस्ताक्षर
नाम अनुसंधान अधिकारी
थाना/कार्यालय की सील

तलाश एवं जब्ती– तलाशी अभियुक्त एवं स्थान की ली जाती है। जब अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है तब उसके शरीर की तलाशी ली जाती है। इसे पुलिस की भाषा में 'जामा तलाशी' कहा जाता है। ऐसी तलाशी पर अपराध से सम्बन्धित वस्तुएँ पाए जाने पर उन्हें वजह सबूत में जब्त कर लिया जाता है तथा अभियुक्त की व्यक्तिगत वस्तुओं जैसे घड़ी, चैन, रूपये आदि को या तो अभियुक्त को ही बाद में लौटा दिया जाता है या उनको सुरक्षित रख दिया जाता है।

किसी स्थान की तलाशी तब ली जाती है जब उसमें अभियुक्त या अपराध से सम्बन्धित वस्तुओं के पाये जाने की सम्भावना लगती है। ऐसी तलाशी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अथवा अन्वेषण कर रहे अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा ली जा सकती है। तलाशी के लिए पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है। सामान्यतः सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व तलाशी का काम नहीं किया जाता है। तलाशी के समय उस व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति दिया जाना अपेक्षित है जिसके स्थान की तलाशी ली जा रही है। वहाँ पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उपस्थित रखना भी आवश्यक माना गया है।

तलाशी लेने वाले अधिकारी को तलाशी से पूर्व वहाँ उपस्थित व्यक्तियों को अपनी तलाशी देनी चाहिए ताकि भविष्य में तलाशी लेने वाले पुलिस अधिकारी पर शंका नहीं की जा सके।

तलाशी के समय जो भी वस्तुएँ पाई जाती है उनकी सूचियाँ तैयार कर लेनी चाहिए। उन पर उपस्थित साक्षियों के हस्ताक्षर ले लिया जाना भी उचित है। ऐसी सूची की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसके स्थान की तलाशी ली गई है।

तलाशी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100, 165 एवं 166 **{103,185,186 BNSS}**में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

जब किसी स्थान की तलाशी ली जाती है और वहाँ कोई आपत्तिजनक सामग्री अथवा अपराध से जुड़ी सामग्री पाई जाती है तो सामान्यतया उसे वहीं जब्त कर 'जब्ती का मेमो' तैयार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन 'खेतसिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया' (ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1450) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब्ती का मेमो कार्यालय में तैयार किया जाता है और सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान अभियुक्त उपस्थित रहता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यालय में मेमो तैयार करने से अभियुक्त के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अनुसंधान अधिकारी को किसी भी वस्तु की जब्ती बनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब्ती की फर्द उसी स्थान पर बने जहां से वह वस्तु जब्त की गई है तथा उस स्थान के दो मौतबिरों के समक्ष यह कार्यवाही करनी चाहिए। जब्त की गई वस्तु को उसी स्थान पर सील कर उनकी मार्किंग, सीलिंग, पैकिंग इत्यादि उसी स्थान पर कर लेनी चाहिए।

कार्यवाही–शिनाख्ती

कार्यवाही शिनाख्तगी के संबंध में धारा 54ए सीआरपीसी **{54 BNSS}**में विधिक प्रावधान दिए गए है। कार्यवाही–शिनाख्ती को पहचान–परेड़ भी कहा जाता है यह अभियुक्त एवं सम्पत्ति दोनों की, की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त, व्यक्तियों एवं सम्पत्ति अथवा वस्तुओं को

PTS JODHPUR

सुनिश्चित करना होता है। इसकी आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ अभियुक्त अनाम (अज्ञात) व्यक्ति होता है और उसे शक्ल से ही पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार सम्पत्ति अथवा वस्तुओं की शिनाख्ती की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ वह विनिर्दिष्ट नहीं होकर सामान्य होती है और हर जगह उपलब्ध हो सकती है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि आहत व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त की पहचान से इन्कार किया है तो शिनाख्ती परेड़ में उसके द्वारा अभियुक्त को पहचाने जाने का कोई महत्व नहीं रहा जाता है। (सुरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 260)

कार्यवाही–शिनाख्ती का संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। लेकिन पशुओं, वस्तुओं आदि की शिनाख्ती–कार्यवाही सरपंच, तहसीलदार आदि द्वारा संचालित की जा सकती है। अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्ती का संचालन सामान्यतः कारागृह में किया जाता है। सम्पत्ति अथवा वस्तुओं की कार्यवाही शिनाख्ती मजिस्ट्रेट के अवकाशागार (चेम्बर), पंचायत भवन, तहसीलदार के कार्यालय आदि में सम्पन्न की जा सकती है।

कार्यवाही–शिनाख्ती में अभियुक्त के साथ उससे मिलते–जुलते पाँच–सात व्यक्ति खड़े किए जाते है और उनमें से अभियुक्त को पहचानने के लिए साक्षी से कहा जाता है। इसी प्रकार अपराध से सम्बन्धित सम्पत्ति अथवा वस्तु के साथ भी उससे मिलती–जुलती पाँच–सात वस्तुए मिलाई जाती है और साक्षी को उनमें से अपराध वाली सम्पत्ति को पहचानने के लिए कहा जाता है। मिलाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा मिलाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या सुनिश्चित नहीं है। यह पाँच–सात से कुछ कम भी हो सकती है तो कुछ ज्यादा भी।

'पंचदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार' (ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 526) के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालीन घोषणा के कथन लेखबद्ध किए गए थे, लेकिन ऐसे कथन लेखबद्ध करने पूर्व कथन करने वाले व्यक्ति की सक्षमता के बारे में चिकित्सक का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। मजिस्ट्रेट ने स्वयं ने प्रति–परीक्षा में कहा कि कथन करने वाला व्यक्ति कथन करने के लिए सक्षम था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे उचित नहीं माना। उच्चतम न्यायालय ने 'मृत्युकालीन घोषणा के कथनों' को सारभूत साक्ष्य मानने से इन्कार कर दिया। आश्य यह है कि ऐसे मामलों में कथन करने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य के बारे में चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत यदि गिरफ्तार व्यक्ति की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहचान किया जा रहा है जो कि मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो ऐसी पहचान प्रकिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में की जाएगी तथा ऐसे कदम उठाये जाएंगें कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने में ऐसी रीति का उपयोग करे जो उसके लिए सुविधाजनक हो।

यदि गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो ऐसी पहचान प्रकिया की विडियोग्राफी करवाई जाएगी।

संस्वीकृति

संस्वीकृति के अभिप्राय है–अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से अपराध को स्वीकार किया जाना। कई बार अभियुक्त प्रायश्चित–स्वरूप अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तब अन्वेषण एवं विचारण दोनों ही आसान हो जाते है। ऐसी स्वीकारोक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 **{183 BNSS}**एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 **{22(1) BSA}** के अन्तर्गत लेखबद्ध की जाती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अनुसार संस्वीकृति–

(1) अभियुक्त द्वारा की जानी चाहिए;

(2) मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए;

(3) स्वेच्छापूर्वक की जानी चाहिए;

(4) अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। (**पलविन्दर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 354**)

संस्वीकृति का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। यह भय, प्रलोभन, दबाव आदि के अन्तर्गत नहीं करवाई जानी चाहिए। संस्वीकृति पुलिस अधिकारी से नहीं की जा सकती। यह मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जा

सकती है। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य होती है।

अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति पर तब तक दोषसिद्धि का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि वह स्वेच्छा से की गई। **'शिवप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक' (ए.आई. आर. 1995 एस.सी. 980)** के मामले में यही कहा गया है।

टाडा के अन्तर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त की संस्वीकृति के कथन लेखबद्ध किए गए। इन कथनों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वे पहले से टाईप किए हुए थे, केवल खाली स्थानों की पूर्ति ही अभियुक्त के समक्ष की गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया क्योंकि–

(1) यह तथ्य साबित नहीं किया जा सका;
(2) संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई, यह तथ्य साबित हो गया; एवं
(3) अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संस्वीकृति के कथनों की पुष्टि हो रही थी।

'स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम भरत छगनलाल राघानी' (ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 409)

जब मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति लेखबद्ध की जाती है तब पुलिस अधिकारी को वहाँ उपस्थित नहीं रहना चाहिए। संस्वीकृति लेखबद्ध करते समय मजिस्ट्रेट को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 **{183 BNSS}** के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 **{183 BNSS}**के अन्तर्गत साक्षियों के कथन भी लेखबद्ध किए जाते है। प्रचलित भाषा में इनको 'धारा 164 के बयान' **{183 BNSS}** कहा जाता है।

चिकित्सकीय परीक्षण

• मारपीट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, व्यपहरण, विषपान, मदोन्मत्तता आदि के मामलों में चिकित्सा अधिकारी पीड़ित अथवा अपकृत व्यक्ति की जाँच कर अपनी रिपोर्ट देता है। मारपीट के मामलो में चिकित्सा अधिकारी चोटों की संख्या, प्रकृति, अवधि आदि के बारे में अपनी राय देता है। ऐसी रिपोर्ट को एम.एल.सी. (मेडिको लीगल सर्टिफिकेट) कहा जाता है।

• दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 के**{51 BNSS}** अनुसार जब किसी व्यक्ति को ऐसी प्रकृति कि अपराध में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसकी शारीरिक परीक्षा, उस अपराध के बारे में कोई साक्ष्य प्रदान करेगी, तो उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति का रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से शारीरिक परीक्षा करवा सकेगा, जो साक्ष्य प्रदान कर सके तथा अभिनिश्चित करने के लिए उचित रुप से आवश्यक है तथा चिकित्सा व्यवसायी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा करे तथा आवश्यक हो तो उतना बल प्रयोग करे जितना आवश्यक हो।

• यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई स्त्री है तो उसकी शारीरिक परीक्षा किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

• चिकित्सा परीक्षा में वे सब परिक्षाऐं शामिल है जो आवश्यक है।

• दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53(क) **{52 BNSS}** के अनुसार जब किसी व्यक्ति को बलात्संग करने या बलात्संग का प्रयत्न करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और ऐसा विश्वास होता है कि एसे व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा से ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित कोई साक्ष्य प्राप्त होगी तो उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा जहां अपराध हुआ है उसके सोलह किलोमीटर की परिधि में किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी या सोलह किलोमीटर में रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में अन्य किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से शारीरिक परीक्षा करवा सकेगा तथा ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक एवं उचित बल प्रयोग कर सकेगा जितना इस प्रयोजन के लिए उचित एवं आवश्यक है।

हत्या आत्महत्या आदि के मामलों में ''पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है जिसमें मुख्य रूप से मृत्यु के कारणों का उल्लेख होता है।''

PTS JODHPUR

धारा 164 (क) **{184 BNSS}**(1) जब बलात्संग या बलात्संग किए जाने के प्रयास का अपराध कारित किया जाता है तो पीडिता का रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से उस स्त्री की या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से इत्तला प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर चिकित्सा परीक्षा हेतु चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।
(2) जब रजिस्टर्ड चिकित्सा के पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है तो वह बिना किसी विलम्ब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा तथा चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अग्रलिखित ब्यौरे दिए जाऐंगें–
• उस स्त्री का व उस व्यक्ति का नाम व पता जो उसे लाया है।
• स्त्री की आयु
• डीएनए प्रोफाइल के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण
• स्त्री के शरीर पर आई किसी चोट आदि का विवरण
• स्त्री की साधारण मानसिक दशा
• अन्य कोई विवरण जो आवश्यक हो।
(3) रिपोर्ट में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगें जिनसे कोई निष्कर्ष निकाला गया है।
(4) यह भी अभिलिखित किया जाएगा कि उस स्त्री की या उसकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
(5) परीक्षा प्रारम्भ करने व समाप्त करने का समय भी अंकित किया जाएगा।
(6) चिकित्सा व्यवसायी अविलम्ब अपनी रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करेगा।
अतः जब भी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई मामला आता है तो उसका यह कर्त्तव्य है कि वह जिला मुख्यालय के सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से अपकृत अथवा पीड़ित पक्षकार का चिकित्सीय परीक्षण करवा कर उससे रिपोर्ट प्राप्त करे।
रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण–जब अन्वेषण पूरा हो जाता है तब अन्वेषण के निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है–
(1) आरोप पत्र (चालान अथवा चार्जशीट); एवं
(2) अन्तिम रिपोर्ट।
आरोप पत्र तब पेश किया जाता है जब अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनना पाया जाता है, जबकि अन्तिम रिपोर्ट तब प्रस्तुत की जाती है जब अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनना पाया जाता है। ऐसी रिपोर्ट भी दो प्रकार की हो सकती है–
(1) माल या मुलजिम के नहीं मिलने पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।
(2) मामला नहीं बनना पाया जाने पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।
पुलिस की भाषा में इनको कमशः 'अदम पत्ता माल व मुलजिम' तथा अदम वकुआ' में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट कहा जाता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 **{189 BNSS}**, धारा 170 **{190 BNSS}** एवं 173 **{193 BNSS}** में किया जाता है।
रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए। इसे अच्छी तरह जाँच करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि उसमें कोई कभी नहीं रह जाए। इसे न्यायालय में पेश करने से पूर्व विधि–विशेषज्ञ (लोक अभियोजक/सहायक अभियोजक) को बता देना चाहिए।
रिपोर्ट के साथ निम्नांकित सामग्री भेजी जानी अपेक्षित है–
(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट;
(2) घटना–स्थल का मानचित्र (नक्शा मौका एवं नक्शा नजरी);
(3) साक्षियों के कथन;
(4) धारा 164 **{183 BNSS}**के बयान (यदि कोई हो तो);
(5) फर्द शिनाख्ती (यदि कोई हो तो);
(6) मृत्यकालीन घोषणा के कथन (बयान नजई–यदि कोई हो तो);
(7) चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट (यदि कोई हो तो);
(8) रासायनिक परीक्षण एवं जाँच रिपोर्ट (यदि कोई हो तो);
(9) फर्द बरामदगी;
(10) फर्द जब्ती;

PTS JODHPUR

(11) फर्द सूचना (साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 **{23(2) BSA}**के अन्तर्गत);
(12) फर्द गिरफ्तारी;
(13) जमानत–मुचलके;
(14) फर्द सुपुर्दगी;
(15) जब्तशुदा सम्पत्ति एवं वस्तुएँ
(16) दुर्घटना के मामलों में वाहनों का मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट आदि।

विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

- **हत्या एवं मानव वध के प्रकरणों का अनुसंधान–**
- भारतीय दंड संहिता धारा 299 **{100 BNS}**से 304बी **{80 BNS}**की जानकारी।
- साक्ष्य संकलन की कार्यवाही।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एंव साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाली।

भारतीय दंड संहिता धारा 299 से 304बी

भारतीय दंड संहिता धारा 299 {100 BNS}–आपराधिक मानव वध–जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1–वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित करता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2–जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

स्पष्टीकरण 3–मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

उदाहरण– क यह जानता है कि **य** एक झाड़ी के पीछे है **ख** यह नहीं जानता। **य** की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे **य** की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, **ख** को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। **ख** गोली चलाता है और **य** को मार डालता है। यहां पर हो सकता है कि **ख** किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु **क** ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।

भारतीय दंड संहिता धारा 300 {101 BNS}–हत्या– एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है,

पहला–यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह उपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी–पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे

PTS JODHPUR

मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

उदाहरण—(क) **य** को मार डालने के आशय से **क** उस पर गोली चलाता है परिणास्वरूप **य** मर जाता है। **क** हत्या करता है।

(ख) **क** किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। **क** हत्या का दोषी है।

अपवाद 1 —आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर व अचानक प्रकोपन से वह आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मत्यु कारित करें या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, भूल या दुर्घटना, कारित करें।

किन्तु उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अधीन हैः—

पहला—यह है कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या उपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छा से प्रकोपित न हो। **दूसरा**—यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात से न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। **तीसरा**—यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

उदाहरण—

(क) **य** द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आदेश के असर में **म** का, जो **य** का शिशु है, **क** साशय वध करता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

(ख) **य** की नाक खींचने का प्रयत्न **क** करता है। **य** प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए **क** को पकड़ लेता है। परिणास्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह **य** का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

अपवाद 2 —आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावनापूर्ण प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा दी हुई उसे शक्ति से अधिक हानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। इसके विरूद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

उदाहरण— **क** को चाबुक मारने का प्रयत्न **य** करता है किन्तु इस प्रकार नहीं कि **क** को धोर उपहति कारित हो। **क** एक पिस्तोल निकाल लेता है। **य** हमले को चालू रखता है। **क** सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से **य** का वध कर देता है। **क** ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल अपराधिक मानव वध किया है।

अपवाद 3 :— आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक की मदद देते हुए जो लोक न्याय के अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधि पूर्ण ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावनापूर्ण विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित हो गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करें।

अपवाद 4 :— आपराधिक मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्णचिन्तन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया है।

अपवाद 5 :— आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए।

उदाहरण— **य** को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसा कर **क** उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। यहां, कम उम्र होने के कारण **य** उपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए **क** ने हत्या का दुष्प्रेरण किया।

PTS JODHPUR

भारतीय दंड संहिता की धारा 301 {102 BNS}जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करके, जिसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसका आशय था या वह जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।

302 {103(1) BNS}–हत्या के लिए दण्ड –जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माना से भी दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 303{104 BNS} आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दण्ड। जो भी कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, तो उसे मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा। यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

304 {105 BNS}–हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड– जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डित होगा।
अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

304''क''{106 BNS}–उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना–जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

304''ख'' {80 BNS}–दहेज मृत्यु– (1) जहां विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से या शारीरिक क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती हैं और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की या उसे तंग किया था तो इसे दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार मृत्यु कारित करने वाला समझा जावेगा।
स्पष्टीकरण– इस उप धारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय यही है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है।(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह उतनी अवधि तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो 7 वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा। लेकिन जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकेगा।

अनुसंधान धारा 302 भा0द00सं0 {103(1) BNS}की पूर्ण पत्रावली तैयार करना।

साक्ष्य चार्ट

काल्पनिक प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–श्री महेश कुमार के पर्चा बयान के आधार पर एक प्रकरण दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान द्वारा परिवादी के घर में घुसकर हमला करने तथा चन्द्रभान द्वारा चलाई गई गोली से उसके भाई रमेश कुमार की मृत्यु होने तथा उदयभान द्वारा सरिये से हमला करने पर उसके सिर में गंभीर चोट आने पर दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302, 307, 452,

PTS JODHPUR

323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता **{103(1), 109, 333, 115(2), 117(2), 3(5) BNS}**तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में एकत्रित की गई साक्ष्य का साक्ष्य चार्ट इस प्रकार है

क्रम सं.	साक्ष्य जो प्रदर्शित की जानी है	साक्षी जिसके द्वारा साक्ष्य प्रदर्शित की जाएगी	अभियुक्त जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्रदर्शित की जाएगी	साक्ष्य की ग्राह्यता
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	1.श्री रामलाल एएसआई 2.श्री महावीर सिंह थानाधिकारी	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम **{4 BSA}** के अन्तर्गत
2	पर्चा बयान परिवादी	1.श्री रामलाल एएसआई 2.श्री महेश कुमार	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
3	फर्द पंचायत नामा लाश	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.श्री कैलाश चन्द मृतक के पिता 3.पांचों गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
4	फर्द सुपर्दगी लाश	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.श्री कैलाश चन्द मृतक के पिता	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
5	फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.श्री सागरमल फोटोग्राफर 3.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम **{7 BSA}**के अन्तर्गत
6	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र	1.श्री सागरमल फोटोग्राफर	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम **{63 BSA}**के अन्तर्गत
7	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.श्री महेश कुमार परिवादी 3.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम **{5 BSA}**के अन्तर्गत
8	फर्द जब्ती खून आलूदा कपडे	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.श्री महेश कुमार परिवादी 3.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
9	बयान गवाहान	1.संबंधित गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त चन्द्रभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त उदयभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत

PTS JODHPUR

12	फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त चन्द्रभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम **{23(2) BSA}** के अन्तर्गत
13	फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त उदयभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी	अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
14	फर्द बरामदगी रिवाल्वर बकब्जे अभियुक्त चन्द्रभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
15	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
16	फर्द बरामदगी सरिया बकब्जे अभियुक्त चन्द्रभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
17	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
18	रिवाल्वर की परीक्षण रिपोर्ट	1.श्री रेवडमल, जिला आरर्मोरर	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम **{39(1) BSA}** के अन्तर्गत
19	परिवादी महेश कुमार की मेडीकल रिपोर्ट	1.डॉ. सुमित गुप्ता, मेडीकल आफिसर, एसएमएस, जयपुर	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
20	मृतक रमेश कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट	1.डॉ. सुमित गुप्ता, मेडीकल आफिसर, एसएमएस, जयपुर	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
21	रिवाल्वर के संबंध में जिला कलक्टर की अभियोजन स्वीकृति	1.श्री गौरव, जिला कलेक्टर	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 39 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत

किशन भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात दाण्डिक अपील संख्या 1485/2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की दोषमुक्ति के संबंध में अनुसंधान अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के संबंध में दिए गए निर्देश

20. Every acquittal should be understood as a failure of the justice delivery system, in serving the cause of justice. Likewise, every acquittal should ordinarily lead to the inference, that an innocent person was wrongfully prosecuted. It is therefore, essential that every State should put in place a procedural mechanism, which would ensure that the cause of justice is served, which would simultaneously ensure the safeguard of interest of those who are innocent. In furtherance of the above purpose, it is considered essential to direct the Home Department of every State, to examine all orders of acquittal and to record reasons for the failure of each prosecution case. A standing committee of

PTS JODHPUR

senior officers of the police and prosecution departments should be vested with aforesaid responsibility. The consideration at the hands of the above committee, should be utilized for crystalizing mistakes committed during investigation, and/or prosecution, or both. The Home Department of every State Government will incorporate in its existing training programmes for junior investigation/prosecution officials course- content drawn from the above consideration. The same should also constitute course-content of refresher training programmes, for senior investigating/prosecuting officials. The above responsibility for preparing training programmes for officials, should be vested in the same committee of senior officers referred to above. Judgments like the one in hand (depicting more than 10 glaring lapses in the investigation/prosecution of the case), and similar other judgments, may also be added to the training programmes. The course content will be reviewed by the above committee annually, on the basis of fresh inputs, including emerging scientific tools of investigation, judgments of Courts, and on the basis of experiences gained by the standing committee while examining failures, in unsuccessful prosecution of cases. We further direct, that the above training programme be put in place within 6 months. This would ensure that those persons who handle sensitive matters concerning investigation/prosecution are fully trained to handle the same. Thereupon, if any lapses are committed by them, they would not be able to feign innocence, when they are made liable to suffer departmental action, for their lapses.

21. On the culmination of a criminal case in acquittal, the concerned investigating/prosecuting official(s) responsible for such acquittal must necessarily be identified. A finding needs to be recorded in each case, whether the lapse was innocent or blameworthy. Each erring officer must suffer the consequences of his lapse, by appropriate departmental action, whenever called for. Taking into consideration the seriousness of the matter, the concerned official may be withdrawn from investigative responsibilities, permanently or temporarily, depending purely on his culpability. We also feel compelled to require the adoption of some indispensable measures, which may reduce the malady suffered by parties on both sides of criminal litigation. Accordingly we direct, the Home Department of every State Government, to formulate a procedure for taking action against all erring investigating/prosecuting officials/officers. All such erring officials/officers identified, as responsible for failure of a prosecution case, on account of sheer negligence or because of culpable lapses, must suffer departmental action. The above mechanism formulated would infuse seriousness in the performance of investigating and prosecuting duties, and would ensure that investigation and prosecution are purposeful and decisive. The instant direction shall also be given effect to within 6 months.

22. A copy of the instant judgment shall be transmitted by the Registry of this Court, to the Home Secretaries of all State Governments and Union Territories,

within one week. All the concerned Home Secretaries shall ensure compliance of the directions recorded above. The records of consideration, in compliance with the above direction, shall be maintained.

अनुसंधान के दौरान बनाई जाने वाली आवश्यक फर्दें व प्रपत्र

पर्चा बयान

पर्चा बयान श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर, बसिलसिले जाँच आमदा सूचना रपट संख्या ....रोजनामचा आम दिनांक..........समय .... पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर शहर (उतर) कैम्प वार्ड नं. 12 सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।

श्री महेश कुमार ने दरयाप्त पर बयान किया कि मैं नेहरू नगर का रहने वाला हूँ। मैं, मेरे दो भाई तथा हमारा पूरा परिवार म.न. 206 नेहरू नगर में रहते हैं। आज दिनांक 28.01.2020 को प्रातः लगभग 11.00 बजे की बात है, मैं दुकान पर जा रहा था तभी चन्द्रभान सिंह, मानसिंह, राजेश सिंह व तीन चार अन्य व्यक्ति एक बोलेरो नं. आर.जे.14 सी. 4565 में बैठकर आये तथा एकदम सभी लोग दौड़ते हुये हमारे मकान में घुस गये । इन लोगो से हमारा जमीन के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है। चन्द्रभान ने घर में घुसते ही मेरे बड़े भाई रमेश को आवाज देकर कहा कि रमेश कहां है आजा, आज सारा हिसाब पूरा कर लेते हैं। यह कहते हुये चन्द्रभान ने अपनी पेन्ट से रिवाल्वर निकाल ली। मैं मेरा बड़ा भाई रमेश, छोटा भाई दिनेश तथा घर की महीलाएं सभी हमारे मकान के हॉल में थे। ये सभी लोग भी वहीं आ गये। चन्द्रभान ने रिवाल्वर तान रखी थी तथा मानसिंह व राजेश सिंह के हाथ में फरमानुमा हथियार थे तथा 3–4 अन्य व्यक्ति जिनको मैं नहीं जानता उनके हाथ में भी लकड़ियां थी। हम कुछ कर पाते इससे पहले ही चन्द्रभान ने रिवाल्वर से फायर कर दिया। गोली मेरे बड़े भाई रमेश के कंधे पर लगी, चन्द्रभान ने दूसरा फायर किया जो रमेश भाईसाहब के सीने में लगी। हम उनको संभालने दौड़े तो सभी लोगों ने हमारे उपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मानसिंह व राजेश सिंह ने मेरे व मेरे छोटे भाई दिनेश के कई वार किये जिससे हमारे कई जगह चोटें आई। इस हमले से घर में कोहराम मच गया। हम मदद के लिये जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसी दौरान चन्द्रभान, मानसिंह, राजेश सिंह व उनके साथी भाग गये तथा अपनी गाड़ी में बैठकर वहॉ से चले गये। मेरे सिर से खून बह रहा था। मैने रमेश भाईसाहब को संभाला तो उनकी सांसा नहीं चल रही थी। छोटा भाई दिनेश भी बेहोशी की हालत में पड़ा था। हमारे चिल्लाने पर हमारे पड़ौसी रामलाल, बाबूलाल जी, रामप्रसाद जी इत्यादी दौड़ कर आये, उन्होनें हमें हमारे अन्य पड़ौसियों की सहायता से अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल लाते लाते मेरे बड़े भाई रमेश जी की मृत्यु हो गई तथा छोटा भाई दिनेश आई.सी.यू. में भर्ती है तथा बेहोश है। चन्द्रभान, मानसिंह, राजेश सिंह व उसके साथियों ने हमारे घर में घुस कर जानलेवा हमला किया जिससे मेरे बड़े भाई रमेश की मृत्यु हो गई तथा मेरे तथा दिनेश के चोंटे आई हैं। चन्द्रभान, राजेश व मानसिंह के साथ जो 3–4 अन्य व्यक्ति थे उनको मैं सामने आने पर पहचान सकता हूँ।

उपरोक्त पर्चा बयान श्री महेश कुमार के कहेनुसार शब्दबशब्द लिखे जाकर श्री महेश कुमार को पढ़कर सुनाये गये। सुनसमझ सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Sdमहेश कुमार

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

दिनांक ...., समय...........पी.एम.

कार्यवाही पुलिसः— उपरोक्त पर्चा बयान श्री महेश कुमार के कहे अनुसार शब्द ब शब्द लेखबद्ध किया गया। श्री महेश कुमार ने बैड नं. 8 वार्ड नं. 12, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में भर्ती है। श्री महेश कुमार की चोटों का नजरी निरीक्षण किया गया तो सिर में दाहिनी तरफ खून आलूदा चोटें आई हुई हैं तथा सफेद पट्टी बंधी हुई है, जिसमें से खून रिस रहा है। दाहिने हाथ की हथेली पर भी खून आलूदा चोट है तथा सफेद पट्टी बंधी हुई है। पीठ पर तीन जगह नीलगू निशान है। मजरूब का भाई दिनेश आई.सी.यू. में भर्ती है तथा बड़े भाई रमेश की मृत्यु हो चुकी हैजिसकी लाश चीरघर में रखी हुई है।

PTS JODHPUR

मजरूब श्री महेश कुमार व दिनेश कुमार का मेडीकल मुआयना करवाया जावेगा तथा रमेश का पोस्टमार्टम करवाया जावेगा।

श्री महेश कुमार के पर्चा बयान के आधार पर मामला अपराध धारा 147,148,149,452,323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाया जाता है। अतः मूल पर्चा बयान हमराही जाप्ता में से श्री भगवान सिंह कानि. नं. 363 को देकर नम्बर पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करवाने हेतु थाने पर रवाना किया गया। मन् एस.एच.ओ. मशरूफ कार्यवाही हुआ।

हस्ताक्षर महेश कुमार

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर
पुलिस थाना शास्त्री नगर जिला जयपुर
दिनांक .... समय........

कार्यवाही पुलिस :— प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट श्री भगवान सिंह कानि. 363 ने उपस्थित थाना होकर श्रीमान थानाधिकारी महोदय कि निर्देशों के साथ प्रस्तुत की है। रिपोर्ट पर मु. नं. 110/20 अर्न्तगत धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट में कायम कर मूल एफआईआर अनुसंधान हेतु श्री भगवान सिंह कानि. 363 को भेजकर श्री अनंत कुमार थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर को प्रेषित की जा रही है। प्रतियां एफआईआर एवं एसआर नियमानुसार जारी की गई।

हस्ताक्षर भगवान सिंह कानि. 363

प्रभारी अधिकारी
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

PTS JODHPUR

<u>तहरीर वास्ते मेडिकल मुआयना</u>

ओर से,
थानाधिकारी
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

सेवामें,
श्रीमान चिकित्साधिकारी महोदय,
सवाई मानसिंह अस्पताल
जयपुर।

संदर्भः–मु. नं. 110/20 अर्न्तगत धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट
विषयः–मजरूबान की चोटों का मेडीकल मुआयना करवाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि थाना हाजा के मु.न. 110/20 धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**भारतीय दंड संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट में निम्नलिखित मजरूबान के आई चोटों का मेडीकल मुआयना कर नतीजे से अवगत करवाने की कृपा करें।

1.श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर शहर हाल जैर इलाज भर्ती बैड नं. 8 वार्ड नं. 12, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर
चोटेंः–A. सिर पर दाहिनी तरफ ललाट के पास खून आलूदा चोट है।
B. दाहिने हाथ की हथेली पर भी खून आलूदा चोट है तथा सफेद पट्टी बंधी हुई है
C. पीठ पर तीन जगह नीलगू चोटों के निशान हैं।
पहचान चिन्हः– बांये हाथ पर महेश नाम गुदा हुआ है।

2.दिनेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 25 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, हाल जैर इलाज भर्ती बैड नं. 8 आईसीयू, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर
चोटेंः–A. सिर पर पीछे की ओर खून आलुदा चोट है तथा सफेद पट्टी बन्धी हुई है।
B. चेहरे पर बाये गाल पर खून आलुदा चोट है तथा पट्टी बन्धी हुई है।
C. मजरूब दिनेश कुमार अचेतन की स्थिति में है
पहचान चिन्हः– ललाट पर दाहिनी ऑख के ऊपर पुरानी चोट का निशान है।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जयपुर शहर (उत्तर)
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

PTS JODHPUR

तहरीर वास्ते मेडिकल बोर्ड गठन

ओर से,
थानाधिकारी
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

सेवामें,
श्रीमान अधीक्षक महोदय,
सवाई मानसिंह अस्पताल
जयपुर।

संदर्भः—मु. नं. 110/20 अर्न्तगत धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}** व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना शास्त्री नगर
विषयः—मृतक रमेश की लाश का पोस्टमार्टम कराने हेतु मेडीकल बोर्ड गठित करने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपरोक्त विषयान्र्तगत निवेदन है कि थाना हाजा के मु.न. 110/20 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}** व 3/25 आर्म्स एक्ट में मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रहम्ण, उम्र 32 साल निवास— म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर की लाश का पोस्टर्माटम करने हेतु मेडिकल बोर्ड गठित कर अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

प्रतिलिपिः— श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय, जयपुर शहर (उत्तर) जयपुर।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा

फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रहम्ण, उम्र 32 साल निवासी— म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}** व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर बमुकाम चीरघर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर दिनांक ....समय.......

रूबरू पंचानः—

1. रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।
3. ग्यारसीलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति खटीक, उम्र 34 साल, निवासी म.नं. 103, नेहरू नगर, जयपुर।
4. मोहन सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति माली, उम्र 29 साल, निवासी म.नं. 96, नेहरू नगर, जयपुर
5. नानूराम पुत्र छाजू लाल जाति नाई, उम्र 25 साल, निवासी म.नं. 86, नेहरू नगर, जयपुर।

1. चिकित्साधिकारी द्वारा घोषणाः—मजरुब रमेश कुमार के शरीर का चिकित्साधिकारी महोदय से निरीक्षण करवाया गया।
चिकित्साधिकारी महोदय ने बाद निरीक्षण रमेश कुमार को मृत घोषित किया।
2. शिनाख्तगी लाशः— उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री जमना लाल पुत्र श्री छगनलाल जाति ब्राहमण उम्र 57 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर ने मृतक को अपने पुत्र रमेश के रूप में शिनाख्त किया।
3. लाश की स्थितिः—मृतक रमेश कुमार की लाश का नजरी निरीक्षण किया गया। लाश सवाई मानसिंह अस्पताल के चीरघर पोस्टमार्टम टेबल पर रखी हुई है। सिर दक्षिण दिशा में एवं पैर उत्तर दिशा में है। लाश चित अवस्था में है। गर्दन दाहिनी तरफ झुकी हुई है। आँखे आधी खुली हुई है। सिर पर काले घुंघराले बाल तथा चेहरे पर हल्की दाढी मूछ है। बदन पर कमर के नीचे के हिस्से पर बादामी रंग की पेन्ट जिस पर जगह—जगह पर खून के धब्बे लगे हुए है पेन्ट के नीचे नीले रंग की अण्डरवियर पहने

PTS JODHPUR

हुए है जिस पर ''डॉलर'' का लेबल लगा हुआ है। उपरी हिस्से पर छाती व उसके आस–पास सफेद रंग की पट्‌टीया बन्धी हुई है।

4. चोट आदि की स्थितिः–मृतक रमेश कुमार की लाश पर आये जख्मो एवं चोटो का निरीक्षण किया गया तो दाहिने कन्धे के पास सफेद पट्‌टी लगी हुई है जिसे हटाकर देखा गया तो लगभग चार इन्च व्यास में छः इन्च गहरा घाव बना हुआ है तथा काले रंग का रक्त अन्दर जमा है जो शरीर को हिलाने से रिसकर बाहर आ रहा है। घाव के बाहरी हिस्से पर चमडी जलने के निशान है। इसी तरह छाती में बाई तरफ भी सफेद पट्‌टी लगी हुई है जिसे हटाया गया तो गहरा घाव बना हुआ है जिसमें चिकित्सा हेतु रूई भरी हुई है रूई हटाकर देखा गया तो लगभग दस इन्च गहरा एवं पॉच इन्च व्यास का घाव बना हुआ है। काले रंग का रक्त बाहर आ रहा है। घाव के बाहरी हिस्से चमड़ी जलने के निशान है। लाश को हिला डुला कर देखा गया तो उपरोक्त चोटों के अलावा अन्य कोई जाहिराना चोट नजर नहीं आ रही है।

5. राय पंचानः– मृतक रमेश कुमार की लाश का सभी पंचान की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया। सभी पंचान को सोचने समझने का समय दिया गया। सभी पंचान ने आपस में विचार–विमर्श किया। सभी ने मृतक की मृत्यु शरीर पर आई चोटों से होना संभावित बताया है।

6. राय अनुसंधान अधिकारीः–मन अनुसंधान अधिकारी पंचान द्वारा दी गई राय से सहमत हूं। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए लाश का पोस्ट मार्टम करवाना उचित समझता हूॅ। मृतक रमेश कुमार की लाश का मेडीकल बोर्ड से पोस्ट मार्टम करवाया जावेगा।

फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा नियमानुसार तैयार कर उपस्थित सभी पंचान व मृतक के पिता को पढ़कर सुनाया गया। सभी ने सुन सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Sd जमना लाल, रामलाल, बाबूलाल, ग्यारसीलाल, मोहन सिंह, नानूराम

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

<u>तहरीर वास्ते पोस्ट मार्टम मृतक</u>

ओर से,	सेवामें,
थानाधिकारी	श्रीमान अध्यक्ष महोदय मेडिकल बोर्ड,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,	सवाई मानसिंह अस्पताल
जयपुर शहर (उत्तर)	जयपुर।

संदर्भः–मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट ।

विषयः–मृतक रमेश का पोस्टमार्टम करने तथा नतीजे से अवगत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु.न. 110/20 धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट में रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रहम्ण, उम्र 32 साल निवास– म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर की लाश का पोस्टर्माटम करने हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन आपकी अध्यक्षता में श्रीमान अधीक्षक महोदय, एस.एस.एस. अस्पताल जयपुर द्वारा किया गया है। अतः निवेदन है कि बोर्ड द्वारा मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कर नतीजे से अवगत कराने की कृपा करें। लाश का पंचायतमाना तैयार किया जा चुका है। लाश चीरघर (पोस्टमार्टम रूम) में रखी हुई है।

नोटः–1.मृतक की मृत्यु गोली लगने से बताया गया है। अतः यदि शरीर में गोली फंसी हुई हो तो उसे अनुसंधान हेतु संरक्षित करने की कृपा करें।2.अन्य कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य वक्त पोस्टमार्टम मृतक के शरीर से बरामद हो सकते हैं। उन्हें भी संरक्षित करने की कृपा करें।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

PTS JODHPUR

दिनांक.................. समय.............
संलग्नः– पंचायतनामा लाश

एफ.एस.एल. मोबाईल युनिट को मौके पर बुलाने हेतु प्रार्थना पत्र

ओर से,
थानाधिकारी
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

सेवामें,
श्रीमान जिला प्रभारी महोदय,
एफ.एस.एल. मोबाईल युनिट,
जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।

संदर्भः–मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषयः– घटनास्थल का निरीक्षण करने एवं साक्ष्यों के संकलन में सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण के संबंध में निवेदन है कि आज दिनांक–––– को थाना हाजा के क्षेत्र में म.न. 206 नेहरू नगर में हत्या की गंभीर घटना घटित हुई है। मौके पर सभी उच्च अधिकारी उपस्थित हैं।

अतः निवेदन है कि घटनास्थल का निरीक्षण करने एवं साक्ष्यों के संकलन में सहायता प्रदान करने हेतु यथाशीघ्र मौके पर पधारने का श्रम करें।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द फोटोग्राफी

फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 147,148,149, 452, 323, 307, 302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जयपुर मुकाम म.न. 206, नेहरूनगर, जयपुर। दिनांक........ समय ....

रूबरू गवाहानः–

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवासी म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।
2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवासी म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर शहर की मौजूदगी में फोटोग्राफर श्री सागरमल पुत्र श्री भूरामल जाति–यादव, उम्र 18 साल, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, शास्त्रीनगर जयपुर हाल राज फोटो स्टूडियो, नेहरू नगर जयपुर द्वारा अपने निकटतम पर्यवेक्षण में घटनास्थल व मृतक की लाश की फोटोग्राफी करवाई गई।

फोटोग्राफर श्री सागरमल को सभी फोटो स्पष्ट रूप से डवलप कर मय प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 165बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसंधान हेतु उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई।

फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल नियमानुसार तैयार कर संबधित को पढकर सुनाई गई। सभी ने सुन, सही होना मानकर अपने अपने हस्ताक्षर किये।

Sdमहेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल, सागर मल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

PTS JODHPUR

फर्द जब्ती खून आलूदा कपड़े मृतक

फर्द जब्ती खून आलूदा कपड़े मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रहम्ण, उम्र 32 साल निवास– म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148,149,452, 323, 307, 302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}** व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर। दिनांक......... समय .... कैम्प सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर

रूबरू गवाहानः–

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेश कुमार की मौजूदगी में मुतक रमेश कुमार के शरीर से वक्त घटना पहने हुये कपड़े उतार कर प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिये गये। जब्त किये गये कपड़ो का विवरण इस प्रकार हैः–

1.एक शर्ट हॉफ बाजू की सफेद रंग की जिसमें नीले रंग की धारियां हैं कॉलर पर स्मार्ट टेलर्स शास्त्रीनगर का लेबल लगा हुआ है। पूरा शर्ट खून से सना हुआ है। दाहिने कंधे के पास एक छेद हो रहा है, तथा छेद के आस पास काले रंग के जलने के से निशान हैं। शर्ट के बीच में भी एक ऐसा ही छेद है तथा उसमें भी जलने के से निशान हैं।

2.एक बनियान सेन्डो जिसके बैक पर डॉलर का लेबल लगा हुआ है। दाहिने कंधे के पास से हल्का सा फटा हुआ है। वहां जलने के निशान हैं।

पैंकिग विवरणः– शर्ट व बनियान को एक कपड़े की थैली में रख कर सील मोहर कर मार्क ''ए'' दिया गया। जिन जगहों पर जलने के से निशान हैं उनको थर्माकोल के टुकड़े लगाकर अटैच किया गया है।

नमूना सीलः–

X X X

फर्द जब्ती नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितो को पढकर सुनाई, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdमहेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

PTS JODHPUR

फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक

फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रहम्ण, उम्र 32 साल निवास– म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर बमुकाम चीरघर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर दिनांक ....समय.........

रूबरू गवाहानः–

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान समक्ष प्रकरण हाजा में मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रहम्ण, उम्र 32 साल निवास– म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर की लाश बाद पोस्टमार्टम अन्तिम संस्कार हेतु मृतक के भाई श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर को नियमानुसार सुपुर्द की गई। फर्द पर लाश प्राप्ति की रसीद प्राप्त की गई।

Sdमहेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

''मैने मेरे भाई रमेश कुमार की लाश प्राप्त कर ली हैं''

Sdमहेश कुमार

थानाधिकारी
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटना स्थल

फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटना स्थल बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148, 149, 452, 323, 307, 302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर दिनांक.......समय...... बमुकाम म.नं. 206 नेहरू नगर जयपुर

रूबरू गवाहानः–

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण के परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर की निशादेही से प्रकरण हाजा के घटना स्थल का निरीक्षण किया गया हालात इस प्रकार है–

उत्तर

पश्चिम ⟷ पूर्व

दक्षिण

नक्शा घटना स्थलः–

हालात मौका घटना स्थलः–

फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटना स्थल नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितो को पढकर सुनाया, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdमहेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

PTS JODHPUR

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर बमुकाम मकान अभियुक्त चन्द्रभान सिंह दिनांक ....समय. ...

रूबरू गवाहानः–

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन एस.एच.ओ. ने अपना परिचय देते हुए अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर को धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराधो से अवगत कराते हुए नियामानुसार गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी ली गई तो अलावा पहने हुये कपड़ो के एक घड़ी टाईटन की, एक मोबाईल नोकिया 1100, एक पर्स चमड़े का, जिसमें कुल 1325 (एक हजार तीन सौ पच्चीस रू.) रूपये है, को बतौर जामातलाशी जब्त किया गया। जामातलाशी के सामान की सूची बनाकर एक प्रति एच.एम. मालखाना को मय माल के वापसी थाना पर दी जावेगी तथा दूसरी प्रति अभियुक्त को दी गई।

1. नोटः– मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता जमना लाल को दी गयी।
2. नोटः– वक्त गिरफ्तारी मुलजिम के शरीर पर जाहीराना तौर पर कोई चोट नजर नहीं आ रही है। मुलजिम ने भी अपने बदन पर कोई चोट नहीं होना बताया।
3. नोटः– आरोपी चन्द्रभान सिंह को कानूनी सलाहकार से राय लेने की इजाजत दी गयी तथा इस हेतु उसे पर्याप्त समय दिया गया।
4. हुलियाः– कद करीब 5 फुट 8 इंच, रंग गेहूंआ, काले रंग की जर्सी, बादामी पैंट तथा क्रीम कलर का शर्ट पहने हुए है। गहरी भौंहे तथा दाढी मूँछें हैं। दाहिने हाथ की कलाई पर ''चन्द्र'' गुदा रखा है।

फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मान हस्ताक्षर किये।

Sdचन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल, जमना लाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम

फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर बमुकाम पुरूष हवालात थाना शास्त्रीनगर जयपुर दिनांक ....समय....

इस समय थाना हाजा के मु.न. 110/10 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर ने मन आईओ को तफ्तीश के दौरान स्वच्छापूर्वक बताया कि ''मैने एक देशी रिवाल्वर अपने मकान में मेरे कमरे में आलमारी में छुपाकर रखी है जिसे मैं चलकर बरामद करवा सकता हूँ।''

फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की मुल्जिम चन्द्रभान सिंह के कथनानुसार शब्दबशब्द लिखी जाकर पढकर सुनाई सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

PTS JODHPUR

Sdचन्द्रभान

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द बरामदगी

फर्द बरामदगी एक देशी रिवाल्वर प्रस्तुतकर्ता मुल्जिम चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर बमुकाम मकान अभियुक्त चन्द्रभान सिंह दिनांक ....समय....

रूबरू गवाहानः—

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।
2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर ने मुताबिक सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम के आगे—आगे चलकर अपने अवासीय मकान में बने एक कमरे की आलमारी से एक रिवाल्वर निम्न हुलिये का निकालकर प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण में बतौर आलाए—कत्ल बरामद कर कब्जे पुलिस लिया गया। रिवाल्वर के सम्बन्ध में लाईसेन्स मांगा गया तो कोई लाईसेंस होना नहीं बताया।

हुलिया रिवाल्वर :— एक रिवाल्वर देशी जिसके बट पर K लिखा हुआ है तथा नाल पर 015713 अंक लिखे हुये है तथा नोक पर लाल रंग का निशान बना हुआ है। रिवाल्वर की कुल लम्बाई 15.5 सेमी तथा बैरल की लम्बाई 6.7 सेमी है। रिवाल्वर का चैम्बर खाली है तथा चैम्बर के बाहरी तरफ हल्की जंग आई हुई है।

पैंकिग विवरणः— रिवाल्वर को एक पालिथीन की थैली में रख कर थैली का मुह बन्द कर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क ''बी'' दिया गया।

नमूना सीलः—

X X X

फर्द बरामदगी नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितो को पढकर सुनाई, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdचन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

PTS JODHPUR

<u>फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल</u>

फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148, 149, 452, 323, 307, 302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर दिनांक.......समय...... बमुकाम मकान मुल्जिम चन्द्रभान सिंह मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर

रूबरू गवाहानः–

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर की मुताबिक सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम के बरामद की गई रिवाल्वर के बरामदगी स्थल का नक्शा मौका इस प्रकार हैः–

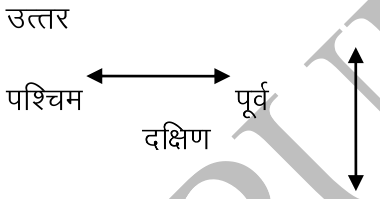

नक्शा बरामदगी स्थलः–

हालात मौका बरामदगी स्थलः–

फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितो को पढकर सुनाया, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdचन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

<u>फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त वाहन</u>

फर्द जब्ती बोलेरो नं. आर.जे.14 सी. 4565 बकब्जे अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148,149,452, 323, 307, 302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर। दिनांक........ समय ....बमुकाम मकान मुलजिम चन्द्रभान सिंह

रूबरू गवाहानः–

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के कब्जे से एक बोलेरो निम्न हुलिये की, जो घटना में परिवहन हेतु प्रयुक्त की गई है, को प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। जब्त की गयी बोलेरो का विवरण इस प्रकार हैः–

1.एक बोलेरो सफेद रंग की जिसके नम्बर आर.जे.14 सी. 4565 है, जिसके नीले रंग की पट्टी हैं, पिछले शीशे पर 'हमराज' लिखा हुआ है। उक्त बोलेरो के चेसिस नम्बर 10226677 तथा ईंजन नम्बर 2525236 है। बोलेरो का बोनट किसी वस्तु से भिडने के कारण अन्दर दबा हुआ है। दोनो साईडों में रगड़ के गहरे निशान बने हुऐ हैं।

फर्द जब्ती नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितो को पढकर सुनाई, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdचन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

PTS JODHPUR

बरामद फायर आर्म्स का आर्मोरर से परीक्षण कराने हेतु प्रार्थना पत्र

ओर से,
थानाधिकारी
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

सेवामें,
श्रीमान जिला आर्मोरर महोदय,
जिला पुलिस लाईन जयपुर शहर,
जयपुर।

संदर्भः—मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}** व 3/25 आर्म्स एक्ट ।

विषयः—प्रकरण में बरामदशुदा रिवाल्वर का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु.न. 110/20 धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}** व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के कब्जे से एक रिवाल्वर बरामद की गई है। उक्त रिवाल्वर कब्जे पुलिस ली जाकर सीलबन्द की गई है। अतः निवेदन है कि रिवाल्वर का परीक्षण कर निम्न के सम्बन्ध में राय देने की कृपा करेः—

1. बरामदशुदा रिवाल्वर फायर आर्म्स की श्रेणी में आती है या नहीं।
2. रिवाल्वर चालू स्थिति में है या नहीं।
3. रिवाल्वर का मेक कौन सा है व बोर कितना है?
4. क्या रिवाल्वर से कोई फायर किया गया है या नहीं?
5. यदि फायर किया गया है तो फायर कितने समय पूर्व किया गया है उसका अनुमानित समय।
6. रिवाल्वर से किस प्रकार की बुलेट/गोली फायर की जा सकती है?

नमूना सीलः—

X X X

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर।

अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र

कार्यालय थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर

क्रमांकः— दिनांकः—

सेवामें,
श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय,
जिला जयपुर शहर उत्तर, जयपुर।

संदर्भः—मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}** व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषयः—प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से निवेदन है कि थाना हाजा के प्रकरण संख्या 110/20 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}** व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर को गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से एक अवैध

PTS JODHPUR

रिवाल्वर बरामद किया गया है। उक्त बरामदशुदा रिवाल्वर के सम्बन्ध में जिला आरमोरर जिला पुलिस लाईन जयपुर से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करली गई है जो संलग्न है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में गिरफ्तार उक्त अभियुक्त चन्द्रभान सिंह के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।
संलग्नः—मूल पत्रावली मु.नं.110/10 अन्र्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शास्त्रीनगर मय आरमोरर रिपोर्ट।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 65 (बी)(4ए) भारतीय साक्ष्य अधिनियम {63 BSA}

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मेरे द्वारा प्रकरण में मौके पर की गई विडियोग्राफी/फोटोग्राफी के रुप में तैयार किया गया है तथा यह विडियोग्राफी/फोटोग्राफी थाना हाजा पर उपलब्ध विडियो कैमरा के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें दी गई सभी अर्न्तवस्तु/जानकारी असली अर्न्तवस्तु एवं तत्वों के पुनः संयोजन से उत्पादित है। प्रस्तुत इलेक्ट्रिक अभिलेख मेरी जानकारी में सही है तथा मूल अर्न्तवस्तु के साथ कोई छेडछाड नहीं की गई है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जो शर्तें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 (बी)(2ए) से 65 (बी)(2डी) में कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न जानकारी की स्वीकार्यता के संबंध में, जो कि यहां प्रस्तुत की गई जानकारी एवं कम्प्यूटर से संबंधित है, वह पूरी तरह से स्वीकार्य एवं संतुष्ट की गई है।

हस्ताक्षर
सागर मल

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 65 (बी)(4ए) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गगत श्री सागरमल ने मय इलेक्ट्रिक अभिलेख के प्रस्तुत किया है। इलेक्ट्रिक अभिलेख को पृथक से प्राप्त कर सील मोहर किया गया है। प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

थानाधिकारी
थाना शास्त्री नगर
जयपुर (उत्तर)

PTS JODHPUR

PTS JODHPUR

37 पुलिस एक्ट 2007 के तहत वारंट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र
कार्यालय थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर

क्रमांकः–   दिनांकः–

सेवामें,
श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,
क्रम संख्या 13 जयपुर शहर, जयपुर।
मार्फतः–
श्रीमान सहायक लोक अभियोजक महोदय,
न्यायालय एसीजेएम 13 जयपुर शहर, जयपुर।

संदर्भः–मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषयः–धारा 37 पुलिस एक्ट 2007 के तहत वारन्ट जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त मानसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के विरूद्ध प्रकरण में उपरोक्त धाराओं के तहत जुर्म प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त मानसिंह वक्त घटना से ही फरार चल रहा है तथा अपनी उपस्थिति छुपाये हुये है। जिसकी काफी तलाश की गई किन्तु कोई पता नहीं चल रहा है। प्रकरण में 5 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया जा चुका है। मानसिंह की गिरफ्तारी काफी प्रयासो के बाद भी नहीं हो सकी है। मानसिंह को गिरफ्तार करने के प्रयास पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्त मानसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के विरूद्ध धारा 37 पुलिस एक्ट 2007 के तहत गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने की कृपा करें।

प्रकरण की मूल पत्रावली श्रीमान सहायक लोक अभियोजक महोदय के माध्यम से श्रीमान की सेवा में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

<u>कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु प्रार्थना पत्र</u>

कार्यालय थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर

क्रमांकः— दिनांकः—

सेवामें,
श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,
क्रम संख्या 13 जयपुर शहर, जयपुर।
मार्फतः—
श्रीमान सहायक लोक अभियोजक महोदय,
न्यायालय एसीजेएम 13 जयपुर शहर, जयपुर।

संदर्भः—मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट।
विषयः—बापर्दा मुल्जिम लक्ष्मण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी म.नं.64, लक्ष्मीनगर, हरमाडा, जयपुर की कार्यवाही शिनाख्तगी के सम्बन्ध में धारा 54(क) सी.आर.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147, 148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी म.नं. 64, लक्ष्मीनगर, हरमाडा, जयपुर को प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तार किया गया है जिसे प्रकरण में बापर्दा रखा गया है।

प्रकरण के परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर ने अपने कथनों में तथा पर्चा बयान में मुख्य अभियुक्तो के साथ आये तीन—चार अन्य व्यक्तियों को सामने आने पर उनकी शक्ल से पहचानना बताया है। प्रकरण की सफलता के लिये अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्तगी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त बापर्दा अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी म.नं.64, लक्ष्मीनगर, हरमाडा, जयपुर की कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
प्रकरण की मूल पत्रावली श्रीमान सहायक लोक अभियोजक महोदय के माध्यम से श्रीमान की सेवा में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना शास्त्री नगर
जयपुर शहर (उत्तर) जयपुर

PTS JODHPUR

माल एफ.एस.एल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र

कार्यालय थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर

कमांकः– दिनांकः–

सेवामें,
श्रीमान निदेशक महोदय,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
जयपुर।
मार्फतः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।

संदर्भः–मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 147,148,149,452,323,307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट।
विषयः–प्रकरण में जब्तशुदा/बरामदशुदा वस्तुओं का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्तगत संदर्भित प्रकरण के संबंध में निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण में निम्नानुसार वस्तुऐं जब्त की गई हैं, जिनके संबंध में परीक्षण कर चाही गई राय प्रदान करनें की कृपा करें :–

कम सं.	मार्क	जब्त/बरामद वस्तु का विवरण	जब्त/बरामद करने वाले अधिकारी का नाम	नमूना सील
1	A	मृतक रमेश कुमार के वक्त घटना पहने हुए खून आलूदा कपडे, एक शर्ट व एक बनियान	थानाधिकारी पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जयपुर	
2	B	अभियुक्त चन्द्रभान के कब्जे से बरामद एक रिवाल्वर	थानाधिकारी पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जयपुर	
3	C	ब्लड सैम्पल मृतक रमेश कुमार	अध्यक्ष, मेडीकल बोर्ड, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	
4	D	एक कारतूस/गोली जो मृतक रमेश कुमार के शरीर से पोस्ट मार्टम बोर्ड द्वारा वक्त पोस्ट मार्टम निकाली गई है।	अध्यक्ष, मेडीकल बोर्ड, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	

उपरोक्त जब्तशुदा/बरामदशुदा वस्तुओं के संबंध में निम्नांकित राय प्रदान करने की कृपा करेंः–

1. पैकेट मार्क A में जब्तशुदा कपडों में लगा रक्त मानव रक्त है या नहीं।
2. यदि मानव रक्त है तो पैकेट C में लिये गए रक्त सैम्पल से मिलान करता है या नहीं।
3. क्या पैकेट B बरामद शुदा रिवाल्वर से कोई फायर किया गया है या नहीं?
4. यदि फायर किया गया है तो फायर कितने समय पूर्व किया गया है उसका अनुमानित समय।
5. बरामद रिवाल्वर से किस प्रकार की बुलेट/गोली फायर की जा सकती है?
6. क्या पैकेट D में जब्त की गई गोली/कारतूस इसी रिवाल्वर से फायर किया गया है?

श्री भगवान सिंह कानि. 372 को विशेष वाहक के रुप में मय माल के भेजा जा रहा है।
श्रीमान से निवेदन है कि चाही गई राय शीघ्रताशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें।

नमूना हस्ताक्षर कानि. भगवान सिंह 372 :–

हस्ताक्षर प्रमाणित द्वारा

PTS JODHPUR

थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर जयपुर

संलग्न :–

1.प्रमाणित प्रतिलिपि एफआईआर नं. 110/20।
2.प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा मौका।
3.प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द जब्ती खून आलूदा कपडे मृतक रमेश कुमार।
4.प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द बरामदगी रिवाल्वर।
5.प्रमाणित प्रतिलिपि जब्ती प्रपत्र द्वारा पोस्ट मार्टम बोर्ड सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
6.नमूना सील थाना शास्त्रीनगर जयपुर।
7.नमूना सील पोस्ट मार्टम बोर्ड सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
8.अग्रेषण पत्र द्वारा पोस्ट मार्टम बोर्ड सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द खाना तलाशी अन्तर्गत धारा 47 सीआरपीसी

फर्द खाना तलाशी मकान मुल्जिम मान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 147,148,149, 452, 323, 307,302 भारतीय दंड संहिता **{191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS}**व 3/25 आर्म्स एक्ट, पुलिस थाना शास्त्री नगर, जयपुर बमुकाम मकान अभियुक्त मान सिंह दिनांक ....समय.......

रूबरू गवाहानः–

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।
2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त मानसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर की अपने मकान में छुपे हुए होने की सूचना प्राप्त होने पर मन थानाधिकारी द्वारा मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर की धारा 47 सीआरपीसी के तहत तलाशी ली गई। मुलजिम के फरार होने की संभावना होने के कारण तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सका।

वक्त तलाशी मकान में श्री रामसिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में मकान की तलाशी ली गई। मकान में बने सभी कमरों की तलाशी ली गई किन्तु वांछित अभियुक्त मानसिंह मकान में नहीं मिला।

फर्द खाना तलाशी नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितो को पढकर सुनाई, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdरामसिंह, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्री नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

PTS JODHPUR

2. महिलाओं के विरूद्ध यौन शोषण ,छेडछाड व उत्पीडन

भारतीय दंड संहिता धारा 354 {74 BNS}–स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

आई पी सी की धारा 354 {74 BNS} में संशोधन – दण्ड में वृद्धि – 1 से 5 वर्ष तक संज्ञेय /अजमानती ।

भारतीय दंड संहिता धारा 354 ए {75 BNS}प्ररूप द्वारा किसी महिला से यौन सर्म्पक यौन सम्बध बनाने की मांग ,अश्लील ,दिखाना – 3 वर्ष या जुर्माना या दोनो
–: यौन सम्बधी करात्र कर यौन प्रताडना –1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनो संज्ञेय/जमानती

भारतीय दंड संहिता धारा 354 बी {76 BNS}–स्त्री को निवस्त्र करने के उदेश्य से हमला या आपराधिक बल 3–7 वर्ष कारावास व जुर्माना अपराध – संज्ञेय /गैर जमानती

भारतीय दंड संहिता धारा 354सी {77 BNS}–निजी कार्य में लगी महिला को देखना स्त्री कम वस्त्र पहने हुए है। या शौचालय उपयोग कर रही है। या यौन क्रिया कर रही जो कार्य आय आम तौर पर खुले में न होता केमरा से फोटो लेना
प्रथम बार 1–3 वर्ष संज्ञेय / जमानतीय
द्वितीय बार 3–7 वर्ष

भारतीय दंड संहिता धारा 354डी {78 BNS}–किसी स्त्री का पीछा करना –
(1) किसी स्त्री का सम्पक्र करने के लिए पीछी करना ।
(2) इन्टरनेट इेमेल या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक सांधन से सर्म्पक करना
छुट – पहली बार – 3 वर्ष दूसरी बार 5 वर्ष व जुर्माना संज्ञेय / जमानती

भारतीय दंड संहिता धारा 376 {64 BNS}बलात्संग के लिए दण्डः–(1) जो काई उपधारा(2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री, जिससे बलात्संग किया गया हो उसकी पत्नी है और 12 वर्ष से कम आयु की नहीं हो, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
(2) जो कोई–(क) पुलिस अधिकारी होते हुए–1. उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है , बलात्संग करेगा या
2. किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा, या
1.अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी से बलात्संग करेगा, या
(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी ऐसी स्त्री से जो ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या (ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या (घ) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी वृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा। या (ड़) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा। या (च) सामूहिक बलात्संग करेगा। कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।
परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लेखित किये जायेगें, दण्डादेश दे सकेगा।

PTS JODHPUR

स्पष्टीकरण :—(1) जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने मे ंकिसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे मे ंयह समझा जायेगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।
स्पष्टीकरण (2) ''**स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था**'' के स्त्रियों और बच्चों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिये स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालाकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिये गृह या कोई भी अन्य नाम हो।
स्पष्टीकरण (3):— ''**अस्पताल**'' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसी ंकिसी संस्था का आहता है जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को, ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिये है। नारी का बलात्कार आरोप सहज ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता।बलात्कार के मामले मे ंबाल अपराधियों को न्यूनतम दण्ड परिविक्षा।
स्पष्टीकरण (4):— साक्षियों की पूर्ण सम्पुष्टि आवश्यकः— बालात्संग अपराध के समय पहने हुए वस्त्रों की परीक्षा समुचित प्रकाश में करनी चाहिये। कपड़ों के फटने के निशान, कीचड़, मिट्टी और घास के धब्बे और रक्त और शुक्र के धब्बों को अच्छी तरह देख लेना चाहिये। यदि कपड़ों पर चोट के निशान है तो शरीर के उस भाग पर भी चोट के निशान मिलने की सम्भावना होती है। इसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये। यदि रक्त के धब्बे हैं तो यह ज्ञात करना आवश्यक है कि मासिक स्राव के तो नही ंहैं यदि सम्मति मिल जाती है तो रक्त लेकर उसका वर्गीकरण कर यह पता लगाया जा सकता है कि रक्त के धब्बों पर रक्त हमला करने वाले का है या उसी स्त्री का है। वस्त्रों को सावधानी से सुखाकर लेबल लगाकर रासायनिक विश्लेषण के पास भेजा जाता हे कि ये संदेहास्पद धब्बे शुक्र के हैं या रक्त के पूरी साड़ी, लंहगा या स्कर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं ंहोती, केवल धब्बे वाले भाग को सावधानी से काटकर छाया में सुखाकर एक डिब्बे में बन्द कर और सील कर भेजा जाता है। नाखुनों के नीचे भी हमलावर की त्वचा के सूक्ष्म टुकड़ों को भी देख लेना चाहिये कि बलात्संग में प्रतिरोध के लिये स्त्री ने उस हमलावर को नोचा—खरोचा हो। स्त्री का शारीरिक विकास देखना चाहिये कि उसमें प्रतिशोध करने की कितनी क्षमता है। किन्तु यदि उस स्त्री की गर्दन दबाई गई है या उसके सिर पर भरपूर बल प्रहार किया गया है तो शारीरिक प्रतिरोध की शक्ति क्षीण हो जाना स्वाभाविक है। गले, होठ, गर्दन, छाती, स्तन, हाथ या पैरों पर चोटों और नील के निशान या तो जमीन से रगड के हो सकते हैं या हमलावर की उस समय की कोशिशों से हो सकते है। जब वह स्त्री के चिल्लाने या शारीरिक प्रतिशोध पर काबू पाने के लिये कोशिश कर रहा था। क्रूरता के कारण स्तनों के चुचक कटे हुए या स्तनों पर चोटों के निशान पाये जा सकते हो चोटों के वे प्रकार हो सकते हैं— नील, नाखूनों, के निशान, दातों से काटने के निशान और त्वचा विदीर्णता आदि।
(5). प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब अपराध संदिग्धः— रिपोर्ट मे ंतीन दिन का विलम्ब मेडिकल समर्थन का अभाव तथा अभियुक्त के शरीर पर चोटों का अभाव प्रकरण को संदिग्ध बनाते थे। घटना की प्रथम सूचना दर्ज में छः दिन का विलम्ब अन्य साक्ष्य की दुर्बलता के प्रकार में अभियुक्त साक्ष्य को संदिग्ध बनाते हैं।
रिपोर्ट दर्ज कराने के विलम्ब तथा स्वतन्त्र समर्थन और मेडिकल समर्थन या अभाव अभियोजन साक्ष्य को संदिग्ध बनाते हैं। घटना की रिपोर्ट तीन मास के विलम्ब से दर्ज करने का कारण जहां जाति पंचायत की कार्यवाही बताया गया था, तथापि पंचों ने परिवाहिनी का समर्थन नहीं किया, अभियुक्त दोषमुक्ति के पात्र थे।
(6) अवयस्क लड़की की सहमति महत्वहीनः— यह सुझाव की चूंकि अभियोजिका के गुप्तांगों पर या उसके शरीर पर कहीं भी हिंसा के कोई भी निशान मौजूद नहीं नहीं हैं, इसलिये उस पर बलात्संग करने का कोई भी अपराध लगाया नही ंजा सकता, पूर्णतः भ्रमक है। बलात्संग की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 **{63 BNS}**में दी गई है जिसके अनुसार जो पुरूष एतस्मिन— पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित पांच भांति की परिस्थितियों में से किसी परिसिथतियों मे ंमैथुन करता है। वह पुरूष बलात्संग करता हैं यह कहा जाता है। (7) बलात्कार साबित करने के लिये इन्द्रिय प्रवेशन करना पर्याप्त है।
भारतीय दंड संहिता धारा 376 (ख) {67 BNS}:— जो कोई लोक सेवक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा मे ंहै या उसके अधीनस्थ की अभिरक्षा में है

PTS JODHPUR

मैथुन करने के लिये उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है। पाँच वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता धारा 376(ग) {68 BNS}जो कोई जेल प्रतिप्रेषण गृह स्त्रियों या बालाकों की संस्था का अधीक्षक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को अपने साथ मैथुन करने के लिये उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, 5 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता धारा 376(घ) {70(1) BNS}जो कोई किसी अस्पताल का प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री के साथ मैथुन करेगा जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता धारा 376(ड़) {71 BNS}पुनः अपराध करने वालों के लिए दण्ड – जो कोई भी व्यक्ति धारा 376, 376क से 376घ के अधीन दण्डनीय अपराध में पूर्व में दोष सिद्ध हुआ है उसके बाद भी इन धाराओं में दूबारा दोषसिद्ध होता है तो उसे आजीवन कारावस से दण्डित किया जावेगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 {183 BNS S}संस्वीकृतियॉ व गवाहों के कथन दर्ज करना–:

(1) कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्वेषण के दौरान जॉच या ट्रायल प्रारम्भ होने से पूर्व किसी समय अपने से की गई सस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है । किन्तु पुलिस अधिकारी उस समय किसी कानून के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई हो कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जायेगी।

(2) मजिस्ट्रेट को संस्वीकृति लिखने से पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है समक्षायेगा कि वह संस्वीकृति करने के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरूद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती हैं । संस्वीकृति स्वैच्छिक होना आवश्यक है अर्थात वह उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा प्राप्त की गई होनी चाहिए।

(3) संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कथन करता है वह संस्वीकृति करने के लिये इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में रखने को प्राधिकृत नहीं करेगा।

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिये धारा 281 में उपबन्धित रीति से अभिलिखित की जायेगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा– मैनें........... ....(नाम) को यह समक्षा दिया है किवह सस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नही है और यदि ऐसा करता है जो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके, विरूद्ध साक्ष्य में भी उपयोग में लाई जा सकती है और मुक्षे विश्वास है किवह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है । यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढकर सुनाते हुए लिखि गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढकर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा दिये गये कथन का पूरा और सही वृतान्त इसमें है ।

(5) उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई बयान7 साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये इसमें इसके पश्चात् उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जायेगा जो मजिस्ट्रेट की राय में , मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपर्युक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया गया है ।

(6) धारा के अधीन किसी सस्वीकृतिक का कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया गया है ।

PTS JODHPUR

सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना, साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना –

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

1. एफआईआर दर्ज करना। (महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा लेखबद्ध)
2. प्रार्थिया का मेडिकल मुआयना परीक्षण करवाना। (घटना के 24 घण्टों के दौरान आवश्यक)
3. घटनास्थल का निरीक्षण व फर्द घटनास्थल बनाया जाए।
4. बयान गवाह दर्ज करना।
5. 164 द.प्र.सं. के तहत बयान् करवाना। (अविलम्ब)
6. अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी
7. अभियुक्त का मेडिकल मुआयना एवं परीक्षण करवाना।
8. रिमाण्ड
9. आरोप पत्र तैयार करना।

बलात्कार

1.बलात्कार की सूचना के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस स्टेशन पर सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब घटना स्थल पर पँहुचना ।

2.घटना के संबधं में पीड़िता या उसके परिवार जन द्वारा रिपोर्ट देने पर उसे तुरन्त दर्ज करना।

3.पीड़िता या परिवार जन द्वारा मौखिक सूचना देने पर घटना के संबधं में तसल्ली पूर्वक जानकारी कर उसे सरल भाषा में अभिलेखित करना।

4.घटना के संबंध में यदि पीड़िता द्वारा पूर्व में किसी परिजन या अन्य किसी व्यक्ति को जानकारी दी हो तो उससे भी जानकारी प्राप्त करना।

5.यदि परिवादी महिला है तथा छेड़छाड या बलात्कार संबंधी रिपोर्ट दर्ज करवा रही है तो रिपोर्ट महिला अधिकारी द्वारा ही लिखी जायेगी।

6.यदि घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी हो गयी हो तो कारण जानने का प्रयास करना चाहिए।

7.रिपोर्ट में घटना का विस्तृत विवरण यथा तिथि, समय, स्थान, अभियुक्त का पता, चोटों इत्यादि का विवरण हो।

8.पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस अंकित करते समय पुछताछ कर घटना के संबंध में यदि कोई सारवान तथ्य रह गये हो तो उनका स्पष्ट खुलासा लिखना।

9.पीड़िता का शारीरिक या मानसिक विकलांग होने पर दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है।

10. पीड़िता/परिवादी को एफआईआर की प्रति निःशुल्क दी जावें।

11. बलात्कार के प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा किया जावेंगा।

12. सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रकरणों का अनुसंधान संबंधित वृताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया जावेगा।

13. पीड़ित से पूछताछ करते समय निम्नलिखित बातों का समावेश करना चाहिए।

- पीड़िता अभियुक्त को पूर्व से जानती है या नहीं ?
- पीड़िता का घटनास्थल पर मौजूदगी का कारण ?
- घटना के समय पीड़िता ने कौन से कपड़े पहन रखे थे ?
- क्या घटना के बाद पीड़िता ने अपने कपड़े धो लिए हैं ?
- घटना के दौरान पीड़िता के कोई चोट इत्यादि आई है या नहीं ?
- क्या घटना के समय अभियुक्त द्वारा पीड़ित को नशीली वस्तु खिलाई गई थी ?
- क्या बलात्कार किसी प्रकार का भय दिखाकर किया गया है ?
- क्या अभियुक्त द्वारा कोई आपत्तिजनक विडियो फिल्म या फोटो खींची गई है ?
- क्या अभियुक्त द्वारा घटनास्थ्ल पर किसी प्रकार के साक्ष्य छोड़े गये है ?

14. पीड़िता का अविलम्ब चिकित्सीय परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जाये।

15. मेडिकल बोर्ड में महिला चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें।

16. मेडिकल मुआयना करवाते समय चिकित्सक से निम्नलिखित के संबंध में राय ली जानी चाहिए–

PTS JODHPUR

- क्या पीड़िता के शरीर पर सघर्ष के दौरान के चिन्ह् मौजूद है।
- क्या पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट आई हुई है ?
- क्या गुप्तांगों के अलावा शरीर पर अन्य कोई चोटें आई है ?
- पीड़िता का "हाईमन" सुरक्षित है या नहीं ?
- पीड़िता के गुप्तांगों पर जबरदस्ती करने के निशान है या नहीं ?
- पींड़िता के जननांग में लिंग का प्रवेश हुआ है या नहीं ?
- पीड़िता की योनी में वीर्य का स्खलन हुआ है या नहीं ?
- पीड़िता की योनी, मुत्र मार्ग या गुदा में किसी वस्तु का प्रवेश हुआ है या नहीं
- पीड़िता के साथ पहली बार मैथुन किया गया है या वह मैथुन की आदी है ?
- यदि नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया गया है तो इस संबंध में भी राय प्राप्त की जानी चाहिए।

17. पीड़िता का उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त करना।
18. पीड़िता का उम्र संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर उम्र संबंधी मेडिकल करवाना।
19. पीड़िता का बलात्कार, चोटे, आयु संबंधी मेडिकल रिपोर्ट/चोट प्रतिवेदन तत्काल प्राप्त कर शामिल पत्रावली करें।
20. यदि आवश्यक हो तो तुरन्त मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाना।
21. पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक्सरें फिल्म व अन्य सर्पोटिंग दस्तावेज भी शामिल पत्रावली किया जावें।
22. पीड़िता के पहने हुये बाहरी वस्त्र जो प्रतिरोध में फटे हो को भी जब्त करें।
23. अधोवस्त्रों/अंगवस्त्रों पर सीमन आदि की उपस्थिति, बाल या अन्य भौतिक साक्ष्य को मध्यनजर रखते हुये जब्त करें।
24. पीड़िता के वस्त्रो पर खून व सीमन आदि के धब्बों को चिन्हित करें तथा जैविक प्रार्दशो को सही तरीके से सुरक्षित किया जावें।
25. जब्त शुदा अलामात को हर सूरत में 24 घंटे में एफ.एस.एल. में नियमानुसार भिजवाना। देरी करने से सैम्पल की सत्यता पर न्यायालय द्वारा संदेह किया जा सकता है।
26. द0प्र0स0 की धारा 161(3) **{180 BNSS}**के अन्तर्गत पीड़िता के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिये जाये।
27. पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी के अन्तर्गत विस्तृत बयान उसके घर या उसकी इच्छानुसार अन्य सुविधा जनक स्थान पर लेखबद्ध किया जावें यदि संभव हो तो विडियोग्राफी भी करवायी जावें।
28. पीड़ित के बयान दर्ज करते समय परिवारजनो में से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पीड़िता के साथ रखना जिससे पीड़िता का विश्वास बना रहें।
29. पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना में परिवारजन के अभियुक्त होने पर किसी अन्य महिलाकर्मी की उपस्थिति में बयान लेखबद्ध करना।
30. पीड़िता के धारा 164 द0प्र0स0 **{183 BNSS}**के बयान संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अतिशीघ्र करवाया जावें।
31. घटना के संबंध में जानकारी रखने वाले परिवारजन के बयान विस्तृत लेखबद्ध करना।
32. घटना स्थल को चिन्हित कर बारीकी से निरीक्षण करें व घटना स्थल पर बिस्तर, चारपाई आदि पर खून व सीमन के धब्बे हो तो कब्जे में ले।
33. घटना स्थल पर बाल, टूटी चूडियों के टुकड़े, फटे कपड़े या अन्य भौतिक साक्ष्य पाये जाये तो परीक्षण हेतु सील बन्द करें।
34. घटना स्थल पर पाये गये अभियुक्त के पद चिन्ह, अंगुल चिन्ह यदि वाहन हो तो टायर चिन्ह के मोल्ड उठाकर जप्त करें
35. घटना स्थल पर उपलब्ध साक्ष्यो की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करावें।
36. घटनास्थल के आसपास के लोगों से घटना के संबंध में पुछताछ कर बयान लेखबद्ध करें।
37. घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करें जिसमें उपरोक्त में से मिली साक्ष्यों, अन्य आलामात की स्थिति दर्शायी जावें।
38. घटना स्थल से जब्त किये गये साक्ष्यों की मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

PTS JODHPUR

39. अभियोग की जब्त/बरामद वस्तुए एफ.एस.एल. जाँच हेतु प्रयोगशाला में जमा करवाने की रसीद शामिल पत्रावली करें।
40. एफ.एस.एल. रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र मंगवाकर शामिल पत्रावली करें।
41. यदि घटना होटल/गेस्ट हाउस आदि जगह की है तो उनके रजिस्टर जिसमें प्रविष्टि की गई हो, को कब्जे में ले।
42. यदि होटल में सी.सी.टी.वी. हो तो उनकी रिकॉर्डिंग प्राप्त कर कब्जे में लें।
43. कमरे का निरीक्षण कर पेय पदार्थ, गिलास, बॉटल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, माचिस आदि मिले तो कब्जे में ले।
44. होटल कर्मियों के बयान लेखबद्ध करें।
45. होटल के कमरे में वीर्य के दागों को चिन्हित करें। फर्द में उल्लेख करें।
46. महिला परिवादी/गवाहान को कभी भी थाने पर नहीं बुलाया जावें।
47. महिला परिवादी/गवाहान को सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व किसी भी परिस्थिति में इन्हें थाने पर रखा जावें।
48. अपराध प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तो को गिरफ्तार करना।
49. आरोपी का तुरन्त मेडिकल परीक्षण करवाया जाये जिसमें संघर्ष के दौरान उसके शरीर पर खरोंच आदि आई हो तो उनका परीक्षण करवाया जाये।
50. अभियुक्त/अभियुक्तो के पुरूषत्व का मेडिकल परीक्षण करवाया जावें अभियुक्त के शरीर से डी.एन. ए. जाँच हेतु रक्त,बाल, नाखून इत्यादि के नमूने प्राप्त किये जावें।
51. अभियुक्त के बाल,खून वक्त घटना पहने हुए कपड़े जब्त करना।
52. चिकित्सक द्वारा लिए गये अभियुक्त के बाल खून एवं सीमन के नमूनो का एफ.एस.एल.से परीक्षण करवाना।
53. यदि मुल्जीम अज्ञात हो तो गिरफ्तार होने पर उसको बापर्दा कर पीड़िता से कार्यवाही सिनाख्त करवाया जाना।
54. अभियुक्त से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट तैयार करना।
55. बलात्कार से संबंधित अभियोगो का अनुसंधान 7 दिवस में पूर्ण करना।
56. 7 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर जिला पुलिस अधीक्षक/डी.सी.पी. से पेन्डिग स्वीकृति प्राप्त करना।
57. 30 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर रेंन्ज महानिरीक्षक पुलिस पेन्डिंग स्वीकृति प्राप्त करना।
58. 60 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर महानिरीक्षक (सिविल राईटस) राजस्थान जयपुर से स्वीकृति प्राप्त करना।
59. पीड़िता को धारा 357 (ए) द0प्र0स0 **{395 BNSS}**के अन्तर्गत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना।
60. पीड़िता व उसके परिवार को प्रतिकर दिलाने में संबंधित दस्तावेज समय पर जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाया जाना।
61. पीड़ित महिला व उसके परिवारजनों के नाम मिडिया व लोगों में सार्वजनिक नहीं किया जावें एवं उनकी पहचान गुप्त रखी जावें।
62. अभियुक्त का पूर्व का अपराधिक रिकॉड प्रमाणित कर शामिल पत्रावली करें।
63. समस्त साक्ष्यों को संकलित कर अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना।

दहेज मृत्यु/दहेज हत्या

1.दहेज मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरन्त मौके पर पहुच कर घटनास्थल को सुरक्षित करना
2.पीड़िता के पीहर पक्ष को तुरन्त सूचित करना।
3.घटना के संबंध में परिवारजन द्वारा रिर्पोट पेश करने पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करना।
4.घटना की एफआईआर दर्जकरने के पश्चात् अनुसंधान सम्बन्धित वृत्ताधिकारी द्वारा प्रारम्भ किया जावे।

5.घटनास्थल का बारीकी से क्लॉक वाईज व एन्टीक्लॉक वाईज निरीक्षण किया जावें
6.घटना स्थल की फोटोग्राफी करवायी जावें जिसमें घटनास्थल के सम्पूर्ण साक्ष्य दर्शित हो फोटोग्राफर के बयान लेखबद्ध किये जावें।
7.मृतका के शव की फोटोग्राफी करवाना और शव का बारीकी से निरीक्षण करना।
8.घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों को सही तरीके से उठा कर जब्त करना।
9.घटनास्थल से जब्त किये गये साक्ष्यों को जमा मालखाना करवाना।
10. घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर लाश एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों की स्थिति स्केल से माप कर पैमाने के साथ स्पष्ट रूप से दर्शायी जाना।
11. शव का बारीकी से निरीक्षण किया जाकर उसके शरीर पर चोटें व अन्य लक्षण फर्द ''निरीक्षण लाश'' में अंकित किया जाना।
12. मृतका के कपड़ो पर मृत्यु से संबंधित अलामात उपलब्ध होने पर उन्हें जब्त करना ।
13. लाश का पोस्टमार्टम अविलम्ब मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जाना।
14. विसरा जाँच हेतु एफ.एस.एल. भिजवा जाना सुनिश्चित करना।
15. विधिविज्ञान प्रयोगशाला में विसरा व अन्य अलामात जमा करवाने की रसीद शामिल पत्रावली करना।
16. मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली करना।
17. मृतका के शव को परिवार जन को सुपुर्द कर सुपुर्दगी लाश पपत्र को शामिल पत्रावली करना।
18. मृतक की शादी एवं शादी की दिनांक के संबंध में साक्ष्य लिया जाना।
19. मृतका के परिवारजन से गहनता से पुछताछ कर बयान लेखबद्ध करना।
20. घटनास्थल के पड़ोसीयान से विस्तृत पुछताछ कर घटना के संबध में तफ्तीश करना।
21. घटनास्थल पर कोई सुसाईड नोट, पत्र, एस.एम.एस, ई–मेल बाबत् लिखा गया तो उसे प्राप्त कर उसे जब्त करना उपरोक्त के आधार पर अनुसंधान करना।
22. मृतका की शादी में मध्यस्ता करने वाले रिश्तेदारान, मृतका के मित्र/सहेली से तफ्तीश करना।
23. मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व उसके साथ उसके पति अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की मांग या दहेज कोलेकर कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार कियागया था के संबंध में पुख्तासाक्ष्य पत्रावली में पर लाना।
24. घटना के ठीक पूर्व मृतका की दहेज को लेकर परेशान करने की बात के संबंध में किसी से बात हुई हो के संबंध में तफ्तीश करना।
25. यदि मृतका की मृत्यु जलने हुई है तो आग के कारणो की जानकारी प्राप्त करना।
26. घटनास्थल पर जलने के साधन केरोसिन, माचिस, पेट्रोल, उपलब्ध होने पर उनको जरिये फर्द जब्त करना।
27. मृतका के कपड़ो पर केरोसिन पेट्रोल व जलने के साक्ष्य होने पर कपड़ो को पृथक से जब्त करना।
28. मृतका की मृत्यु जलने, चोट लगने,फांसी लगने,जहर खाने से हुई है तो मृत्यू मानव वध (Homicidal),आत्महत्या(Suicidal),अथवा दुर्घटना (Accidental),में से किस प्रकार है के संबंध में चिकित्सक से राय प्राप्त करना ।
29. मृतका द्वारा जहर खाने के प्रकरण में जहर के स्त्रोत शिशी इत्यादि को मौके से जब्त करना।
30. घटनास्थल पर मृतका द्वारा की गई उल्टी के अलामात पाये जाने पर उसे जब्त करना।
31. मृतका की मृत्यु फांसी या दम घुटने की स्थिति में होने पर घटना स्थल पर निम्न अनुसंधान सुनिश्चित करना।

- यदि घटनास्थल बंद कमरा है तो अन्दर से कुन्दी लगी हुई है या नहीं ?
- क्या परिजनों द्वारा दरवाजा तोड़ दिया गया है ?
- यदि दरवाजा तोड़ा गया है तो कुन्दी की क्या स्थिति है ?
- फांसी छत के कुन्दे या पंखे या बीम या अन्य किस स्थिति में लगाई गई है?
- क्या परिजनों द्वारा शव को नीचे उतार लिया गया है ?
- यदि शव उतार लिया गया है तो अब शव की स्थिति क्या है ?
- क्या फंदा गर्दन से निकाल लिया गया है ?
- गले में फंदा रस्सी का या साड़ी का या अन्य किस वस्तु का है ?
- फंदे की गांठ गर्दन के किस हिस्से पर है ?
- यदि शव लटका हुआ है तो उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है ?

PTS JODHPUR

• मृतक के शरीर पर कोई चोट है या नहीं ?
32. मृतका के शव की स्थिति के संबंध में निम्न बिन्दुओ पर तफ्तीश करना।
• जीभ का मुंह से बाहर आना।
• आंखे बाहर आकर पुतलियां फैल जाना।
• चेहरा पीला व सफेद पड़ जाना।
• मल–मूत्र बाहर निकल आना।
• हाथों की मुठि्ठयां भिंची होना।
33. फांसी के लिए उपयोग में लिए गये फंदे को जब्त करना
34 फांसी मृत्यु से पूर्व है या मृत्यु के पश्चात इस संबंध में चिकित्सक से तुरन्त राय प्राप्त करना।
35. अभियोग में अपराध प्रमाणित होने पर अभियुक्तो को गिरफ्तार करना।
36. अभियुक्तो से घटना के संबंध में पूछताछ कर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार करना।
37. अभियुक्त द्वारा कोई सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम **{23(2) BSA}** के संबंध में दी जाती उसे रिकॉड करना।
38. बरामद वस्तु को जरिये फर्द बरामदगी पत्रावली पर लेना ।
39. फर्द बरामदगी नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली करना।
40. बरामद वस्तु/अलामात को संबंधित थाने के मालखाने में सुनिश्चित करना।
41. अलामात को मालखाना में जमा करने की मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली
42. जब्त/बरामद शुदा माल को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भेजने के लिये अग्रेषण पत्र तैयार करना।
43. एफ.एस.एल. से राय प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना।
44. प्रकरण में अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश करना।

जारकर्म एवं बलात्कार में अन्तर इस प्रकार है–

जारकर्म धारा 497 भा.द.स.	बलात्कार धारा 375 भा.द.स. **{63 BNS}**
1.यह हल्का अपराध है।	1.यह अधिक गम्भीर अपराध है जिसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
2.इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। स्त्री विवाहिता होनी चाहिए।	2.यदि स्त्री 15 वर्ष की आयु से कम है तब अपराध होता है।
3.इसमें पति असंतुष्ट पक्ष होता है।	3.इसमें स्त्री असन्तुष्ट पक्ष होता है।
4.यह विवाह से सम्बन्धित अपराध है।	4.परन्तु बलात्कार किसी महिला के शरीर के विरुद्ध अपराध है।
5.इसमें स्त्री की इच्छा व रजामंदी होती है। इसमें दोनों ओर रजामंदी होनी चाहिए।	5.बलात्कार में स्त्री की इच्छा के विरुद्ध व उसकी रजामन्दी के बिना अपराध होता है इसमें स्त्री की रजामंदी या इच्छा का अभाव रहता है।
6.इसमें स्त्री का विवाहित होना आवश्यक है। वह दूसरे व्यक्ति की पत्नी हो जिसके साथ संभोग किया हो।	6.बलात्कार किसी भी स्त्री के साथ हो सकता है चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो।

भारतीय दंड संहिता धारा 498 ए {85 BNS}किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। यदि किसी महिला का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता (मारपीट करना, परेशान करना) करता है या मानसिक रुप से व किसी भी अन्य प्रकार से परेशान करता है। उस व्यक्ति पर IPC 498a के तहत मुकदमा दर्ज (Court case) कर कार्यवाही की जाती है।

इस धारा का उद्देश्य होता है किसी ऐसी स्त्री की रक्षा करना जिसको उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ

PTS JODHPUR

मारपीट करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होगा। जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी।

भारतीय दंड संहिता धारा 506 {351(2)/(3) BNS}– आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड – जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने कि या अग्नि द्वारा किसी सम्पति का नाश करने या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से उसे दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर सतीत्व का लांछन लगाने की हो तो वह सात वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता धारा 509 {79 BNS}:– शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है –जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा या कोई ध्वनि या शरीर के किसी अंग को दिखायेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा। इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाये या अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाये अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा

नवीनतम संशोधन –

(धारा 46, 50ए, 53, 53ए, 54, 54ए, 82, 164ए, 176, 195, 206, 311ए, 459 सीआरपीसी का विशेष संदर्भ)

धारा 46 {43 BNSS}–महिलाओ को गिरफ्तारी के संबंध में विशेष प्रावधान

जहाँ किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है। जब कोई प्रतिकूल परिस्थितियॉ न हो। किसी महिला को पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए स्पर्श नही करेगा। केवल असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्य अस्त के बाद या सूर्य अस्त से पहले गिरफ्तार नही किया जायेगा। जहॉ ऐसी असामान्य परिस्थितियॉ विद्यमान हो एक महिला पुलिस अधिकारी रिपोर्ट क्षेत्राधिकार के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

धारा 50अ {48 BNSS}–गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नामित किये गये व्यक्ति को सूचना देने का दायित्व –

गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि ऐसी गिरफ्तारी तथा उस स्थान जहॉ उसे गिरफ्तार कर रखा गया है, के सम्बंध में तत्काल गिरफ्तार व्यक्ति के मित्रो सम्बधियों या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाए।

2. गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाते ही उसके इस अधिकारी के बारे में बताया जाये।
3. गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाने के सम्बन्ध में केस डायरी फर्द रोजनामाचा में रपट दर्ज।
4. जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाये, उस मजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य है कि उपरोक्त अनुपालना से संतुष्ट हो।

धारा 53 {51 BNSS}–स्पष्टीकरण जोड़ा गया

परीक्षा शब्द के अन्तर्गत, रक्त–रक्त के धब्बों, यौन अपराध के मामलो में वीर्य, शल्य क्रिया में प्रयुक्त सोखने वाला थूक और पसीने , बालों के नमूने, उंगुली के नाखून की कतरने की परीक्षा सम्मिलित होगी। जो आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनिकों के प्रयोग द्वारा की जायेगी। जिसमें डीएनए प्रोफाइल एवं अन्य ऐसे परीक्षण जैसा कि पजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आवश्यक समझे होगे।

(ख) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय का अर्थ ऐसा चिकित्सा व्यवसाय जिसकी भारतीय परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 2 (ज) में परिभाषित अनुसार हो।

धारा 53ए {52 BNSS}–चिकित्सा व्यवसाय द्वारा बलात्कार के अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा –

1. बलात्कार के अपराध या प्रयास के अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु राजकीय चिकित्सक या उसकी अनुपस्थिति में अपराध स्थल से 16 कि.मी. की परिधि में अन्य पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रार्थना पर करेगा। व परीक्षा हेतु आवश्यक बल प्रयोग कर सकेगा।

PTS JODHPUR

2. परीक्षा करने वाला बिना देरी परीक्षा करेगा व परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसमें अभियुक्त को उसका लॉयर व्यक्ति के नाम, पत्ते, अभियुक्त के चोट के निशान डीएनए प्रोफाईलिंग के लिये गये वस्तु अन्य उपयोगी विवरणं
3. रिपोर्ट में उन कारणें का विवरण जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाले गये है।
4. रिपोर्ट में परीक्षा माध्यम करने व समाप्त करने का समय।
5. चिकित्सा व्यवसाय बिना देरी I/o को रिपोर्ट देगा।

धारा 54 {53 BNSS}–गिरफ्तार व्यक्ति महिला है तो उसका परीक्षण केवल महिला चिकित्सा व्यवसाय द्वारा किया जायेगा
परीक्षण के अभिलेख की प्रति गिरफ्तार व्यक्ति या उसके द्वारा निदेशित व्यक्ति को दी जावेगी ।

धारा 54ए {54 BNSS}गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान –जब किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। और ऐसे अपराध के अन्वेषण के उदेश्य के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी पहचान कराया आवयश्क हो तो किसी एस एच ओ की प्रार्थना पर न्यायक्षेत्र वाला न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति की स्वंय की पहचान किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियो से कराने के लिए उचित निर्देश दे सकता है।
परन्तु गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्यवेक्षण मे सुनिश्चित की जावेगी जो ऐसे तरीके को प्रयुक्त करने हुए कि व्यक्ति इसमें सहज महसुस करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगा कि ऐसा व्यक्तिा गिरफ्तार किय गये व्यक्ति को पहचान रहा है। यही गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक असमर्थ है तो पहचान प्रक्रिया को विडियोग्राफी की जा सकती है।

154 सी आर पी सी {173 BNSS}महिला द्वारा 326ए ,326बी, 354, 354बी, 554सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी तथा 509 **{124(1), 124(2), 74, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 70(1), 79 BNS}**के अधिन अपराध किये जाने या प्रयास के अपराध कह सुचना महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जावेगी ।
परन्तु इतला दर्ज करवाने वाली महिला मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो ऐसी सुचना विशेष शिक्षण या अनुवादक की मौजदगी मे व्यक्ति के निवास या पसंद के सुविधाजनक स्थान पर पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध की जावेगी
ऐसी सुचना लेखबद्ध किये जाने की विडियोग्राफी की जा सकेगी ।
पुलिस अधिकारी यथा संभव 164 (5ए) केखण्ड 5 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति के बयान लेखबद्ध करवायेगा ।

160 का संशोधन {179 BNSS}–पन्द्रह वर्ष से कम आप या महिला के स्थान पर पन्द्रह वर्ष की आयु से कम से सांठ वर्ष की आयु से अधिक या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति पढा जाए ।

161सी आर पी सी का संशोंधन {180 BNSS}–निम्नलिखित जोड़ा गया उस महिला जिसके विरूद्ध 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए 376बी 376सी 376ई और 509 **{74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 71, 79 BNS}**के अधीन अपराध कारित होने का प्रयास किये जापे का अभिकथन किया गया है। के बयान उपधारा (5) में विहित तरिके से तुरत्त करेगा जैसे ही अपराध कारित होना पुलिस की जानकारी में आ जाये । परन्तु बयान देने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो मजिस्ट्रेट ब्यान लेखबद्ध करने में अनुवादक या विशेष शिक्षक की मदद करेगा । तथा उक्त बयानो की विंडियो ग्राफी की जा सकेगी।
(बी) मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ के (क) के अधीन लेखबद्ध बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 **{160 BSA}**के अनुसार मुव्य परीक्षा के स्थान वर विचारित किये जायेगे कि बयान देने कि विचारण के समय उसे लेख बद्ध करने की आवश्यकता के बिना ऐसे बयान पर प्रति परीक्षा की जा सकेगी ।

173 का संशोधन {193 BNSS}–376डी के स्थान पर 376डी या धारा 376ई प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

PTS JODHPUR

197, 166ए ,166बी, धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 370, 375, 376ए से 376डी व 509 **{234, 199, 200, 74, 75, 76, 77, 78, 143, 63, 66, 67, 68, 71(1), 79 BNS}**के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा अपराध किये जाने पर अभियुक्त लोक सेवक के मामले मे अभियोजन स्वीकृती की आवश्यकता नही होगी ।

3. राजकार्य में बाधा एवं सार्वजनिक सम्पति का नुकसान

भारतीय दंड संहिता धारा 186 {221 BNS}–लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना– जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा या बाधा डालेगा।
दण्ड–तीन मास तक का कारावास, या जुर्माना जो पांच सौ रूपये तक का होगा या दोनों।
भारतीय दंड संहिता धारा 332 {221(1) BNS}–लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना–लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्त्तव्य की विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर साधारण चोट कारित करना। सजा–तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।
भारतीय दंड संहिता धारा 333 {221(2) BNS}–लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना–लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्त्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर घोर उपहति कारित करना। सजा–दस वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।
भारतीय दंड संहिता धारा 353 {132 BNS}–लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा।

दण्ड– दो वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों।

पी.डी.पी.पी. एक्ट धारा 3. लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाली रिष्टी– (1) जो कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की लोक सम्पत्ति के सिवाय, किसी लोक सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई कार्य करके रिष्टि कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और आर्थिक दण्ड से दण्डित किसा जाएगा।
(2) कोई निम्नलिखित प्रकार की, किसी लोक संपत्ति का कोई कार्य करके रिष्टी कारित करता है–
(क) जल, प्रकाश, बिजली या उर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के लिये प्रयुक्त कोई भवन प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति,
(ख) कोई तेल प्रतिष्ठान,
(ग) कोई मल संकरम,
(घ) कोई खान माइन या कारखाना,
(ड.) लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन अथवा उससे समबन्धित या प्रयुक्त कोई भवन,प्रतिष्ठान अथवा अन्य सम्पत्ति वह ऐसे जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा ।
परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित कारणों से छह माह से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा ।

PTS JODHPUR

04 चोरी, नकबजनी, लूट एवं डकैती आदि प्रकरणों का अनुसंधान

- भारतीय दंड संहिता धारा 378 से 413 **{303(1) से 317 (4) BNS}**
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 **{23(2) BSA}**, फर्द इतिला, फर्द बरामदगी तैयार करना व जानकारी
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी
- चोरी, नकबजनी प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान की प्रत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एंव साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- स्क्रुटनी नोट बनाना।

धारा 378 चोरी {303(1) BNS}– जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से, उस व्यक्ति की सम्मत्ति कि बिना, किसी चल सम्पत्ति को बेईमानी से, ले लेने की नीयत से, उस सम्पत्ति को उसके स्थान से हटाए तो कहा जाएगा कि उसने 'चोरी' की है।

धारा 379 {303(2) BNS}चोरी के लिए दण्डः– तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दानों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 380 {305 BNS}निवास –गृह आदि में चोरी– जो कोई निवास गृह, निर्माण, जलयान या तम्बू, में चोरी करेगा जो मानव निवास या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, चोरी करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 381 {306 BNS}लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पति की चोरी– जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए अपने मालिक के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 382 {307 BNS}चोरी करने के लिए मृत्यु,उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी–जो कोई चोरी करने के लिये, चोरी करने के पश्चात् निकल भागने, या चोरी द्वारा ली गई सम्पत्ति को रखने के लिये, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या अवरोध, या इसका भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 383 {308(1) BNS}उद्दापन / जबरन वसूली जो भी कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचाने के भय में साशय डालता है, और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित/ मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, सौंपने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह "जबरन वसूली" करता है।

धारा 384 {308(2) BNS}उद्दापन के लिये दण्ड– तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 385 {308(3) BNS}ज़बरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। जो भी कोई ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। सजा – दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड, या दोनों।

यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 386 {308(5) BNS}किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर ज़बरदस्ती वसूली करना। जो भी कोई किसी व्यक्ति से, स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर ज़बरदस्ती वसूली करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। सजा – दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

PTS JODHPUR

धारा 387 {308(4) BNS}ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना।

जो कोई ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। सजा – सात वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 388 {308(7) BNS}मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से याआजीवन कारावास, से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा,

धारा 389 {308(6) BNS}जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना।

जो भी कोई जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह ऐसे अपराध (जिसकी सज़ा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक कारावास है) का आरोप लगाने का भय दिखलाएगा या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा; तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो सजा – दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 390 {309(1)/(2)/(3) BNS}लूट – प्रत्येक लूट में या चोरी या उद्यापन होता हैः–

चोरी कब लूट होती है ''उद्यापन'' ''लूट'' है यदि अपराधी उद्यापन करते समय डराए गए व्यक्ति की उपस्थिति में हो और उस व्यक्ति को (स्वयं उसको) या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मार डालने, चोट पहुँचाने या बेजातौर पर रोके रखने का भय दिखलाकर उद्यापन करता है और इस प्रकार का भय दिखलाकर उस डराए हुए व्यक्ति को उसी समय और वहीं उस चीज को देने के लिए प्रेरित (राजी) करता है।

उद्यापन कब लूट है ''उद्यापन'' ''लूट'' है यदि अपराधी उद्यापन करते समय डराये गये व्यक्ति की उपस्थिति में हो और उस व्यक्ति को (स्वयं उसको) या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मार डालने, चोट पहुँचाने या बेजा तौर पर रोके रखने में भय दिखलाकर उद्यापन करता है और इस प्रकार का भय दिखलाकर उस डराये हुए व्यक्ति को उसी समय और वहीं उसी चीज को देने के लिए प्रेरित (राजी), करता है।

धारा 391 {310(1) BNS}डकैती– जब पाँच से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करें या लूट करने की कोशिश चेष्टा करें या जबकि वे व्यक्ति जो लूट करें या लूट करने की कोशिश करें, उनकी संख्या पाँच या पाँच से अधिक हो और वे व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित होकर लूट करने में या लूट करने की कोशिश में सहायता प्रदान करें तो इस प्रकार लूट करने या लूट की कोशिश करने वाले या उसमें सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि उसने डकैती की है।

धारा 392 {309(4) BNS}–लूट के लिए दण्ड – जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त व सूर्योदय के बीच की जाय तो कारावास 14 वर्ष तक हो सकेगा।

धारा 393 {309(5) BNS}लूट करने का प्रयत्न।

जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। सजा – सात वर्ष कठोर कारावास + आर्थिक दण्ड।

PTS JODHPUR

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।

धारा 394 {309(6) BNS}लूट करने में स्वेच्छापूर्ण उपहति कारित करना

धारा 395 {310(2) BNS}डकैती के लिए दण्ड

धारा 396 {310(3) BNS}हत्या सहित डकैती। यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करते हुए हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति को, मृत्युदण्ड, या आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वे सब आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होंगे। सजा – मृत्युदण्ड, या आजीवन कारावास, या दस वर्ष कठिन कारावास + आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

धारा 397 {311 BNS}मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करके किसी व्यक्ति को घोर आघात पहुँचाएगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर आघात पहुँचाने का प्रयत्न करेगा, तो उसे कम से कम सात वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा।

सजा – कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास।

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

धारा 398 {312 BNS}घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।

यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो उसे कम से कम सात वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा।

सजा – कम से कम सात वर्ष का कठोर कारावास।

यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

धारा 399 {310(4) BNS}डकैती की तैयारी करना –जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 400 {310(6) BNS}डाकूओं की टोली का होने के लिए दण्ड –जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का सदस्य होगा जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हो, वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, व जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 401 {313 BNS}चोरों की टोली होने के लिए दण्ड –जो कोई ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा जो, अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकूओं की टोली में हो, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 402 {310(5) BNS}–डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना –जो कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों मे से एक होगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

धारा 403 {314 BNS}सम्पत्ति का गबन (बेईमानी से दुर्विनियोग) –जब कोई व्यक्ति बेइमानी से किसी चल सम्पत्ति को अपना ले या अपने उपयोग में लाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सम्मत्ति का गबन (आपराधिक दुर्विनियोग) किया है।

धारा 404 आईपीसी {315 BNS}– मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग–जो कोई किसी सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से गबन / दुरुपयोग करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा;

PTS JODHPUR

और यदि वह अपराधी, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियुक्त था, तो कारावास सात वर्ष तक का होगा ।

धारा 405 {316(1) BNS}आपराधिक न्यास भंग – जो कोई व्यक्ति, जिसे किसी प्रकार से कोई सम्पत्ति अमानत के रूप में विश्वास करके सुपुर्द की गई हो या उस सम्पत्ति के प्रबन्धन का अधिकार दिया गया हो और वह व्यक्ति बेईमानी से उस सम्पत्ति को किसी प्रकट या अप्रत्यक्ष कानूनी समझौते को न मानते हुए अपना ले या उसे अपने प्रयोग में ले या उस सम्पत्ति को कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हुए हटा दें या जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने दे तो उसने आपराधिक न्यास भंग किया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 406 {316(2) BNS}आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड– जो कोई अपराधिक न्यासभंग करेगा,वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से,या दोनों से,दण्डित किया जायेगा।

सजा – तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति (संपत्ति के मालिक जिसका विश्वास का भंग हुआ है) के द्वारा समझौता करने योग्य है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 406 को एक उदहारण के साथ समझते हैं, यदि कोई कम्पनी का मालिक उसी कम्पनी के किसी कर्मचारी के भविष्य – निधि कहते के लिए उसकी मजदूरी में से कुछ राशि की कटौती कर लेता है, पर उसे उस कर्मचारी के निधि खाता में जमा न करके उसका दुरूप्रयोग या अपने लिए प्रयोग करता है, तो वह मालिक इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। केवल यह ही नहीं विश्वास का आपराधिक हनन किसी भी विल, निधि, अचल सम्पति या चल सम्पति से सम्बन्धित हो सकता है, और जब पीड़ित व्यक्ति इस बात की शिकायत अपने नजदीकी किसी भी पुलिस थाने में करता है, तो पीड़ित व्यक्ति की सूचना पर पुलिस के अधिकारी द्वारा इस बात का संज्ञान लिया जाता है। भारतीय दंड संहिता में वर्णित इस धारा का अपराध गैर – जमानती अपराध माना गया है, इसलिए पुलिस के अधिकारी भी इस संगीन अपराध की अच्छे ढंग से छान बीन करते हैं।

भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के मामले में किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने का प्रावधान नहीं दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका दायर करता है, तो उसकी याचिका निरस्त कर दी जाती है।

भारतीय दंड संहिता धारा 407 {316(3) BNS}वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग :– जो कोई वाहक घाटवाहक या भाण्डागारिक के रूप में अपने पास सम्पति न्यस्त किए जाने पर ऐसी सम्मति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक ही हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता धारा 408 {316(4) BNS}लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग :– जो कोई लिपिक या सेवक होते हुये , या लिपिक या सेवक के रुप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार सम्पति, या सम्पति, पर कोई भी अख्त्यार अपने में न्यस्त होते हुए, उस सम्पति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वहा दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता धारा 409 {316(5) BNS}लोक सेवक द्वारा या बैकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग :– जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैकंर, व्यापारी फेक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रुप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार सम्पति, या सम्पति पर कोई भी अख्त्यार अपने को नस्त होते हुए उस सम्पति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता धारा 410 {317(1) BNS}चोरी का माल –चोरी के माल (चोरी की सम्पत्ति) से तात्पर्य उस सम्पत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग (अमानत में खयानत) किया गया है या जिसके सम्बन्ध में आपराधिक न्यास भंग (गबन) किया गया है, चाहे वह हस्तांतरण या अमानत में खयानत या गबन, भारत के बाहर किया गया है या भीतर परन्तु यदि इसके पश्चात् वह सम्पत्ति उस व्यक्ति के पास आ जाती है जो उसके कब्जे का कानूनन अधिकारी है तो वह ''चुराई हुई सम्पत्ति'' नहीं कहलाती है।

PTS JODHPUR

भारतीय दंड संहिता धारा 411 {317(2) BNS}चुराई हुई सम्पति को बेईमानी से प्राप्त करना – जो कोई व्यक्ति चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। वह तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दंड संहिता धारा धारा 412 {317(3) BNS}ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखे रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा स्थानांतरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

भारतीय दंड संहिता धारा 413 {317(4) BNS}चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना –जो कोई किसी ऐसी सम्पति जिसके सम्बन्ध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई सम्पति है अभ्यासतः प्राप्त करेगा या अभ्यास्तः उसमें व्यवहार करेगा वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 {23(2) BSA}फर्द इत्तला,फर्द बरामदगी तैयार करना व जानकारी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत यदि कोई अभियुक्त पुलिस के समक्ष इत्तला देना जिससे कोई वस्तु बरामद होती है या साक्ष्य प्राप्त होता है तो दी गई सूचना न्यायालय में सुसंगत होगी।

फर्द सूचना अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक दी जानी चाहिए तथा उसकी भाषा में व स्पष्ट होनी चाहिए।

नमूना फर्द सूचना अर्न्तगत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम {23(2) BSA}

फर्द सूचना अभियुक्त रामा अर्न्तगत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, बसिलसिले तफ्तिश प्रकरण संख्या 19/15 धारा 379 भा.द.स. **{303(2) BNS}**मर्तिबा थाना राजनगर, जिला राजसमन्द, दिनांक 08.05.2015, समय 05.15 पी.एम. स्थान थाना राजनगर।

इस समय जैर हिरासत अभियुक्त रामा पिता जीवा कालबेलिया उम्र 28 वर्ष निवासी नेगड़िया, थाना रायपुर जिला भिलवाड़ा, ने मन् आई.ओ. को स्वेच्छा पूर्वक हवालात के पास बुला सूचना दी कि मेने व कालू ने एक माह पूर्व नेगड़िया से बकरा चुराया जो बकरे की खाल मेनें बिहड़ में पत्थरों की बग्गड़ में सुखा रखी है। जो मैं चल कर बता सकता हूँ। (हस्ताक्षर अभियुक्त)

फर्द सूचना मूर्तिब कर पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये।

अनुसंधान अधिकारी
(हस्ताक्षर अभियुक्त)

थाना राजनगर,
राजसमन्द।

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

1. प्रथम सूचना दर्ज करना।
2. घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार करना।
3. गवाह के बयान मौके से साक्ष्य प्राप्त करना व दर्ज करना।
4. दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना।
5. अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी।
6. आरोप पत्र तैयार करना।

PTS JODHPUR

चोरी प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटनी नोट बनाना। (उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करायेगा।)
साक्ष्य चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना–

क्रस	सकंलित साक्ष्य	क्या साबित करेगा।
1	एफआईआर, बयान प्रार्थी एवं गवाहान	घटना के घटित होने, प्रार्थी के साथ अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने की पुष्टि करेगा।
2	चुराई हुई सम्पति का मूल बिल, वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र आदि।	चुराई हुई सम्पति के मालिकाना हक की पुष्टि करेगें।
3	फर्द घटनास्थल	घटना के होने की प्रमाणिकता, भौतिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा घटनास्थल से वस्तु, सामान आदि पड़ी होने व हटाये जाने (चोरी होने) की पुष्टि करना।
4	फर्द 27 साक्ष्य अधिनियम	अभियुक्त द्वारा स्वैच्छा से सूचना व सूचना पर वस्तु या तथ्य का पता चलना, अपराध में लिप्तता की पुष्टि करेगा।
5	फर्द शिनाख्तगी माल मसरूका	प्रार्थी का स्वयं की सम्पति होना साबित करेगा।
6	कॉल डिटेल एनालेसिस व मोबाईल लोकेशन	वक्त घटना आरोपीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति को साबित करेगा। अभियुक्तगणों के आपसी सम्बन्ध व मिलकर अपराध करना साबित होगा। आरोपीगण के आने की दिशा व जाने की दिशा का पता लगाया जा सकेगा।
7	फुट प्रिन्ट व फिंगर प्रिन्ट के नमुने व चान्स प्रिन्ट	अभियुक्तो की घटनास्थल पर उपस्थिति व अपराध में लिप्तता को साबित करेगा।

वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटनी नोट बनाना (उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करायेगा।)

स्क्रूटनी नोट

अनुसंधान के अन्त में पत्रावली का अवलोकन कर निम्न बिन्दुओं पर चैक लिस्ट तैयार करे–
1 प्रकरण संख्या व थाना
2 अन्तर्गत धारा
3 परिवादी का नाम
4 घटनास्थल – ....
5 प्रथम सूचना का प्रकार लिखित/मौखिक –
6 FIR में दर्ज अभियुक्तों के नाम
7 अनुसंधानकर्ता –
8 लिये गये मौखिक कथन
1.. 2...
9 संलग्न फर्दों का विवरण –
क्र.सं. विवरण
1. ....
2. ....
10. पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का विवरण –
क्र.सं. विवरण
1. ....
2. ....
11. प्रकरण में पैण्डिंग स्वीकृति कब–कब प्राप्त की – ....

PTS JODHPUR

12. धारा 41 जा.फौ. के तहत गिरफ्तारी हेतु चैक लिस्ट संलग्न है – ....
13. धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत फर्द सूचना– ....
14. नकल पुलिस थाना रिकॉर्ड, (मालखाना, रोजनामचा आम, चुराई सम्पति रजिस्टर आदि) अभियुक्तगणों के नाम हटाने की प्राप्त स्वीकृति का विवरण –

अभियुक्तगणों का नाम

01. ....
02. ....

16. अपराधी का पूछताछ नोट – ....
17. अभियुक्त जिनके नाम हटाये गए है

1...
2...

18. अभियुक्त जिनका चालान दिया जा रहा है के नाम

1..
2..

19. अपराध–धारा जो हटाई गई /जोड़ी गई उसका विवरण...
20. धारा हटाने/जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त की गई या नहीं ....
21. अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक – ....
22.प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता है तो प्राप्त अभियोजन आदेश का विवरण (आर्म्स एक्ट आदि में)...
23. मालखाना आईटम का विवरण जो अनुसंधान के दौरान कब्जे में लिए गए

क्रं स.	विवरण	फर्द
1...		
2...		

24. विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए सेम्पल का विवरण

क्रं स.	विवरण
1..	
2..	

25. FSL नतीजा प्राप्त हो गया हो तो नतीजा संलग्न है या नहीं।
....
26. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सेम्पल जमा कराने की रसीद –

क्रं स.	विवरण
1.	....
2.	....

27. न्यायिक आदेश/विभागीय निर्देश जिनकी पालना आवश्यक है की गई या नहीं ....
....
28. आरोप पत्र जिन धाराओं में प्रस्तुत किया जा रहा है –...
....
29. अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की साबका सजायाबी का विवरण संलग्न है –

क्रं स.	विवरण
1...	2...
3...	4...

30. जमानती का नाम पता तस्दीक फोटो, मोबाईल नम्बर आदि।
....
धारा 170 के तहत गवाहान के मुचलके संलग्न है या नही ? ....
31. अभियुक्त पुलिस जमानत पर/न्यायिक जमानत/न्यायिक अभिरक्षा/फरार/ मफरूर (उद्घोषित) .
....
32. अभियुक्त की सकुनक तस्दीक/पहचान पत्र सम्बंधी दस्तावेज

PTS JODHPUR

33. पुलिस ब्रीफ संलग्न –
34. अभियोजन समीक्षा संलग्न है–
35. लोक अभियोजक की स्कूटनी की पूर्ती की गई या नही –

चोरी और लूट में अन्तर इस प्रकार है–

चोरी धारा 378 भा.द.स. {303(1) BNS}	**लूट धारा 390 भा.द.स. {309(1)/(2)/(3) BNS}**
1. सहमति :– अपराधी सम्पत्ति को बिना स्वामी की सहमति के लेता है। 2. चोरी केवल चल सम्पत्ति की ही की जाती है। 3. बल :– चोरी में बल का तत्व नहीं उत्पन्न होता है। 4. अपराधियों की संख्या :– चोरी केवल एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है। 1.भय का तत्व :– चोरी में भय का तत्व नहीं होता।	1.यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है। 2.लूट या डकैती अचल सम्पत्ति के विषय में भी हो सकती है। यदि वह दबाव डालकर लेने का रूप है अन्यथा नहीं। 3.लूट या डकैती के सभी रूपों में बल एक जरूरी तत्व है यद्यपि इसका प्रयोग न किया जाए तो भी इसमें कुछ भय हो सकता है। 4.लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है। 5.बेईमानी का तत्व विद्यमान होता है।

(ख) चोरी और छल में अन्तर इस प्रकार है–

चोरी धारा 378 भा.द.स. {303(1) BNS}	**छल धारा 415 भा.द.स. {318(1) BNS}**
1. इसमें स्वामी की सम्पत्ति बिना सहमति के प्राप्त करता है। 2. चोरी में सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से ले ली जाती है। 3. इसमें चल सम्पत्ति को बेईमानी से हटाया जा सकता है 4. चोरी में सम्पत्ति का होना जरूरी है। 5. चोरी की नीयत से बेईमानी पूर्ण ढंग से किसी निजी सम्पत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जे में लेना।	1. इसमें अपराधी दोषपूर्ण ढंग से पीड़ित व्यक्ति से सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है। 2. इसमें पीड़ित व्यक्ति को उत्प्रेरित किया जाता है 3. इसमें किसी वस्तु को लेने के लिए धोखा करना पड़ता है। 4. इसमें चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति हो सकती है। 5. यह कपटपूर्वक ढंग से या बेईमानी से धोखा दिये गये व्यक्ति को उस विषय के लिए उत्प्रेरित (प्रलोभन)करता है कि वह किसी सम्पत्ति को दे दे।

सदोष मानव वध धारा 299 भा.द.स. {100 BNS}	**मानव वध (हत्या) धारा 300 भा.द.स. {101 BNS}**
कोई व्यक्ति आपराधिक मानव–वध करता है यदि उस का कार्य जिससे मृत्यु हुई निम्न प्रकार से किया गया है–	कुछ अपवादों के प्रसंग में आपराधिक मानव वध हत्या है यदि कार्य जिससे मृत्यु हुई हो निम्नलिखित है–
सदोष मानव वध धारा 299 भा.द.स.	**मानव वध (हत्या) धारा 300 भा.द.स.**
1. आशय (नीयत) कार्य मृत्यु करने की नियत से किया गया है। 2. ज्ञान–कार्य ऐसा हो जिससे मौत होना सम्भव हो। 3. सम्भावना –इस नीयत से शारीरिक चोट पहुँचाना जिससे मृत्यु होना सम्भव हो।	1. नीयत–कार्य मृत्यु करने की नियत से किया गया हो। 2. ज्ञान–कार्य इतना अधिक खतरनाक है जिससे मृत्यु होने की सम्भावना हो गया ऐसी शारीरिक चोट है जिससे मृत्यु होना सम्भव है। 3. इस नीयत से शरीरिक चोट पहुंचाना जिससे अभियुक्त जानता हो कि प्रकृति के साधारण क्रम में मृत्यु करने के लिए काफी है।

PTS JODHPUR

(ख) डकैती एवं लूट में अन्तर इस प्रकार है–

लूट धारा 390 भा.द.स. **{309(1)/(2)/(3) BNS}**	डकैती धारा 391भा.द.स. **{310(1) BNS}**
1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है, जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है।	1. इसमें सहमति नहीं होती यदि होती भी है तो अवैध ढ़ंग से प्राप्त की जाती है।
2. लूट चल या अचल सम्पत्ति दोनों की हो सकती है।	2. डकैती केवल चल सम्पत्ति की हो सकती है।
3. इसमें डरा कर लेना और भय दिखलाना आवश्यक है।	3. डकैती में भय का तत्व विद्यमान होता है।
4. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है।	4. डकैती में कम से कम पाँच या अधिक व्यक्ति होते हैं।
5. इसमें बेईमानी का तत्व भी शामिल है।	5. डकैती में बेईमानी का तत्व होता है
6. इसकी सजा धारा 392 आई.पी.सी. **{309(4) BNS}**में दी गई है।	6. इसकी सजा धारा 395 आई.पी.सी. **{310(2) BNS}**में दी गई है।
7. इसकी तैयारी करना अपराध नहीं है।	7. इसकी तैयारी करना अपराध है।

5.धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज प्रकरण –

कूटरचना से संबंधित प्रकरण

● बेईमानी से' (Dishonestly) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 24 **{2(7) BNS}**के अनुसार बेईमानी की परिभाषा – जो व्यक्ति इस आशय से कोई काम करता है कि किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण (अनुचित) लाभ हो या किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण (अनुचित) हानि हो, तो यह कहा जाता है कि उसने यह बात बेईमानी से की है।

● कपटपूर्वक (Fraudulently) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 25 **{2(9) BNS}**के अनुसार कपटपूर्वक की परिभाषा इस प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को कपट करने के आशय (इरादे या नीयत) से करे तो उसके लिये कहा जाएगा कि उसने उस काम को कपटपूर्वक किया है अन्यथा नहीं।

● भारतीय दण्ड संहिता की धारा 28 **{2(4) BNS}**के अनुसार 'कूटकरण' की परिभाषा इस प्रकार है – जो इस प्रकार इस आशय (नीयत) से कि वह उस समानता (सदृश्यता) से धोखा दे या वह जानते हुए कि इसके द्वारा धोखा दिये जाने की सम्भावना है, एक चीज को, दूसरी चीज के समान बनाता है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह ''कूटकरण'' करता है।

भारतीय दंड संहिता धारा 415 {318(1) BNS}छल – जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह संपत्ति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्त्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, वह ''छल'' करता है कहा जाएगा।

उदाहरण – क सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके साशय **य** से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से **य** को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। **क** छल करता है।

भारतीय दंड संहिता धारा 416 {319(1) BNS}:– प्रतिरूपण द्वारा छल– कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है।

PTS JODHPUR

उदाहरण– ख जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का अपदेश करने द्वारा क छल करता है। क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है।

भारतीय दंड संहिता धारा 417 {318(2) BNS}:– छल के लिये दण्ड –एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनो।

भारतीय दंड संहिता धारा 418 {318(3) BNS}:–इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानी हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। सजा– 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

भारतीय दंड संहिता धारा 419 {319(2) BNS}:– प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दण्ड – तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनो।

भारतीय दंड संहिता धारा 420 {318(4) BNS}:– छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करना– जो कोई छल करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति का जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। **दण्ड–** सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

भारतीय दंड संहिता धारा 464 {335 BNS}मिथ्या दस्तावेज रचना [उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है,––
पहला––जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से––
(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है ;
(ख) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है ;
(ग) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई अंकीय चिह्नक लगाता है ;
(घ) किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या अंकीय चिह्नक की अधिप्रमाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिह्न लगाता है,
कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या अंकीय चिह्नक की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन, लगाए जाने या पारेषित न होने की बात वह जानता है ; या
दूसरा––जो किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन, उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या अंकीय चिह्न लगाए जाने के पश्चात्, उसे रद्द करके या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है ; अथवा
तीसरा–जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की विषयवस्तु को या परिवर्तन के रूप को, विकृतचित्त या मत्तता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवंचना के कारण, जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर अपने अंकीय चिह्नक लगाया जाना कारित करता है ।

दृष्टांत
(क) क के पास य द्वारा ख पर लिखा हुआ 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है । ख से कपट करने के लिए क 10,000 में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 रुपए इस आशय से बना देता है कि ख यह विश्वास कर ले कि य ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था । क ने कूटरचना की है ।
(ख) क इस आशय से कि वह य की सम्पदा ख को बेच दे और उसके द्वारा ख से क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, य के प्राधिकार के बिना य की मुद्रा एक ऐसी दस्तावेज पर लगाता है, जो कि य की ओर से क की सम्पदा का हस्तान्तरपत्र होना तात्पर्यित है । क ने कूटरचना की है ।

(ग) एक बैंकार पर लिखे हुए और वाहक को देय चेक को क उठा लेता है । चेक ख द्वारा हस्ताक्षरित है, किन्तु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है । क 10,000 रुपए की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है । क कूटरचना करता है ।
(घ) क अपने अभिकर्ता ख के पास एक बैंकार पर लिखा हुआ, क द्वारा हस्ताक्षरित चेक, देय धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है । ख को क इस बात के लिए प्राधिकृत कर देता है कि वह कुछ संदाय करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि, जो दस हजार रुपए से अधिक न हो अंकित करके चेक भर ले । ख कपटपूर्वक चेक में बीस हजार रुपए अंकित करके उसे भर लेता है । ख कूटरचना करता है ।
(ङ) क, ख के प्राधिकार के बिना ख के नाम में अपने ऊपर एक विनिमय पत्र इस आशय से लिखता है कि वह एक बैंकार से असली विनिमयपत्र की भांति बट्टा देकर उसे भुना ले, और उस विनिमयपत्र को उसकी परिपक्वता पर ले ले, यहां क इस आशय से उस विनिमयपत्र को लिखता है कि प्रवंचना करके बैंकार को यह अनुमान करा दे कि उसे ख की प्रतिभूति प्राप्त है, और इसलिए वह उस विनिमयपत्र को बट्टा लेकर भुना दे । क कूटरचना का दोषी है ।
(च) य की विल में ये शब्द अन्तर्विष्ट हैं कि मैं निर्देश देता हूं कि मेंरी समस्त शेष सम्पत्ति क, ख और ग में बराबर बांट दी जाए । क बेईमानी से ख का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त सम्पत्ति उसके स्वयं के लिए और ग के लिए ही छोड़ी गई थी । क ने कूटरचना की है ।
(छ) क एक सरकारी वचनपत्र को पृष्ठांकित करता है और उस पर शब्द य को या उसके आदेशानुसार दे दो लिखकर और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करके उसे य को या उसके आदेशानुसार देय कर देता है । ख बेईमानी से य को या उसके आदेशानुसार दे दो इन शब्दों को छीलकर मिटा डालता है, और इस प्रकार उस विशेष पृठांकन को एक निरंक पृष्ठांकन में परिवर्तित कर देता है । ख कूटरचना करता है ।
(ज) क एक सम्पदा य को बेच देता है और उसका हस्तांतर–पत्र लिख देता है । उसके पश्चात् क, य को कपट करके सम्पदा से वंचित करने के लि

धारा 465 {336(2) BNS}कूटरचना के लिए दण्ड। जो कोई कूटरचना करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 466 {337 BNS}न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना जो कोई ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख कीट जिसका कि किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना, या जन्म, वपतिस्मा, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा संस्वीकृत कर लेने का,
1 2000 के अधिनियम सं021 की धारा 91 और पहली अनुसूसूची द्वारा (17–10–2000 से) अंतःस्थापित।
2 2000 के अधिनियम सं0 21 की धारा 91 और पहली अनुसूची द्वारा (17–10–2000 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । भारतीय दंड संहिता, 1860

1[स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए, रजिस्टर के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में परिभाषित इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी है ।

भारतीय दंड संहिता धारा 467 {338 BNS}–जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यावान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तक पुत्र के प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यावान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण का या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम सम्पत्ति त या मूल्यावान प्रतिभूति को प्राप्त करने का परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिये जाने की अभिस्वीकृति करने वाला, निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा, वह (आजीवन कारावास) से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

PTS JODHPUR

भारतीय दंड संहिता धारा 468 {336(3) BNS}:–छल के प्रयोजन से कूट रचना –जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज जिसकी कूट रचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लायी जावेगी तो वह सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 469 {336(4) BNS} ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचन्न जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 470 {340(1) BNS}कूटरचित 2[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख वह मिथ्या [दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, कूटरचित [दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कहलाती है

भारतीय दंड संहिता धारा 471 {340(2) BNS}:– कूटरचित दस्तावेज का असली रूप में उपयोग में लाना– जो कोई ऐसे दस्तावेज को जिसके बारे में वह यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज है कपटपूर्णक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लायेगा वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानों उसने ऐसी दस्तावेज की कूटरचना की है।

भारतीय दंड संहिता धारा 91 {29 BNS}दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समय – (1) जब कभी कोई न्याचयालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि
किसी ऐसे अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है किसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।
(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।
(3) इस धारा की कोई बात–

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)की धारा 123 और 124 **{129, 130 BSA}**या बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी अथवा
(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र पोस्टकार्ड तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही –

1. प्रथम सूचना दर्ज करना।
2. घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार करना।
3. गवाह के बयान मौके से साक्ष्य प्राप्त करना व दर्ज करना।
4. दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना।
5. अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी।
6. आरोप पत्र तैयार करना।

प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना. वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटनी नोट बनाना। (उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करायेगा।)
साक्ष्य चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना–

क्र.स.	सकंलित साक्ष्य	क्या साबित करेगा।
1	एफआईआर, बयान प्रार्थी एवं	घटना के घटित होने, प्रार्थी के साथ अभियुक्त द्वारा अपराध

	गवाहान	कारित करने की पुष्टि करेगा।
2	सम्पति से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज प्राप्त करना।	धारा 91 द.प्र.सं. **{94 BNSS}**के नोटिस द्वारा।
3	विविदित दस्तावेज की जांच करवाना।	विवादित दस्तावेज मय नमूना हस्ताक्षर या राईटिंग को एफ.एस.एल. भिजवाना।
4	आरोप साबित होने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी	
5	साक्ष्य अधिनियम 27 **{23(2) BSA}**से सूचना प्राप्त करना।	
6	आरोप पत्र तैयार करना।	

कूटरचना/धोखा/छल सम्बन्धी अपराध के अनुसंधान की चेक लिस्ट

1. FIR के साथ कूटरचित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना।
2. दस्तावेज पूर्ण रूप से कूट रचित है या दस्तावेज का कोई भाग कूट रचित है यह निश्चित करना।
3. केस डायरी में कूट रचित भाग का उल्लेख करना।
4. कूट रचना से किन–किन लोगों ने सदोष लाभ प्राप्त किया है तथा किन–किन लोगों को सदोष हानि हुई है यह निश्चित करना।
5. सम्बन्धित गवाहों के बयान लेना।
6. दस्तावेज तैयार करने के लिए कौन अधिकृत है, उसके बयान लेना।
7. दस्तावेज किस कार्यालय/संस्था/कम्पनी/बैंक/निगम आदि द्वारा जारी किया गया। जारी किया जाना प्रस्तावित था वहाँ से रिकार्ड प्राप्त करना।
8. कूल दस्तावेज यदि परिवादी पक्ष के पास हो तो जब्त करना।
9. प्रथम दृष्टया यदि अपराध बनता है तो अभियुक्त को गिरफ्तार करना।
10. अभियुक्त के कब्जे से कूट रचित दस्तावेज जब्त करना।
11. यदि अभियुक्त के पास कूट रचित दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेजो के बारे में पूछताछ करना।
12. अभियुक्त द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम **{23(2) BSA}**की इत्तला रिकार्ड करना।
13. इत्तला के आधार पर दस्तावेजो की बरामदगी करना।
14. मुल्जिम के नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख लेने हेतु मजिस्ट्रेट को तहरीर देना। (311क) (VFC)
15. मजिस्ट्रेट के आदेश पर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में मुल्जिम के धीमी/मध्यम/तेज गति में नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख लेना।
16. मुल्जिम के विवाद रहित नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख प्राप्त करना।
17. मुल्जिम द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कहाँ किया गया है इस सम्बन्ध में अनुसन्धान करना।
18. यदि कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कोई सम्पति प्राप्त की गई है तो जब्त करना।
19. जहाँ कूटरचित दस्तावेजो का प्रयोग किया गया है वहाँ का रिकार्ड प्राप्त करना।
20. यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध न हो तो दस्तावेजों की प्रतियाँ जब्त करना (63Avidance Act)
21. मुल्जिम का रिमाण्ड JC/PC प्राप्त करना।
22. दस्तावेजों को परीक्षण हेतु FSL में भेजने का अग्रेषण पत्र तैयार करना।
23. विवादित/अविवादित/नमूना हस्ताक्षर/अभिलेखो को Hightlight करना।
24. दस्तावेज परीक्षण हेतु FSL भेजना।
25. यदि कूट रचित दस्तावेज किन्ही इलेक्ट्रोनिक माध्यमो से तैयार किए गए है तो उनको जब्त करना।

06. मर्ग की कार्यवाही

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 {194 BNSS}:–आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना–:

(1) एस.एच.ओ को या इस हेतु विशेष सशक्त पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी ने आत्महत्या करली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जीव जन्तु द्वारा यन्त्र द्वारा मारा गया है या

PTS JODHPUR

ऐसी परिस्थिति में मरा है जिससे सन्देह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है जो थाना अधिकारी ऐसी सूचना मिलने पर मर्ग की प्रथम सूचना दर्ज कर रोचनामचा आम में रिपोर्ट दर्ज कर इसकी सूचना तुरन्त सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और विशेष आदेश न होने तक उस स्थान पर जायेगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है वहां पहुंचकर पडौस के दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति में पंचायतनाम लाश बनायेगा ।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियो द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत है, हस्ताक्षर किये जायेंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेज दी जायेगी।

(3) जब —:

(1) मामले में किसी स्त्री द्वारा विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अन्तर्वलित है ।

(2) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से सम्बंधित जो एक युक्तियुक्त सदेंह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के सम्बंध में कोई अपराध किया है या

(3) मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर मृत्यु से सम्बन्धित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है या

(4) मृत्यु के कारण की बाबत् कोई संदेह है या

(5) किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा कराना समीचीन समक्षता है,

ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किये जाये वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐस सडने के जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाये, से भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा कीदृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अहर्त चिकित्सक के पास भेजेगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिये सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

01. जांच के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

1. मर्ग रिपोर्ट दर्ज करना।
2. पंचायतनामा, फर्द सुरतहाल लाश तैयार करना।
3. मृतक का पोस्टमार्टम करवाना
4. लाश सुपुर्दगी तैयार करना।
5. मृत्यू के कारणों की जांच करना।
6. घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार करना।
7. गवाह के बयान मौके से साक्ष्य प्राप्त करना व दर्ज करना।
8. साक्ष्य प्राप्त करना।पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर फाईनल रिपोर्ट तैयार करना।

02. प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना

03.. वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटनी नोट बनाना।(उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करवायेगा।

PTS JODHPUR